राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या ११

मंगलवार, २५ अगस्त, १९५९.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ७ मिनट पर विधानसभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

एक माननीय सदस्य : पहला प्रश्न श्री जगदीशप्रसाद माथुर का नहीं है।

प्रश्न संख्या ३५५

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट। श्री प्रभुलाल पुरोहित।

भूतपूर्व हैडक्लर्क महाराजा कॉलेज द्वारा मकान बनाने हेतु कर्ज लिया जाना।

३५६ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** : (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या श्री हरिसिंह, भूतपूर्व हैड क्लर्क, महाराजा कॉलेज ने मकान बनाने के लिए कोई कर्ज लिया था? अगर हां, तो कितना और कब?

(ख) क्या यह मकान बन गया और नियमानुसार रहन रखा गया? अगर हां, तो कब? नहीं तो, क्यों और क्या उनके प्रति कोई एक्शन लिया गया?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) जी हां। श्री हरिसिंह ने तारीख ९-२-५७ को ३,६४८ रुपये का कर्जा लिया था।

(ख) मकान अभी सरकार के पास रहन नहीं रखा गया है। रहन रखवाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गिरधारी लाल।

Page No.2

हैड क्लर्क डूंगर कॉलेज, बीकानेर।

३५७. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि डूंगर कॉलेज, बीकानेर के हैड क्लर्क गत १३ वर्षों से एक ही कॉलेज में रह रहे थे।

(ख) क्या यह सही है कि उक्त हैड क्लर्क के विरुद्ध उनके व्यवहार तथा ईमानदारी के संबंध में कॉलेज के प्रिन्सिपल के पास नित्य प्रति मौखिक तथा लिखित शिकायतें आती रही हैं?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त हैड क्लर्क पर कॉलेज के फर्नीचर की खरीद में घूस लेने तथा टेन्डरों में ओवर राइटिंग करने के अनेक आरोप लगे हुए हैं? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गई?

उप-मंत्री, शिक्षा: (श्री पूनमचन्द विश्नोई):

(क) जी हां।

(ख) व्यवहार के संबंध में शिकायतें आई किन्तु ईमानदारी के बारे में नहीं।

(ग) जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री पी० के० चौधरी।

जोधपुर शहर में सेल्स टैक्स, नम्बरों का दिया जाना

३५८ **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Finance Minister be pleased to state:—

1. Is it correct that in Jodhpur City sales tax numbers have been issued to 160 gold dealers?

2. Is it correct that out of these 160 sales tax numbers, nearly 100 have been issued in the name of persons who either do not exist or do not deal in gold?

3. Will the Government furnish a list of the persons and the firms who deal in gold and in whose favour sales tax numbers have been issued?

उप-मंत्री, वित्त (श्री संपतराम):

(१) जी नहीं, जोधपुर शहर में सिर्फ १५३ सोने, चांदी व जेवरात के व्यापारियों को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए गये हैं।

(२) जी नहीं।

(३) जिन १५३ व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए गए हैं उनकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री पी० के० चौधरी: आपने इनको सेल्स टैक्सेज के नम्बर इश्यू करने से पहले इस बात का वेरिफिकेशन भी किया या नहीं कि इनकी दुकाने हैं या नहीं?

श्री संपतराम: वेरिफिकेशन किया गया था।

श्री पी० के० चौधरी: किसके जरिए वेरिफिकेशन कराया गया?

Page No.3

श्री संपतराम : इन्सपेक्टरों ने किया नाम तो मैं नहीं बता सकता ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जिस समय गोल्ड पकड़ा गया था उस समय लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए थे कि लगभग १०० आदमियों के पास न तो दूकानें हैं और न वे बोनाफाइड डीलर्स हैं ?

श्री संपतराम : जहां तक मैं समझता हूँ सब लोग इसमें डील करते हैं । अगर कोई गलत कार्यवाही करता हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भैरोंसिंह ।

कमान्डेन्ट एन० सी० सी० भीलवाड़ा के विरुद्ध चरित्र हीनता के आरोप

३५६ श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) द्वारा पूछा गया : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि भीलवाड़ा में एन० सी० सी० के कमान्डेन्ट श्री दोषी के विरुद्ध जिस समय वे कोटा में थे, चरित्र-हीनता की शिकायतें सरकार के सामने थी ?

(२) क्या यह सही है कि यह अधिकारी अब भी शराब पीते हैं तथा इनके खिलाफ गेम्स फी और यूनियन फी के दुरुपयोग व खेल के सामान की खरीद में अनियामितताओं की शिकायत छात्रों ने की है ?

(३) क्या यह सही है कि एन० सी० सी० में छात्रों की गलत हाज़िरी बताकर उनके इन्टरटेंमेंट के नाम पर भी रकम उठाली जाती थी ?

(४) इन सब शिकायतों पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) जी नहीं ।

(२) शराब पीने के संबंध में कोई शिकायत नहीं हैं । अन्य शिकायतें की गई थीं।

(३) जी नहीं,

(४) इन शिकायतों पर सरकार ने इन-क्वायरी की लेकिन श्री दोषी का दोष साबित नहीं हुआ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन शिकायतों की जांच किसने और कब की ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : डिप्टी सेक्रेटरी एज्यूकेशन और एन० सी० सी० के मेजर ने ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): पहली शिकायत के बारे में आपने 'जी हां' कहा । क्या उसके बारे में केवल ट्रान्सफर करना ही उचित था ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई :दोष साबित नहीं हुआ कॉलेज की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके इसलिए ट्रान्सफर ही ठीक समझा गया ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या वह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है ?

Page No.4

पूनमचन्द विश्नोई : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहली शिकायय की जांच किसने की थी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : डिप्टी सेक्रेटरी एज्यूकेशन और एन० सी० सी० के मेजर श्री केसरीसिंह ने ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने शराब पीने की शिकायत के बारे में 'ना' कहा बाकी की दूसरी शिकायतें तो हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बाकी की शिकायतों के बारे में जबाब दिया है दोषी का दोष साबित नहीं हुआ ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ये जो शिकायतें आई थीं क्या राइटिंग में आई थीं और शिकायतों पर किसी के दस्तखत थे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पेम्फलेट थे, अखबारों में निकला था ।

श्री श्रीभानसिंह : Does not the Government think it desirable to institute an enquiry on a frivolous complaint against an officer of loose characterness ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : But we know the names of those persons who have issued these pamphlets.

श्री श्रीभानसिंह :—But when the persons were not making them clear in the pamphlet or in the papers why did the Government think it proper to enquire in such an anonymous complaint. ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The Government got this from secret information but in this particular case, we know who were the persons behind this and we have been able to find those persons and we have taken their statements.

श्री श्रीभानसिंह : Then the House would like to know who were these persons ? Whether such responsible persons are interested.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The particular man was a Lecturer of the same College.

श्री श्रीभानसिंह : What action has been taken against that Lecturer.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : He has been transferred, and he has been removed from the N. C. C.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government think it a sufficient punishment for a Lecturer for entering into such frivolous activities.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : He has been removed from the officership of the N. C. C.

श्री श्रीभानसिंह : Why does not the Government think to terminate his services when he indulge in such fervolous propaganda.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : In such matters a proof is very difficult and something may not be correct and

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

some thing may correct and a proof is a very difficult matter and therefore it has been thought proper to transfer him.

श्री श्रीभानसिंह : Should this House take that something was correct and something incorrect ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is not proved ...

श्री श्रीभानसिंह : When the Government has come to this conclusion then why does the Government proceed against that Lecturer ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He was removed from the ...

श्री उपाध्यक्ष : Next question please

श्री श्रीभानसिंह : Why did the Government...

श्री उपाध्यक्ष : I have taken another question please.

श्री श्रीभानसिंह : Your Honour may have taken another question but it is a very important question.

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order.

श्री श्रीभानसिंह : I am sorry, Sir. I insist on my supplementary because from the nature of question it appears it is imputing a motive of loose echaracterness against a particular officer and then Your Honour has permitted this question to be asked on the floor of this House then the position may be cleared. His character is unimpeachable ...

श्री उपाध्यक्ष : I feel it has been amply clarified.

राजस्थान दलित वर्ग संघ

३६०. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार राजस्थान दलित वर्ग संघ को आर्थिक सहायता देती है ? यदि हां, तो कब से, किस आधार पर और आरम्भ से अब तक किस सन् में कितनी कितनी रकम किस किस व्यक्ति को दी ।

(२) क्या यह सत्य है कि सन् १९५५-५६ में उक्त संस्था को चित्तौड़गढ़ जिला दलित वर्ग संघ के खर्चे के बिल वाऊचर के आधार पर भी नियमानुसार सहायता की रकम उक्त सहायता में दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी और किस आधार पर ?

(३) चित्तौड़गढ़ जिला दलित वर्ग संघ को सन् १९५५-५६ की सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ रकम प्रदेश दलित वर्ग संघ ने किस व्यक्ति को दी और वह किस अधिकार व आधार पर ?

(४) क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्ति ने यह रकम अभी तक चित्तौड़गढ़ जिला दलित वर्ग संघ को नहीं दी और उसके बारे

Page No.6

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

में कई बार प्रदेश दलित वर्ग संघ को लिखा जा चुका है ।

(५) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने इस रकम को जिला दलित वर्ग संघ को दे देने की कोई रसीद प्रदेश दलित वर्ग संघ को दी है ? यदि हां, तो किस के हस्ताक्षर पर और उस समय जिला के अध्यक्ष व मंत्री कौन थे ?

उप-मंत्री समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) :(१) जी हां, राज्य सरकार राजस्थान दलित वर्ग संघ को आर्थिक सहायता देती है ऐसी सहायता वास्तविक खर्च की ७५ प्रतिशत दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा २४,००० रु० है । संघ को अब तक जितनी वार्षिक सहायता जिस व्यक्ति के मार्फत दी गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं, कोई सहायता नहीं दी गई ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[कृपया परिशिष्ट दो देखिए]

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह सही है कि प्रदेश दलित वर्ग संघ का खर्चा और जिला दलित वर्ग संघ का खर्चा दोनों मिला कर सरकार को सहायतार्थ पेश किया जाता है

श्री भीखाभाई : जो जानकारी मुझे मिली है संस्था की ओर से उसके अनुसार दर असल जिलेवार न होकर डिविज़न वाइज़ अकाउन्ट पेश किये जाते हैं । और हम डिविज़न डिस्ट्रिक्ट और तहसील संगठनों का खर्चा मिला कर कन्सोलिडेटड बजट में देते हैं ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : १९५५-५६ में कितनी सहायता उदयपुर डिविज़न में किस खर्चे के अन्तर्गत और किस नाम से दी गई ?

श्री भीखाभाई : जैसी मुझे इत्तिला है उसके अनुसार ९६० रुपये की सहायता उदयपुर डिविज़न में दी गई ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : जो खर्चा मांडा गया वह किस व्यक्ति द्वारा मांडा गया और वह रुपया किस व्यक्ति को दिया गया, कितना दिया गया और किस आधार पर दिया गया सन् १९५५-५६ में ?

श्री भीखाभाई : जैसा कि मैंने निवेदन किया ९६० रुपये दिये गये, ५६-५७ में दिये गये । वहाँ के जो अध्यक्ष थे डिविज़न के दलित वर्ग संघ के उनको दिया गया ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : अध्यक्ष भी थे और प्रचारक भी थे ?

श्री भीखाभाई : दोनों ही थे ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : उनका नाम क्या है ?

श्री भीखाभाई : नाम से कोई मतलब नहीं उस वक्त वे प्रचारक भी थे ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : उनका नाम क्या है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सीटी) : बिना नाम के तो आदमी नहीं है ।

Page No.7

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु): उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न श्री जयचन्द्र मोहिल ने पूछा है क्या उनका भाई श्री मांगीलाल मोहिल जो शिक्षा विभाग में मास्टर, है उसने अपना फर्जी बिल पेश किया था? ५५-५६ में दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष मैं था।

श्री श्रीभान सिंह (बयाना) : I think this is most absurd, Sir The Hon'ble Member is. ......

श्री हरिप्रसाद यादव : यह तो भोपाल सागर सहकारी समिति, उदयपुर जिले में हुई थी उस समय दलित वर्ग का प्रश्न आया था उस समय बताया गया था............

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, आप सप्लीमेन्टरी प्रश्न से संबन्धित है वह करिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : दलित वर्ग संघ का जो अकाउन्ट आता है उसमें क्या केवल खर्चा है वही मेन्शन कर दिया जाता है। अजमेर में इतना खर्चा हुआ, उदयपुर में इतना हुआ केवल खर्चा बता दिया जाता है, वाउचर्स कोई पेश नहीं करते क्या यह सही है?

श्री भीखाभाई : यह बात सही नहीं है। दर असल बात यह कि पांच डिविज़नों में एक केन्द्रीय कार्यालय है। केन्द्रीय कार्यालय इन सबका एक कन्सोलिडेटेड हिसाब देता है राज्य सरकार को। सरकार इसको देखने के बाद में ७५ परसेन्ट खर्चे के आधार पर ग्रान्ट देती है। अब दलित वर्ग संघ अपना खर्चा सभी डिविज़नों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है।

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर) : वाउचरों पर किसके हस्ताक्षर हैं? क्या नाम है?

श्री भीखाभाई : किस बिल के वाउचर?

डॉ० बहादुरसिंह : मेरी मन्शा यह है कि जिसने बिल दिये हैं उदयपुर डिविज़न के उनका नाम क्या है? किन व्यक्ति ने हस्ताक्षर किये हैं?

श्री जयचन्द्र मोहिल : उस व्यक्ति का नाम क्या है? जो अध्यक्ष और प्रचारक दोनों थे और चित्तौड़ जिले के प्रचारक कौन थे यह भी बता दीजिये?

श्री भीखाभाई : वैसे तो माननीय सदस्य ने बता दिया कि वे स्वयं अध्यक्ष थे श्री हरिप्रसाद जी यादव। वे ही अध्यक्ष और प्रचारक थे और दूसरी तरफ श्री लालचन्दजी चित्तौड़गढ़ में थे।

श्री जयचन्द्र मोहिल : इन दोनों की क्या रिश्तेदारी है?

श्री उपाध्यक्ष : The question does not arise.

श्री पी० के० चौधरी : दलित वर्ग संघ को पैसा दिया जाता है वह सिर्फ प्रोपेगेन्डा और पब्लिकेशन के लिए दिया जाता है।

श्री भीखाभाई : प्रचारक रखे जाते हैं, पब्लिकेशन भी होते हैं अगर पैसा ज्यादा होता है तो कम पैसा होता है तो प्रचारक रख कर प्रचार कराया जाता है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या प्रचार किया जो पैसा चित्तौड़ में दिया उसका और कितना पब्लिकेशन किया और किस किस ने किया?

Page No.8

श्री भीखाभाई : यह सारा सवाल संस्था के देखने का है। यह सब देखने का काम संस्था का है न कि सरकार का।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह सही है कि प्रदेश दलित वर्ग संघ द्वारा सरकार द्वारा दिये हुए पैसे का खुल कर दुरुपयोग करने और अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतें दलित वर्ग से सम्बन्धित मिनिस्टर को की है।

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जानकारी मुझे नहीं है। आप कहते हैं तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह रजिस्टर्ड इन्स्टीट्यूशन है।

श्री भीखाभाई : जी हां।

डॉ० बहादुरसिंह : तो क्या किसी रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से इसका अकाउन्ट चैक होता है?

श्री भीखाभाई : जी हां, यह सब ग्रान्ट-इन-एड के नियमों में दर्ज है कि जब तक चार्टर्ड अकाउन्टेट तस्दीक न कर दे तब तक पैसे नहीं देती है सरकार।

(श्री पी० के० चौधरी और श्री श्रीमानसिंह दोनों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह : जो सम्बन्धित मिनिस्टर से लिखित में शिकायत की गई तो are you not the Concerned Minister?

श्री भीखाभाई : दरअसल मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। मैंने जानकारी करने का आश्वासन दिया है।

श्री श्रीमानसिंह : किससे पूछा जावे। He should be aware that he is the concerned Dy Minister.

श्री उपाध्यक्ष : वे कहते हैं शिकायत ही उनके पास नहीं आई है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि आपके पास दलित वर्ग संघ की तरफ से ऑडिटर की जो रिपोर्ट आती है Subject to such and such, Subject to the accounts as certif e.l. वह रिपोर्ट Subject to the such and such objections कभी नहीं भेजी गई सरकार के पास?

श्री भीखाभाई : जो तस्दीक करके भेजते हैं वह आती है I will clear the reply. The auditors while certifying the accounts they write down that the accounts audited and found correct subject to the report appended herewith.

श्री पी० के० चौधरी : And that report appended has never been submitted to the Government?

श्री भीखाभाई : दरअसल में रिपोर्ट में यह सब होता ही है। इसमें तो तस्दीक की आवश्यकता है। Audited, Checked and found, Correct ऐसा लिख कर दे देते हैं तो वह ग्रान्ट-इन-एड की मंशा को पूरी कर देता है।

श्री पी० के० चौधरी : I thingk, I take a serious objection to it Sir. The Auditors, report without this report is nothing. I know personally that this has been certified by the

Page No.9

(श्री पी० के० चौधरी)

aocounts subject to the report and much amount has been spent and vouchers not found...

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि जो तस्दीक होती है उसी को रिपोर्ट मानें चाहे कुछ भी मानें हमारी शर्त इससे पूरी हो जाती है।

मैं बता देता हूँ जैसे We have audited the expenditure of the Dalit Varg Sangh for the period ending on 28th Feb. 57 and have found the same correct in accordance with the account books and vouchers...

श्री पी० के० चौधरी : इसके पीछे Subjcet to the report appended ऐसा होता है। वह बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है रिपोर्ट का।

श्री जयचन्द्र मोहिल : सदन के माननीय सदस्यों ने लिखित शिकायत की है और सम्बन्धित मिनिस्टर महोदय से डेपुटेशन के रूप में भी मिले हैं। उन्होंने यह सदन को गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि उनको जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं इसकी इन्क्वायरी की जावे।

(व्यवधान तथा करतल-ध्वनि)

श्री भीखाभाई : मैंने जैसा अर्ज़ किया कि मुझे इल्म नहीं है और आई होगी शिकायत तो मैंने अर्ज़ किया कि जानकारी प्राप्त करूंगा। इसमें इन्क्वायरी की क्या आवश्यकता है ? ऑल इण्डिया ऑर्गेनाइज़ेशन है। राजस्थान में सैकड़ों संस्थाओं को सहायता दी जाती है। इसको भी, ग्रान्ट-इन-एड की तारीफ़ में आती है इसलिये सहायता दी जाती है। रहा आपस के झगड़ों का मामला तो जो अध्यक्ष चुना जाता है उसको ही हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इसमें सरकार का क्या दोष हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

प्रधानाध्यापिका, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, तोपखाना, जयपुर के विरुद्ध सरकारी रकम का वितरण न किया जाना

३६१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर—श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर, द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तोपखाना देश, जयपुर के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को कुछ अध्यापिकाओं तथा महिला चपरासियों का वेतन और मकान किराये के एरियर्स का भुगतान करने के लिये डिपार्टमेंट से कुछ रकम मिली हुई थी जिसको प्रधानाध्यापिका ने न तो उनको दिया और न ही खजाने में वापिस जमा कराया।

(ख) यदि हां, तो क्यों ? यह रकम कब कब प्रधानाध्यापिका को मिली थी और कब कब तकसीम हुई या वापिस जमा कराई गई ?

(ग) क्या यह सही है कि इस स्कूल का समस्त सामान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया हुआ नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सामान में कितना और क्या क्या सामान प्रधानाध्यापिका के घर पर काम में लाया जाता है ?

(श्री भैरोंसिंह)

(घ) क्या यह सही है कि एडमिशन फॉर्म की कीमत एक आना प्रति फॉर्म की दर से प्रत्येक छात्रा से वसूल किया जाता है ?

(ङ) यदि हां, तो कुल छात्रा-संख्या कितनी है और उसके अनुसार कुल रुपया जमा हुआ है या नहीं ?

(च) क्या यह सही है कि छात्राओं की अनुपस्थिति का जुर्माना वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो सन् ५८-५६ में कितनी गैर हाजिरी हुई ? उनका कितना जुर्माना होना चाहिये था और कितना जमा हुआ ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का पूरा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये अगली टर्न पर उत्तर दिया जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

श्री जयचन्द मोयल (कपासीन-सु) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस प्रश्न के विवाद के लिये एक आधा घण्टा दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : At this stage.

सब-डिविजनल ऑफिसर, नॉर्थ, बीकानेर के कार्यालय के कनिष्ठ लेखक श्री लूनाराम की बर्खास्तगी

३६२. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) श्री लूनाराम, एल० डी० सी०, कार्यालय सब-डिविजनल ऑफिसर, नॉर्थ, बीकानेर को किस दोष से बर्खास्त किया गया और कब ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति को पहले इसी जुर्म में तीन बार अपदस्थ किया गया था और फिर बहाल किया गया था ? अगर हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) झूठा रिफंड बिल बनाने व उसे गायब करने के अपराध में ३ नवम्बर, १९५८ को बर्खास्त किया गया ।

(२) जी हां । ऐसा इसलिए करना पड़ा कि पहली बार तो उनके विरुद्ध फौजदारी मुकद्दमा चलाया गया । बरी होने पर उन्हें बहाल किया गया । पुनः विभागीय जांच के लिए सस्पेन्ड किया गया पर नियमानुसार कार्यवाही न होने के कारण फिर बहाल किया गया । इसके पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जाकर जांच के लिए मोअत्तिल किया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): नियमानुसार कार्यवाही क्या नहीं हुई थी, जिसके कारण बाद में कार्यवाही करनी पड़ी ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा न कि झूठा रिफण्ड बिल बनाया गया था ।

श्री गिरधारीलाल : फौजदारी किस केस के सम्बन्ध में चल रही थी ?

श्री सम्पतराम : I have already replied that there were definite charges against that Babu and therefore he was suspended and dismissed.

Page No.11

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने यह फर्माया कि तीन बार इस अपराध में बर्खास्त किया गया था। पर नियमानुसार नहीं होने से एक बार रीइन्स्टेट हुआ फिर दो बार अलग किया गया और फिर दो बार किस बात पर रीइन्स्टेट किया ?

श्री सम्पतराम : मेरे प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से सुना नहीं। इस पर पहले फौजदारी मुकद्दमा कायम किया गया, पर कुछ टैकनीकल कारण से वहां से छूट गया। इस पर रीइन्स्टेट किया गया। पर वास्तव में झूठा रिफण्ड बिल बनाया गया था इसलिए डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी में फिर सस्पेन्ड किया गया। बाद में अपील का उसमें भी कुछ लेकुना रह जाने से कि जैसे नोटिस नहीं दिया गया और कुछ कारण होने से फिर रीइन्स्टेट किया गया। पर फिर डिपार्टमेन्टल जांच के सिलसिले में सस्पेन्ड किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : कोर्ट में केस किया गया था तो रीइन्स्टेट कैसे किया ? कोर्ट में केस चलता है गिल्टी एस्टेब्लिश नहीं होती है तब तक सस्पेन्शन में रहता है। क्या उस टाइम रिवोक कर दिया गया था ?

श्री सम्पतराम : जब केस बना तो डिपार्टमेंट ने चालान किया पर कोर्ट से छूट गया। छूट गया तो कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक रीइन्स्टेट किया गया ?

श्री पी०के० चौधरी : फिर रीइन्स्टेट का सवाल क्या आया ? उस वक्त बर्खास्त कर दिया था क्या ?

श्री सम्पतराम : सस्पेन्ड किया था।

श्री पी० के० चौधरी : सस्पेन्ड कर दिया तो रीइन्स्टेड कहां हुआ ? बर्खास्त करने के बाद रीइन्स्टेट होता है।

श्री सम्पतराम : That is not clear to you. सस्पेन्ड करने के बाद जब वापिस नौकरी में रखते हैं तो उसको रीइन्स्टेट ही बोलते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Member is making a mistake in terminology.

श्री उपाध्यक्ष : The position is that he was suspended and then he was declared as innocent and then he was reinstated and...

श्री पी० के० चौधरी : How he is justified ? I think it could be justified only on one occassion. The departmental enquiry was defective and so he was again suspended and removed.

श्री संपतराम : उपाध्यक्ष महोदय, पोज़ीशन बड़ी साफ है। एक झूठा बिल बनाया था। झूठा बिल बनाने के फलस्वरूप कोर्ट में चालान किया गया लेकिन टेक्निकल ग्राउन्ड पर वह कोर्ट से छूट गया है। सस्पेन्शन आर्डर...

श्री उपाध्यक्ष : This was the first stage and now second stage he is describing.

श्री संपतराम : वह कोर्ट से बरी हुआ उसके बाद में सर्विसेज में रखा गया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने फील किया है कि

Page No.12

(श्री संपतराम)

वास्तव में उसने गबन किया है, झूठा बिल बनाया है तो उसको नौकरी से हटा कर दुबारा सस्पेन्ड किया और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चलती है तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के दौरान में 'इर्रेग्युलेरिटी रह गई तो इर्रेग्युलेरिटी के फलस्वरूप सारी इन्क्वायरी सेट एसाइड हो गई और उसको रिइन्स्टेट किया और फिर सस्पेन्ड किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : Both are departmental enquiries.

श्री पी० के० चौधरी: This became on two occassions and in all four times, he has been dismissed.

श्री गिरधारीलाल : वह सन् ५० से आज तक बराबर सस्पेन्ड किया जा रहा है। ५० के अन्दर किया गया, ५१ के अन्दर किया गया। उसके बाद ११ महीने बाद फिर बहाल किया गया, फिर ५५ के अन्दर बर्खास्त किया गया और फिर ५८ के अन्दर बहाल किया गया। इस तरह से आप टाइम देख लें। अब फिर २३. ११. ५८ को बरखास्त किया गया है। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि उसने गबन किया हो लेकिन ५० से लेकर ५६ तक कभी भी उसके खिलाफ फैसला नहीं हुआ। एक गरीब कर्मचारी के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : So the enquiry is to be disposed of early. That is the intention.

श्री संपतराम : The enquiry has been disposed of and he has been dismissed

श्री उपाध्यक्ष : So that ends the matter.

Next. Shri Satish chandra Agarwal.

शिक्षण प्राप्त मिडिल पास अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड दिया जाना

३६३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि दो साल के शिक्षण प्राप्त मिडिल पास अध्यापकों को १. ४.५० से सलेक्शन ग्रेड दिया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि जयपुर इन्सपेक्टरेट के इन अध्यापकों को अभी तक भी एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द-विश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। क्योंकि कोषाध्यक्ष जयपुर ने एरियर बिल्स पास नहीं किये और महालेखापाल, राजस्थान ने इस सम्बन्ध में दी गई स्वीकृति को अभी तक ऑडिट में नहीं माना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब तक हो जायेगा ? So far as Jaipur Inspectorate के अन्दर जो अध्यापक हैं उनका मामला कब तक हो जायेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

बी. डी. ओ. नोखा द्वारा जिला विकास समिति के निर्णयों का बदला जाना

३६४. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) ; क्या विकास मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तारीख ८ जून को ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी, नोखा ब्लॉक की बैठक में श्री रामनारायण बिश्नोई ने बी. डी. ओ. नोखा पर खुले रूप से यह आरोप लगाया था कि बी. डी. ओ. कमेटी के निर्णयों को बाद में बदल देते हैं ?

(२) क्या सरकार उक्त शिकायत की जांच कराने को तैयार है ?

उप मंत्री, विकास (श्री संपतराम) :

(१) जी नहीं। ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गिरधारीलाल : श्री उपाध्यक्ष मैं खेद है कि उस मीटिंग में हाजिर था और वह प्रोसीडिंग में लिखा गया है। उसमें कलेक्टर साहब भी हाजिर थे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोसीडिंग में है क्या ? Is it mentioned in the proceedings ?

श्री संपतराम : हमने बी. डी. ओ. से पूछा था जानकारी करने पर कलेक्टर ने रिपोर्ट की है कि इस तरह का सवाल नहीं उठाया गया था।

श्री गिरधारीलाल : बी. डी. ओ. के खिलाफ शिकायत थी और उससे आप पूछते हैं तो वह क्यों सही बात बतायेगा ? आप इसकी दुबारा किसी दूसरे के मार्फत जांच तो करायें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I think ihe matter of calling information is...

श्री गिरधारीलाल : मैं खुद हाजिर था उस मीटिंग में....

श्री पी० के० चौधरी : We should ask a Superior Officer to make enquiry into the matter. He should collect information from the Collector and some other Senior Officer and then put that before the House.

श्री गिरधारीलाल : इसकी दुबारा इन्क्वायरी करवाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I think it deserves an enquiry,

श्री गिरधारीलाल : प्रोसीडिंग में यह बात लिखी है कि ब्लॉक के मेम्बरों ने इस तरह की शिकायत की है। उसमें कलेक्टर साहब भी मौजूद थे।

श्री संपतराम : माननीय सदस्य यदि यह कहते हैं तो और जानकारी करा लूंगा, और सही पाई जायेगी तो एक्शन लिया जायेगा।

तहसील फलौदी में नमक के प्लाट्स के एलाटमेन्ट सम्बन्धी पत्र

Recovery of two sets of allotment letters for Malar and Bapi rins (Salt piots) in Tehsil Phalodi,

Page No.14

३६५. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Revenue Minister be pleased to state :—

Is it correct that the Government has so far recovered two sets of allotment letters for Malar and Bapi rins (salt plots) in Phalodi Tehsil both dated 31.12.52. signed by the then Tehsildar Shri Govind Narain Mathur ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : The case is being enquired into by the Special Police Anticorruption Department and the entire record of this case is with that Department.

श्री पी० के० चौधरी : ३१-१२-५२ को कितने अलॉटमेंट लेटर्स इश्यु हुए थे ? Allotment letters were issued on 31.12 52 ?

श्री सम्पतराम : Mr. Speaker Sir. I have personally gone in the deepness of the matter and I must feel that it will not be advisable to give any information in this respect on the floor of this House.

श्री उपाध्यक्ष : I too feel because the matter is under investigation. If the thing is extracted here it might cause a little....

श्री पी० के० चौधरी : But, Sir, I would like to know since when the investigation has been started ?

श्री उपाध्यक्ष : Next question please.

श्री सम्पतराम : April, 1958.

श्री पी० के० चौधरी : How long will it take to complete ?

श्री उपाध्यक्ष : That is Anti-Corruption Department.

Next. Sri Ram Narayan Verma.

प्रधानाध्यापक जितेन्द्र माध्यमिक शाला पीपल्दा कलां (कोटा) के विरुद्ध चरित्र-हीनता के आरोप

३६६. श्री रामनारायण वर्मा : (पीपल्दा-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या प्रधानाध्यापक श्री केशरीलाल, जितेन्द्र माध्यमिक शाला पीपल्दा कलां, जिला कोटा की चरित्र सम्बन्धी शिकायत हुई थी ?

(२) यदि हां, तो कब और किन किन द्वारा किस शिक्षा उच्चाधिकारी को की गई तथा परिणाम क्या रहा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) ग्रामवासी पीपल्दा कलां के प्रार्थना-पत्र दिनांक १६-८-५८ द्वारा तथा श्री बिहारीसिंह राजपूत ग्राम पीपल्दा कलां के प्रार्थना-पत्र दिनांक १८-८-५८ द्वारा इन्सपेक्टर को तथा समय समय पर उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, कोटा को शिकायत के प्रार्थना-पत्र पेश किये गये हैं। डिप्टी इन्सपेक्टर कोटा (उत्तर) द्वारा इसकी जांच पीपल्दा

Page No.15

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

ग्राम में की गई परन्तु कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): आपने अपने उत्तर में कहा है कि 'जी हां', शिकायत की गई है वह किस आधार पर कहा गया है ? आपने 'जी हां' कहा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने कहा कि क्या ऐसी कई शिकायतें आई हैं। मैंने कहा कि 'जी हां'।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

स्टेट प्लानिंग बोर्ड

३६७. श्री पी. के. चौधरी (कुलेरा) :

Will the Chief Minister be pleased to state:-

(1) Who are the members of the State Planning Board ?

(2) How far the Planning Board has succeeded in its work of preparing the Plan frame for the 3rd Plan ? When does the Government propose to place the Plan frame before the Legislature for discussion ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : 1. A list showing the names of the Members of the State Planning Board has been placed on the table of the House.

2. Preparation of Plan schemes is not the function of the State Planning Board. It is only an advisory Body.

The required material is being collected. It is premature at this stage to say as to when it will be placed before the legislature for discussions.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री पी. के. चौधरी : Who is the Chairman of this Planning Board ?

श्री रामकिशोर व्यास : Chief Minister.

श्री उपाध्यक्ष : Next question please.

श्री पी. के. चौधरी : No Sir, I have got supplementaries to make. (Pause).

It is not the work of the Planning Board then what the subjects conceming it ?

श्री रामकिशोर व्यास : On policy and planning matters.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : How many times the Board has met to decide the policy matters and the planning matters.

श्री रामकिशोर व्यास : A number of times.

श्री पी. के. चौधरी : How far the Finance Commission's report is correct in mentioning that this Board has never met ?

Page No.16

श्री रामकिशोर व्यास : I say for the last year and the present.

श्री पी० के० चौधरी : This concerns policy and planning matters then what are those planning matters we would like to know ?

श्री रामकिशोर व्यास : Concerning planning itself.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister is avading the answer. I asked what is the planning matter he says it is the planning itself. It means the Board is supposed to...

श्री उपाध्यक्ष : What is the planning matter, the Hon'ble Member has got a right study over the subject.

श्री पी० के० चौधरी : He has no study on this matter.

श्री उपाध्यक्ष : No. I said about you.

श्री रामकिशोर व्यास : आपको ज्यादा रफ्त हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : He agrees to it.

Next.

घाणी उत्पादित तेल पर बिक्री कर

३६८. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा सु०): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) घाणी से निकलने वाले तेल को बिक्री करसे मुक्त कर दिये जाने पर भी तेलियों की सहकारी समितियों द्वारा संचालित तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित बिक्री केन्द्रों पर बेचे जाने वाले तेल पर बिक्री कर विभाग द्वारा बिक्री कर की मांग क्यों की जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि तेलियान उत्पादन समितियों पर बिक्री कर विभाग द्वारा केस चलाये गये हैं ?

(३) यदि हां, तो कौन कौन सी सहकारी समितियों पर ?

उप मंत्री पृथक राजस्व (श्री सम्पतराम):

(१) राजस्थान सरकार ने मानव अथवा पशुशक्ति द्वारा चालित घाणी से निकाले गये खाद्य तेल की बिक्री को केवल उस अवस्था में कर मुक्त किया है जब कि वह स्वयं घाणी के मालिक द्वारा बेचा जाय। अत: सहकारी समितियों द्वारा संचालित तथा खादी बोर्ड द्वारा प्रमाणित बिक्री केन्द्रों से बेचे जाने वाले तेल बिक्री से मुक्त नहीं हैं।

(२) जी हां।

(३) केवल एक समिति जिसका नाम घाणी तेल उत्पादक सहकारी समिति लि० बूंदी है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जब कि व्यक्तिगत तौर से या बैलों के जरिये निकाले हुए तेल को बिक्री कर से मुक्त किया गया है तो फिर तेलियों की सहकारी समिति को क्यों नहीं मुक्त किया गया है ?

श्री सम्पतराम : तेल कोऑपरेटिव सोसाइटी पैदा नहीं करती है। जब वे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर चलते हैं तो वे भी कर से मुक्त रह....

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह सहकारी समितियां कैसे चलेंगी जब कि आप उनको सहूलियत नहीं देते हैं ?

श्री सम्पतराम : यह जरूरी नहीं था इस समिति के अन्दर कि जो तेल निकालने वाले थे वे ही तेल बेचते हैं।

श्री भैरवलाल, 'कालाबादल' : जितनी भी तेल की सहकारी समितियां हैं इन सबका इन्तजाम, उनके ऊपर इस प्रकार का टैक्स आपने लगाया है।

श्री सम्पतराम : मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि क्योंकि इस सम्बन्ध में कानून बहुत साफ है। इसके बावजूद कोई इर्रेग्युलेरिटी हुई है तो उनको अपील करनी चाहिए ताकि वह सैट असाइड हो सके और सारी पोज़ीशन साफ हो सके।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ऐसी कितनी ही समितियां हैं जिनके ऊपर केस चलाया गया है। उन्होंने कई जगह अपील कर रखी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

उच्चतर माध्यमिक पाठशाला ग्राम गोरीर (खेतड़ी) के प्रधानाध्यापक के मकान पर गुण्डों द्वारा हमला

३६६ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) :

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया : क्या शिक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सत्य है कि तारीख २८-२-५६ को ग्राम गोरीर, तहसील खेतड़ी में रात्रि को २ बजे कुछ गुण्डों ने वहां के हायर सेकिन्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक के मकान पर हमला किया व प्रधानाध्यापक व उनकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा ?

(ख) क्या इस प्रकार की घटना पहले भी हुई थी ?

(ग) क्या शिक्षा विभाग को इन सारी बातों की जानकारी दी गई ? यदि हां, तो विभागीय अधिकारियों ने क्या कदम उठाये ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) इस तरह की कोई जानकारी सरकार को नहीं है।

(ग) सूचना प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग निरीक्षक शिक्षणालय ने पुलिस के अधिकारियों को ले जाकर उनसे सारी छानबीन करवाई। मामला पुलिस व अदालत में चल रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : इसके अन्दर छानबीन होने के बाद में जिन लोगों ने इस प्रकार से महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया उनके नाम क्या हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनके नाम अभी मेरे पास नहीं है। हां, उन सब का चालान कर दिया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : यह इन्क्वायरी करनेवालों ने वहां जाकर इन्क्वायरी की या उन्होंने इधर उधर से ही जांच करके यह कह दिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो पुलिस का पहला काम होता है कि वह मौके पर जाये उसके बाद में मुकद्मे की तहकीकात करके आगे बढ़ाये।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा–सु) : यह जो अभी आपने कहा कि उन आदमियों का चालान कर दिया है तो क्या उन आदमियों का चालान बिना नाम के ही कर दिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया है कि अभी मेरे पास उनके नाम नहीं हैं ? क्योंकि वह मामला पुलिस और अदालत में पेन्डिंग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

अध्यापकों का स्थानान्तरण

३७०.* **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि श्री श्रीराम सक्सेना का केवल ८ माह में चार दफा तबादला किया गया ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उन्हें जयपुर पूर्व से माजरी कलां (अलवर) वहां से पावटा (कोटपुतली) व फिर गांधीनगर (जयपुर) में बदला गया है ? वे उपरोक्त स्थानों में कितने कितने समय रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें। इतने से समय में इतने तबादले करने के क्या कारण हैं ?

उप–मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं। श्री श्रीराम सक्सेना का तबादला चार बार नहीं बल्कि तीन बार किया गया।

(ख) जी हां। तीनों जगह तबादला किया गया। वे माजरी कलां में ८–८–५८ से १५–६–५८ तक व पावटा में २३–६–५८ से १३–६–५६ तक और गांधीनगर जयपुर, में तारीख १६–३–५६ से अब तक रहे हैं।

सरकारी कार्य और सरकारी कर्मचारी दोनों के हित को दृष्टि में रखते हुए विशेष परिस्थितिवश तथा संयोगवश स्थान रिक्त होने के कारण तबादले किये गये।

श्री रामकरणसिंह : यह करीब ५–६ महीने के अन्दर संयोग से या सरकारी कर्मचारी को देखते हुए क्या ऐसी परिस्थिति आ गई जो इतनी जल्दी से जल्दी उसको हटाया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स थे, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा माजरी कलां में क्लर्क की आवश्यकता थी इसलिए वहां उनका ट्रान्सफर किया गया लेकिन वहां पर बाद में मालूम हुआ कि यू० डी० सी० की पोस्ट नहीं है इसलिए उनका ट्रान्सफर पावटा किया गया। वहां पर उन्होंने एक सर्टिफिकेट पेश किया कि मेरी धर्मपत्नी बीमार है इसलिए मेरा वापिस ट्रान्सफर जयपुर कर दिया जाय इसलिए उनका ट्रान्सफर वापिस जयपुर कर दिया गया।

श्री रामकरणसिंह : जैसा आपने बताया कि उस अध्यापक की मजबूरी थी और साथ ही सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स बताये तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स माजरी कलां से जब ट्रान्सफर किया गया उस समय नहीं देखे गये या फिर गवर्नमेन्ट को पता नहीं था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने कारण एक तो बताया है बीमारी का तो बीमार तो कोई व्यक्ति कब पड़े यह सूचना हमारे पास होती नहीं है और कौन कितना बीमार है यह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है कि सब पूछताछ कर ट्रान्सफर करें। हमने ट्रान्सफर किया उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरी धर्मपत्नी बीमार है इसलिए जयपुर ही वापिस ट्रान्सफर कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

पटवारी, हल्का ईशरदा के विरुद्ध सरकारी वृक्षों को काटने का आरोप

३७१. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन–सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि श्री दुर्गाप्रसाद पटवारी, हल्का ईशरदा, तहसील सवाई माधोपुर के खिलाफ ईशरदा के पटेल और पंचायत के पंच ने भगवान सागर, स्टेशन ईशरदा के पास सरकारी बम्बूल काटने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो किस तारीख, माह व सन् को ?

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(ग) क्या यह भी सही है कि इसी पटवारी ने लोगों से ५), ५) रुपये सेविंग्स सर्टिफिकेट के नाम से लिए और रुपये देने वालों को कोई भी रसीद नहीं दी और न रुपये ही जमा कराये ? यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? नहीं तो क्या सरकार जाँच कराने को तैयार है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां। पंचायत में की थी।

(ख) उसकी जांच तहसीलदार द्वारा की गई। शिकायत सही नहीं पाई गई।

(ग) जांच से यह सही नहीं पाया गया। केवल एक पटेल पंच ने बवक्त जाँच यह शिकायत की। पहले ऐसी शिकायत पंचायत या तहसील में न करना कहा और जाहिर किया कि वह रकम पटवारी ने १० माह बाद लौटाई जब कि एक पटेल पंच, दो और पंच और एक पटेल ने जाहिर किया कि अल्प बचत योजना सर्टिफिकेट खरीदने के लिए कोई रकम पटवारी ने नहीं ली।

श्री जयचन्द्र मोहिल : यह जांच शिकायत-कर्ताओं से की गई या अन्य व्यक्तियों से ?

श्री सम्पतराम : शिकायत-कर्ताओं से पूछा कि श्री कल्याणसिंह नामक पंच था उसकी शिकायत थी और उसके अन्दर यह इन्क्वायरी शुरू हुई। लेकिन जो सरपंच और दूसरे पटेल थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से इन्कार किया कि उनसे रुपया लिया गया। लेकिन एक आदमी ने कहा कि हमने अल्प बचत योजना से रुपया लिया था और वह लौटा दिया।

Page No.20

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या श्री कल्याणसिंह ने इसके लिए कलेक्टर को २८-७-५८ को रजिस्ट्री द्वारा शिकायत की थी ?

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह सदन का अनमोल समय जाया कर रहे हैं, मैं जोरदार शब्दों में कहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : Order, order.

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री सम्पतराम : Order, order.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्टर साहब जबरदस्ती हाथ पकड़ कर बैठाते हैं माननीय सदस्य को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : उनकी तो कोई बात नहीं पर उनके हाथ में झटका आ जायेगा।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य की कोई शिकायत नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : But that is not befitting with the decorum of the House.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister was helping the Chair.

श्री जयचन्द्र मोहिल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस शिकायत से माननीय सदस्य भी सम्बन्धित हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अभी इन्होंने....

श्री उपाध्यक्ष : Order, order.

(प्र० सं० ३७२)

नैक्स्ट। श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जयचन्द्र मोहिल ?

छोटी-सादड़ी में छात्राओं के लिए हाईस्कूल का खोला जाना

३७३. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-सु) : क्या शिक्षामंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि चित्तौड़गढ़ जिले के छोटी सादड़ी कस्बे में सरकार की ओर से एक कन्या माध्यमिक शाला और लड़कों के लिए एक आदर्श माध्यमिक शाला ही है ?

(२) इस कस्बे की जन संख्या क्या है और यह कस्बा जिले के कस्बों में जन संख्या आधार पर कितने नम्बर पर आता है ?

(३) उक्त दोनों माध्यमिक शालाओं में कुल कितने कितने छात्र छात्रायें हैं व किस किस क्लास में कितने कितने छात्र छात्रायें पढ़ती हैं ? अलग अलग शाला वाइज़ बतावें।

(४) उक्त दोनों शाला में कितना कितना स्टाफ है और इस स्टाफ में किस किस पद पर कितने कितने पदाधिकारी एवं कर्मचारी किस किस योग्यता के हैं।

Page No.21

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

(५) उक्त दोनों शालाओं के छात्र छात्राएं ८ वीं कक्षा पास करने के बाद आगे पढ़ने को कहां कहां जाते हैं ?

(६) क्या यह सही है कि इस कस्बे में राजकीय हाई स्कूल नहीं होने से छात्राओं को आगे पढ़ने की इच्छा होते हुए भी पढ़ना छोड़ देना पड़ रहा है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी हां।

(२) इस कस्बे की जन संख्या ६,६७६ है और जनसंख्या के आधार पर चौथा नम्बर है ।

(३) सूची संलग्न है ।

(४) सूची संलग्न है ।

(५) श्री गोदावत जैन गुरुकुल हाई स्कूल जो इसी कस्बे में है अन्यथा पड़ोस की दूसरी उच्च उच्चतर माध्यमिक शालाओं में जैसे निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़ इत्यादि में प्रवेश पा सकते हैं ।

(६) जी हां। किन्तु राज्य से सहायता प्राप्त हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जहां छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह सही है कि राज्य की सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या इसकी शिकायत संबंधित मिनिस्टर और इन्सपेक्टर की लड़कियों ने भेजी थी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे पास यह शिकायत नहीं आई ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजराम गहलोत ।

घासमारी का मतालबा जिला पाली

२७४. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह बात सही कि ग्राम बाग-वास, तहसील सोजत में बमुजब आज्ञा श्री कलेक्टर, पाली के घासमारी का मतालबा सं० २०११ व २०१२ का पटवारी हल्का ने ७।।।-) रु० से बनाया, जो रेट खालसा के गांवों से ली जाती थी ?

(ख) क्या यह सही है कि नायब तह-सीलदार को खारजी मतालबा की, जब तक क्लेक्टर मंजूर न कर दें, स्वीकृति देने का अधिकार नहीं है ?

(ग) क्या यह सही है कि नायब तह-सीलदार, सोजत ने अपने अधिकारों की सीमाओं को लांघ कर पटवारी हल्का को ७।।।-) के बजाय ३) रु० के हिसाब से घास-मारी वसूल करने की आज्ञा दी व घासमारी वसूल करवाई ?

(घ) क्या यह सही है कि तहसीलदार, सोजत द्वारा उक्त वसूली का ऐतराज करने पर भी नायब तहसीलदार, सोजत उक्त मता-लबा को अपने पास रोके बैठे हैं । अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

(श्री तेजाराम गहलोत)

(ङ) क्या नायब तहसीलदार, सोजत की इस तरह की नाजायज कार्यवाही की शिकायत जिलाधीश को भी की गई। अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप मंत्री, राजस्व : (श्री सम्पतराम): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हाँ।

(घ) मतालबा दिनांक २४-७-५६ को तहसीलदार को पेश किया जा चुका है।

(ङ) शिकायत की जांच तहसीलदार सोजत द्वारा की जाकर पत्रादि उप-मंडलाधिकारी, सोजत के यहां विचाराधीन है ?

श्री तेजाराम गहलोत : अपने प्रश्न (ख) के उत्तर में बताया कि नायब तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है क्या नायब तहसीलदार को कलेक्टर की आज्ञा के विरुद्ध बकाया रकम बसूल करने का अधिकार है।

श्री सम्पतराम : यह प्रश्न के उत्तर में साफ है, ऐसा मैं मानता हूँ।

श्री तेजाराम गहलोत : जब नायब तहसीलदार ने कलेक्टर की आज्ञा के विरुद्ध ऐसा किया तो क्या उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री सम्पतराम : उसके खिलाफ इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर दी गई है और एस० डी० ओ० की कोर्ट में पेन्डिंग है।

श्री तेजाराम गहलोत : इसमें इन्क्वायरी की जरूरत ही नहीं है। मंत्री, महोदय ने स्वयं ने कहा है कि कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध नायब तहसीलदार ने ऐसा किया है तो फिर इस बात में किसी तरह की इन्क्वायरी की गुंजाइश नहीं रहती है।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, किस हालत में क्या गुनाह उसके द्वारा किया गया है उसकी इन्क्वायरी होने के बाद में अगर ठीक पाया गया तो उसको वार्निंग दी जायेगी, उसको शो काज नोटिस भी दिया जायेगा और इसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी इन्क्वायरीज़ फेल होती हैं, कामयाब नहीं होती इसलिए उसको ठीक तरह से चलाने के लिए और उसको रेग्यूलर कराने के लिए यह जरूरी है कि उसमें अच्छी तरह से सारे प्रिकॉशन्स ले लिए जायें।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

पत्थर की खानों का ठेका : धौलपुर, बाड़ी व बसेड़ी

३७५ डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या खनिज मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या धौलपुर, बाड़ी और बसेड़ी तहसील की पत्थर की खानों का ठेका पुन: गत वर्ष के ठेकेदारों को ही दिया जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो किन शर्तों पर और क्यों ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) प्रश्न विचाराधीन है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी धौलपुर पधारे थे उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठेकेदारों को ठेका नहीं दिया जायेगा। क्या यह प्रश्न विचाराधीन है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो माननीय मुख्य मन्त्री ही बता सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या वे खनिज विभाग के मंत्री नहीं हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उन्होंने क्या आश्वासन दिया उसकी मुझे जानकारी नहीं है। आप तशरीफ लाये थे उस समय मैंने सारी पोजिशन आपको बतला दी थी। प्रश्न विचाराधीन है। मुख्य मंत्री जी के क्या विचार हैं और मेरे क्या विचार हैं इस बारे में बातचीत नहीं हुई।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : गवर्नमेंट के क्या विचार हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : गवर्नमेंट ने अब तक विचार नहीं किया।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : खानों को देने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिसाइड नहीं की क्या कि ठेकेदारों को देना है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देना है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी विचार नहीं किया है। काफी एरिया है उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है इसलिए मैंने कहा कि विचाराधीन है।

श्री श्रीभानसिंह : दूसरी जगह के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी डिसाइड की होगी उसकी लाइट में यहां किया गया?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो केसेज रूल्स के अंदर में आते हैं तो उनके बारे में विचार किया जायेगा। पूरी तरह से डिमारकेट करके ब्लॉक्स बनाना है या क्या करना है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहता।

श्री श्रीभानसिंह : तो क्या यह मानकर चलें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स में नहीं आती हैं उनको नहीं मिलेगा?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रूल्स के अनुसार उनको भी दिया जा सकता है तो दिया जावेगा।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह जो रूल है कि पहिले उसके पास खान हो इसे रिलेक्स किया जायेगा?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is no such rule.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

प्राथमिक व माध्यमिक पाठशालाएं झालावाड़

३७६. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा—सु) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

(१) तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ में कितने प्राइमरी स्कूल तथा मिडिल स्कूल किस किस कस्बे में हैं ?

(२) इस वर्ष घाटोली में मिडिल स्कूल खोलने के बारे में जिला विकास समिति तथा इन्सपेक्टर, शिक्षा विभाग की सिफारिश होते हुए भी मिडिल स्कूल न खोलने का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूची संलग्न है।

(२) घाटोली में इस वर्ष माध्यमिक शाला खोल दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री दयाकृष्ण विजय ।

बीड़ का ठेका, हनोतिया, तहसील बारां

३७७. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या हनोतिया, तहसील बारां, जिला कोटा के बीड़ का ठेका २ साल पहले श्री मदनलाल पंजाबी, हीकड़ ग्रामवासी को दिया गया था ? यदि हां, तो कितने में ?

(ख) क्या यह सही है कि वह रकम अभी तक तहसील में जमा नहीं हुई है ?

(ग) क्या यह सही है कि जब यहरकम उक्त ठेकेदार से तहसील द्वारा मांगी गई तो उसने तहसील में अपने बयान देकर रकम की अदायगी की रसीद पेश कर दी है ?

उप-मंत्री, (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां, २५५ रु० में।

(ख) में। जी हां, सारी रकम जमा नहीं हुई है।

(ग) जी हां, तत्कालीन इन्सपेक्टर लैंड कोर्डस श्री हरिदत्त द्वारा १६१ रु० की कच्ची रसीदें पेश की हैं जो अनियमित थी तथा उपरोक्त राशि तहसील में जमा न होने पर भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग द्वारा जांच करने के पश्चात उक्त केस का चालान अदालत में पेश कर दिया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह ठेका कौनसी तारीख को दिया गया था ?

श्री संपतराम: तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने कहा है कि उसकी रसीद पेश की है, मुकदमा भ्रष्टाचार में दिया है, रसीदें कौनसी तारीख को दी ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला कोर्ट में सबजुडिस है इसलिये इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा।

(प्रश्न संख्या ३७८)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री दयाकृष्ण विजय।

हायर सेकेन्डरी स्कूल की स्थापना अटरू

३७९. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)** : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.25

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(१) क्या सरकार हायरसेकेन्डरी या हाई स्कूल खोलने में तहसील केन्द्रों को प्राथमिकता देगी ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार अटरू तहसील केन्द्र पर शीघ्र ही हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां, सरकार की नीति तहसील केन्द्रों को ही प्राथमिकता देने की है।

(२) सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पूर्ति होने पर अटरू में भी हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का विचार किया जावेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या वहां की जनता के प्रार्थनापत्र आये हैं कि वे नियम की पूर्ति करने को तैयार हैं इसलिये हायर सेकेन्डरी खोली जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रार्थनापत्र ही काफी नहीं हैं। जहां भवन हैं, फीडर स्कूल्स हैं वहां खोले जाते हैं

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जहां मुख्य मंत्रीजी उद्घाटन करते हैं वहां भी नहीं खोले जाते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : No.No. I don't allow it.

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि वहां पर बिल्डिंग की व्यवस्था की जा रही है और मिडिल स्कूल चल रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मार्च और अप्रेल के महीने में निर्णय लिया जाता है तब सूचना दी जाय तो विचार किया जा सकता है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या मुख्य मंत्रीजी के उद्घाटन करने के बाद भी मिडिल स्कूल नहीं खोली जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He might have inaugurated the building and not the school. There is a difference.

श्री श्रीभानसिंह : He can promise there to give this...

श्री उपाध्यक्ष : He did not inaugurate the middle school.

सिकराय हाई स्कूल में पढ़ने वाले मीणा व हरिजन जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

३८०. **श्री गज्या पटेल** : (दौसा सु) क्या शिक्षामंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) सिकराय हायर सेकेन्डरी स्कूल में कितने मीणों और हरिजनों के लड़के शिक्षा पा रहे हैं ?

(२) उनमें से कितनों ने छात्रवृत्ति के लिये फार्म भरे व उनमें से कितनों को छात्र वृत्ति मिली व शेष को न मिलने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) सन् १६५८-५६ में कक्षा ? से ८ तक ७७ मीणे तथा ५२ हरिजन लड़के शिक्षा पा रहे थे।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(२) छात्रवृत्ति के लिए ५२ मीनों ने तथा ३७ हरिजनों ने फार्म भरे और ३५ मीनों को तथा ३५ हरिजनों को छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई। यह छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है और शेष को छात्रवृत्ति न मिलने का कारण संभवतय आवश्यक शर्तों की पूर्ति न होना होगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आवश्यक शर्तें क्या हैं, क्या यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सर्टिफिकेट वगैरा पेश करने पर समाज कल्याण विभाग देता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : हैड मास्टर को लिखा था क्योंकि वही देते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह हैड मास्टर का फर्ज नहीं है, एप्लीकेशन देने वालों का फर्ज है कि वे आवश्यक सर्टिफिकेट पेश करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : हैड मास्टर का वेरिफिकेशन लैटर पर होता है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हैड मास्टर के रूबरू पेश न करे तो हैड मास्टर की ड्यूटी थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दयाकृष्ण विजय।

शाहबाद तहसील में द्वितीय श्रेणी फौजदारी अधिकार प्राप्त तहसीलदार की नियुक्ति

३१८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि शाहबाद तहसील, जिला कोटा में आज तक द्वितीय श्रेणी फौजदारी अधिकार प्राप्त तहसीलदार नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार 'सस्ता तथा सुलभ न्याय' के सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए शाहबाद में द्वितीय श्रेणी फौजदारी अधिकार प्राप्त तहसीलदार को भेजने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं। पर कुछ समय से ऐसे अधिकार प्राप्त जो तहसीलदार वहां थे वे छुट्टी पर हैं।

(२) छुट्टी से लौटने पर यह समस्या आप ही सुलझ जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह।

बाड़ी हाई स्कूल में विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध

३८२. **श्री सूबेदारसिंह** (बाड़ी—डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) इस साल मिडिल क्लास में बसेड़ी, सरमथुरा, सैंवऊ, तसीमें, बसइनबाव, अब्दुलपुर के स्कूलों में कितने लड़के पास हुए ? स्कूलवार संख्या बतावें।

(२) इन स्कूलों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से बाड़ी हाई स्कूल में कितने विद्यार्थी भर्ती किये गये ?

(श्री सूबेदारसिंह)

(३) जो विद्यार्थी नवीं क्लास में भर्ती न हो सके उनके भविष्य के संबन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

(४) क्या यह सही है कि इस साल कस्बा बाड़ी में छठी कक्षा में ८० विद्यार्थी भर्ती नहीं किये गये ? यदि हां, तो इन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

(५) क्या इस समय बाड़ी हाई स्कूल में स्टाफ कम है तथा वहां साईन्स व बाइलॉजी के अध्यापक हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : बसेड़ी से ३ सरमथुरा से २०, सेवऊ से १३, तलीमों से १६, बरइनबाद से १७, अब्दुलपुर से २३ ।

(२) २५ विद्यार्थी ।

(३) स्थानाभाव के कारण जिन विद्यार्थियों को ९ वीं कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था उन्होंने किन्हीं अन्य स्कूलों में अपना प्रवेश पा लिया होगा ।

(४) ६ कक्षा में जो जो विद्यार्थी प्रवेश चाहते थे उन सब को प्रवेश अब दे दिया गया है ।

(५) साइन्स व बाइलॉजी के अध्यापकों का प्रबन्ध शीघ्र ही कर दिया जावेगा । अन्य विषयों में बजट से भी ३ अतिरिक्त अध्यापक कार्य कर रहे हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ८० विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल रहा था उनका क्या हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां जगह नहीं थी इसलिये उन्होंने दूसरी जगह एडमिशन ले लिया है । सभी ९वीं में एडमिशन चाहते हों, ऐसी बात नहीं है, बहुत से छोड़ भी देते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : आपने प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर में कहा था कि मना नहीं किया और आपके प्रश्न में ८० को मना किया जा रहा है, इसका क्या कारण है ? इसमें कॉन्ट्रीडिक्शन नहीं है । उस प्रश्न में छठी कक्षा की बात थी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बेनीराम गेहलोत ।

चौधरियान को दिया जानेवाला पिचोतरा (सवाय) जिला पाली

३८३. **श्री बेनीराम गहलोत** (खारची): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः–

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में चौधरियान को पिचोतरा (सवाय) दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो सोजत, खारची, व देसूरी तहसीलों में कितना २ दिया गया है ?

(३) उपरोक्त पिचोतरा कौन से साल का कितना प्रतिशत व किस कानून के अन्तर्गत दिया गया है ?

(४) क्या सरकार ने इस विषय में कोई रूल्स बनाये हैं ? यदि हां, तो वे रूल्स क्या हैं और उपरोक्त पिचोतरा क्या इन रूल्स के माफिक दिया गया है ?

(५) सरकार ने चौधरियान को पिचोतरा कौन से साल से दिया जाने का निश्चय किया है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री सम्पतराम): (१) जी हां।

(२) सोजत व खारची में पांच, पांच हजार रुपये व देसूरी में ६,०००रु० की धन राशि दी गई है।

(३) नम्बरदारी के नियम (१६५८) के अनुसार ५ प्रतिशत दातव्य हैं परन्तु १६५८-५६ में इस मद में जो धनराशि उपलब्ध थी वह संवत् २०१३ की दी गई है।

(४) जी हां, रूल्स बनाये गये हैं, रूल्स की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं। हके नंबरदारी इन्हीं नियमों के अनुसार दिया जा रहा है। नियमानुसार जो रकम बाकी रहेगी वह इस वर्ष के प्रावधान से दे दी जावेगी।

[नियमों की प्रतिलिपि राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है]

श्री बेनीराम गहलोत : संवत् २०१३ में पिचोतरा दिया है वही हर इन्कम पर दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री सम्पतराम : यदि कम है तो रुपये कम दिये होंगे इसलिए दिये होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

सार्वजनिक कुंए के निर्माण के लिये दी गई धनराशि, ग्राम भोमियान, तहसील चिड़ावा

३८४ **श्री लच्छूराम** (मंडावा) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि खंड विकास अधिकारी, सूरजगढ़ ने श्री गोकल पुत्र श्री अर्जनराम, गाँव भोमियान, तहसील चिड़ावा को ३००० रु० सार्वजनिक कुँओं के निर्माण के लिये मई, १६५८ में दिये थे।

(२) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति को इसी कुँए की तकावी के ३००० रु० खंड विकास अधिकारी, सूरजगढ़ ने मई, सन् १६५८ में दिये थे ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त गांव में केवल २५० जनसंख्या है व पहले से ही २ कुँऐ सरकारी सहायता से बने हुए हैं ?

उप मंत्री, विकास : (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। ३,०००) रु० तकावी के श्री गोकल को सिंचाई के कुँए के लिए दिये गये।

(३) इस ग्राम की जन संख्या ३७३ है। ब्लॉक से कोई सहायता नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल।

३८५. **श्री नाथूलाल करोल** (लालसोट-सु):

श्री लच्छूराम : पहले प्रश्न के लिए आपने जी नहीं' कहा। यह बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न में मैंने दो बातें पूछी हैं, एक सार्वजनिक ऋण दिया गया है और दूसरा उस कुँए के लिए तकावी दी गई। आपने जो कहा है, वह किस आधार पर कहा है ?

श्री सम्पतराम ; मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है जी नहीं। सिर्फ ३,००० रुपया तकावी

Page No.29

(श्री सम्पतराम)

के रूप में सिंचाई के कुँए के लिए दिया है, पीने के पानी के कुँए के लिए नहीं दिया है।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि कलेक्टर झुंझुनूं ने इस मामले में जांच की है और वह मामला सेटल नहीं हुआ है? इस कुँए के लिए दो तरह के रुपये दिये हैं एक तकावी के और दूसरे सार्वजनिक ऋण के।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य यह बात स्पष्टतया समझ लें, मैंने यह उत्तर दिया है कि विकास विभाग द्वारा ड्रिंकिंग वाटर के वेल के लिए रुपया नहीं दिया गया है। हो सकता है कि दूसरे विभाग से कुँए के लिए सहायता दी गई हो।

श्री लच्छूराम : यह निश्चित बात है कि तकावी दी गई है और सार्वजनिक ऋण भी दिया गया। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय उपमंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच की जाय। इस कुँए पर दो रकम दी गई हैं जब कि इस गांव की आबादी २५० की है और गवर्नमेंट से जो सार्वजनिक रकम मिली उससे वहां पहले से दो कुँए बने हुए हैं। इसके अलावा तीसरा कुँआ बनाने के लिए रकम दी गई है। ६,००० रु० की रकम एक आदमी को दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि जल बोर्ड से रुपया दिया गया हो, हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी से रुपया दिया गया हो। जहां तक विकास विभाग का ताल्लुक है, उससे कोई रकम ड्रिंकिंग वाटर वैल के लिए नहीं दी गई। एक कुँए के लिए ३,०००) रुपये दिये गये हैं जो सिंचाई का कुँआ है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या इस कुँए के लिए दूसरे विभागों से ऋण दिया गया है? एक तो इसके लिए तकावी दी गई है। क्या विकास अधिकारी द्वारा और रुपया दिया गया है? जिस कुँए को आपने तकावी दी है क्या उस कुँए को अन्य प्रकार का ऋण मिला है ब्लॉक एरिया से?

श्री सम्पतराम : यह हो सकता है, यह सिंचाई का कुँआ है, तो खाद वगैरह दी गई हो।

श्री गिरधारीलाल : सिंचाई का कुँआ है उसके लिए तकावी दी गई है। यह क्वेश्चन साफ है, इसका जवाब आपने 'जी नहीं' दिया। तकावी के अलावा और कोई ऋण दिया गया है या नहीं?

श्री सम्पतराम : मेरा उत्तर साफ है, 'जी नहीं' ३,०००) रुपया तकावी का दिया गया है। इस उत्तर के पश्चात् और प्रश्न की गुंजाइश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल।

तकावी वितरण, तहसील चाकसू

३८५. श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(श्री नाथूराम करोल)

(क) तहसील चाकसू हेतु गत वर्ष यानि १६५८-५६ में तकावी के कितने रुपये मंजूर हुए थे ? उनमें से कितने रुपये लेप्स हुए व उसके क्या कारण हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि तकावी के प्रार्थना-पत्र जो तामील होने के लिए लैंड रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स के पास भेजे जाते हैं वे काफी अर्से तक भी वापिस नहीं आते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(ग) गत वर्ष सन् १६५८ की कितनी ऐसी फाइलें तकावी की तहसील हाजा में पड़ी हुई हैं, जिनमें रुपया नहीं दिया गया और रकम लैप्स हुई ?

(घ) सन् १६५६ में और कितने प्रार्थना-पत्र तकावी के रूप में आये हैं और कितनी रकम इस तहसील को मिली है और वह कितने अर्से में बांट दी जावेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (क) तहसील चाकसू में गत वर्ष यानि १६५८-५६ में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में १५,५०० रु० व रेवेन्यू तकावी में ४,७०० रु० तकावी के मंजूर हुए । इसमें से कोई रकम लैप्स नहीं हुई ।

(ख) यह सही नहीं है । यदि किसी कारण से पूरी सूचना प्राप्त नहीं होती तो कागजात वापिस पूरी तकमील कराने हेतु भेजे जाते हैं ।

(ग) गत वर्ष सन् १६५८ में ६ तकावी की फाइलें तहसील में रह गई थीं । उनके बजट में रकम न होने के कारण अदायगी नहीं की जा सकी ।

(घ) सन् १६५६ में ३५ और प्रार्थना-पत्र तकावी के लिए प्राप्त हुए । इस वर्ष इस तहसील को ५,७०० रुपये इस मद में मिले हैं और माह सितम्बर तक यह रुपया बांट दिया जावेगा ।

श्री नाथूलाल करोल : किस आधार पर आपने कहा कि रकम लैप्स नहीं हुई ?

श्री सम्पतराम : सूचना के आधार पर ।

श्री नाथूलाल करोल : क्या सरकार इस बात के लिए इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार है कि वह ४,०००) रु० की रकम कलेक्टर ने सरेन्डर की है ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं, इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता नहीं हो सकती । माननीय सदस्य को कुछ भ्रम रह गया है । शुरू में ६,०००) रुपया तहसील को दिया गया । बाद में कलेक्टर ने तहसीलदारों की मीटिंग बुलाई और जानकारी चाही कि प्रत्येक तहसील में जो-जो रकम तकावी के रूप में दी गई है उसकी क्या प्रोग्रेस है, कितना खर्च किया है, कितना बाकी है, कितना खर्चा होगा और कितना बाकी रहेगा । उस आधार पर ४,३००) रु० दूसरी तहसील को दिये गये और ४,७००) रु० उस तहसील में खर्च किये गये । हो सकता है आपको भ्रम हो कि ओरिजिनल ६,०००) रु० का अलॉटमेन्ट हुआ था, तो ४,७००) रु० कैसे खर्च हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज पटेल ।

सवाई माधोपुर के अध्यापकों व एस०

Page No.31

डी० आईज का फिक्सेशन

३८६. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (गंगापुर-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सवाई माधोपुर जिले के कितने अध्यापकों व सब डिप्टी इन्सपेक्टर्स का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है तथा इनमें से कितने अध्यापक व एस० डी० आईज दिसम्बर १९५५ तक रिटायर हो गये हैं ? एक सूची मय नाम व पोस्ट के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या उक्त रिटायर्ड व्यक्तियों को सलेक्शन ग्रेड मिल चुका है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : ३१ अध्यापक और एक एस० डी० आई० दिसम्बर १९५५ तक रिटायर हो चुके हैं। इनकी सूची मय नाम व पोस्ट के सदन की मेज पर रख दी गई है।

इन रिटायर्ड व्यक्तियों को सलेक्शन
ग्रेड नहीं मिला है।

[कृपया परिशिष्ट ६ देखिये]

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): वह जो ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज पटेल। He is putting questions.

श्री पृथ्वीराज पटेल : इनको सलेक्शन ग्रेड मिल जायेगा क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मुझे समझा कर कहें, तो उत्तर दे दूँ। मैं समझा नहीं।

श्री पृथ्वीराज पटेल : इनको सलेक्शन ग्रेड कब तक मिल जायेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सलेक्शन ग्रेड नहीं, यूनीफाइड व रेशनल पे स्केल्स का डिफरेन्स होगा वह मिलेगा। सलेक्शन ग्रेड सीनियोरिटी और मेरिट्स देख कर देते हैं। जो रिटायर हो गये हैं उनको मिलने की गुंजाइश नहीं है। दूसरे व्यक्तियों को मिल जायेगा।

श्री पृथ्वीराज पटेल : कब तक मिल जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : कब तक मिल जायेगा, आखिरी कह दीजिये ना।

(हंसी)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुछ मामले हैं जिनमें रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस तरह के केसेज बचे हुए हैं। वैसे ज्यादातर केसेज तय हो गये हैं। बाकी में काफी तकादा किया जा रहा है डिपार्टमेन्ट की ओर से और मेरे ख्याल से जल्दी तय होंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : जिनके नाम दिये गये हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है, उनको कब तक मिल जायेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया जो कुछ मामले अटके हुए हैं वे या तो ऑब्जेक्शन के कारण हैं या किसी में सर्विस बुक नहीं मिल रही है, किसी में कुछ है, इस तरह के चन्द मामले पड़े हुए हैं राजस्थान भर में। बाकी के तय हो चुके हैं। इनका तकादा किया जा रहा है कि जल्दी फैसला किया जाय।

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा) : रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो तो क्या करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नये रेकॉर्ड बनाने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न संख्या ३८७

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सतवन्तकौर।

गंग नहर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को वितरित की जानेवाली ज़मीन

श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि गंग कैनाल कॉलोनी व भाखरा क्षेत्र में पुराने सैनिकों को जो भूमि एलाट की जा रही है उसके लिये कमिश्नर बीकानेर द्वारा यह हिदायत जारी की गई है कि भूमि अलॉट करते समय जिन लोगों के डिस्चार्ज सर्टीफिकेट पर राजस्थान से बाहर का पता लिखा हुआ है, उन्हे भूमि न दी जावे ?

(ख) क्या यह सच है कि इस कारण से ऐसे बहुत से व्यक्ति जो राजस्थान में पिछले २० वर्ष से रह रहे हैं या ऐसे शरणार्थी जो पाकिस्तान से आकर उस क्षेत्र में बसे हुए हैं वे भूमि पाने से वंचित रह गये हैं ?

(ग) क्या सरकार उनको भूमि दिलाने का प्रबन्ध करेगी ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) :

(क) जी नहीं। इस विषय में कमिश्नर के कार्यालय द्वारा कोई नई आज्ञा नहीं दी गई बल्कि राजस्थान कॉलोनाइजेशन गंग लैंड पर्मानेन्ट अलॉटमेंट रूल्स के नियम ३ की उपधारा ७ के अनुसार केवल वेही सैनिक जमीन पाने के हकदार नियत किये गये हैं जो राजस्थान के निवासी हैं। कमिश्नर बीकानेर ने इस सम्बन्ध में कलेक्टर गंगानगर का ध्यान इस ओर दिलाया था।

(ख) जी नहीं। भाखरा क्षेत्र में इस विषय में अलग नियम भाखरा प्रोजेक्ट एक्स मिलिट्री पर्सनल अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेन्ट लैंड्स रूल्स, १९५५ के अनुसार सैनिकों को अलग अलग व्यक्तिगत रूप से जमीन नहीं मिल सकती बल्कि उनकी सहकारी संस्था को ही जमीन दी जा सकती है, अतः जो व्यक्ति उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत जमीन पाने के अधिकारी नहीं हैं उन्हें जमीन नहीं दी गई। शरणार्थियों को जमीन देने के लिये नियमानुसार कोई रुकावट नहीं हैं और उन्हें नियमानुसार जमीन दी गई है।

(ग) उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती सतवन्त-कौर : क्या यह सही है कि जो बच गये हैं उनको कहा जाता है कि इधर के रहने-वाले नहीं हो इसलिए जमीन नहीं दी जाती ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि अगर रूल्स के खिलाफ कोई अलॉटमेंट उन्होंने किया है तो नियमानुसार जमीन पाने का अधिकार है। अगर किसी पर्टीक्यूलर केस में इस प्रकार की बात हुई है तो अपील कर सकते हैं। माननीय सदस्या उन्हें एडवाइज करें कि सेक्रेटेरियट में रिवीजन कर दे। अगर गलत बात होगी तो हम देख लेंगे।

Page No.33

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर-ब) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ३५६ का उत्तर दे दिया जाय, यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है ।

उप मंत्री, शिक्षा. (श्री पूनमचन्द बिश्नाई) : इसका मैं उत्तर दे चुका हूं । मैंने कहा है कि इसकी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी । इसका अगली टर्न पर उत्तर दे दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर दे दिया जाय तो अच्छा रहे ।

श्री उपाध्यक्ष : किसका ?

श्रीमुरलीधर व्यास : श्री मूलचन्द डागा का ।

श्री उपाध्यक्ष : ३७८ ।

अल्प बचत योजना

३७८ **श्री मूलचन्द डागा** : (पाली - श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) द्वारा पूछा गया) : क्या अर्थ मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

अल्प बचत योजना के लिए सरकार की ओर से कितने कर्मचारी नियुक्त हैं और इस योजना पर सालाना कितना व्यय होता है ?

उपमंत्री, अर्थ विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अल्प बचत योजना के लिये सरकार की ओर से नियुक्त कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है -

१. विशेष अधिकारी	१
२. अतिरिक्त विशेष अधिकारी	१
३. डिविजनल अधिकारी	२
४. अल्प बचत योजना प्रसार अधिकारी	२२
५. स्टेनोग्राफर	१
६. पब्लिसिटी असिस्टेन्ट	१
७. वरिष्ट लेखक	२
८. कनिष्ठ लेखक	८
९. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	९
योग	४७

अल्प बचत संगठन पर १९५९–६० में होनेवाला व्यय आय व्ययक अनुमान राजस्थान (हिन्दी संस्करण १९५९–६० के पृष्ट ४७७,७८ पर दिया हुआ है जो निम्न प्रकार है :-

योग १,७७,०००

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

इसमें से भारत सरकार द्वारा देय प्रचार व्यय (-) ७५,०००

भारत सरकार द्वारा देय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा अन्य व्यय को घटाने पर (-) १०,२००

बाकी खर्चा रहता है ६१,८००,

श्री मुरलीधर व्यास : अल्प बचत योजना पर जितनी धन राशि प्राप्त होती है, इतना रुपया आता है उसके ब्याज के रूप में भी निकल सकता है कि नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जितना रुपया इकट्ठा किया जाता है २।३ राजस्थान में खर्च कर दिया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न यह है कि जितना रुपया खर्च करते हैं और जितना आता है उसका ब्याज भी निकल सकता है कि नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह अलग प्रश्न है। आपने अधिकारियों के बारे में पूछा वह बता दिया कि इतने अधिकारी हैं। आपने बजट के बारे में पूछा वह बता दिया। ब्याज के बारे में आपने प्रश्न नहीं पूछा। अब यहां बैठ कर ब्याज निकालूँ, यह तो संभव नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : बजट ज्यादा है इसलिए पूछता हूं कि ब्याज निकल सकता है कि नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह बजट तो आपने ही यहां बैठ कर पास किया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान में एक्स-सर्विसमेन और सिविलियन जिन्होंने सामरिक सेवा की

१. मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) How many ex-servicemen and civilians are there in Rajasthan who rendered War Service during the period 3. 9. 39. to 1. 4. 46 ?

(b) How many of such ex-servicemen and civiliars have been employed in Government jobs ?

(c) Have the War Services rendered by the ex-servicemen and civilians now employed in Government jobs, been counted towards their pension, promotion and increment of pay ?

(d) Has the Government given any concession and facilities to the ex-servicemen and civilians with approved War Services, for employment in civil jobs, under the Government ?

(श्री फतेहसिंह)

(e) Is it a fact that ex-servicemen and civilians, employed in Government jobs, have been allowed to count the period of War Service upto a maximum of five years ?

(f) Has the Government relaxed the age limit of the ex-servicemen and civilians with approved War Service, for emplorment in civil jobs under the Government ?

(स्थगित किया गया)

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : On a Point of order, Sir Should or should not the reply of the unstarred question be made available to the House and the Members. There is one unstarred qunestion in my name for today. The written reply has not been made available.

श्री उपाध्यक्ष : The reply has not been received from the Government, as soon as it is received it will be sent to you.

मेजर श्री फतेहसिंह : But, Sir, the notice was given on 12. 6. 59. So far as part (a) and (b) are concerned it may take time but part (c) should not have taken any time atall. This is a matter of rules which may be available in the office of the Government.

श्री उपाध्यक्ष : Well, the Government has not sent the reply and I am riously pressing for the reply...

मेजर श्री फतेहसिंह : I shall again request the Chair to get a reply as early as possible.

श्री उपाध्यक्ष: I assure the Hon'ble Member to get the reply as soon as possible.

मेजर श्री फतेहसिंह : Thank you.

श्री रामकिशन भांबू (नोहर) : मेरा एक जरूरी प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न है उसको स्टार्ड क्वेश्चन में ले लिया है। गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं आया है इसलिए....

श्री रामकिशन भांबू : मैंने तो आपसे जवाब मांगा है, गवर्नमेंट से नहीं मांगा है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो कोई जवाब नहीं देता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इनका मतलब यह है कि नहीं आया है तो आपसे ही कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आया इसीलिए मैंने इसको स्टार्ड क्वेश्चन्स में लिया है ताकि गवर्नमेंट इस फ्लोर पर जवाब दे सके।

श्री रामकिशन भांबू : कितने रोज में जवाब मिल जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये, जवाब कितने दिन में मिल जाएगा यह तो अभी कैसे बताऊं ?

सरकारी तथा गैर सरकारी माध्यमिक एवं हायर सेकेण्डरी अथवा हाई स्कूल्स

२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राज्य के प्रत्येक जिले में सरकारी तथा गैर सरकारी कितनी कितनी माध्यमिक एवं हायर सेकिण्डरी अथवा हाई स्कूल्स हैं ?

उत्तर

सूची संलग्न है।

[कृपया परिशिष्ट ६ देखिए]

सोजत सब-डिविजन के खातेदार तथा गैर खातेदार कृषकों का लगान

३. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सोजत सब–डिविजन के किन किन गांवों में खातेदार व गैर खातेदार कृषकों का लगान अलग अलग मुकर्रर है ?

(२) सोजत सब-डिविजन के उक्त गांवों में उन कृषकों से जो १५–१०–५५ को या उससे पहले से काबिज थे गैरखातेदारी दर से लगान वसूल किया गया ?

(३) अगर हां, तो सन् १६५५ से सन् १६५६ तक उक्त गांवों के उन कृषकों से गैर खातेदारी दर से कितना लगान वसूल किया गया या मांगा गया व उक्त कृषकों से उक्त जमीन का सन् १६५५ से १६५६ तक खातेदारी दर से कितना लगान वसूल तलब होता है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कृषक जो १५–१०–५५ या उससे पहले से जिस जमीन पर बहैसियत कृषक काबिज हैं उस जमीन का ता० १५–१०–५५ के बाद केवल खातेदारी दर से ही लगान देने के अधिकारी हैं ?

उत्तर

(१) सोजत सब–डिविजन की तहसील खारची व सोजत में जो खालसे के ग्राम थे उनमें सेटलमेन्ट पहले हुआ है और मिसल बन्दोबस्त में बापी व गैर बापी की लगान की रेट अलग अलग नियत हैं। उन ग्रामों के नाम ये हैं :

तहसील सोजत : १. सोजत चक नं० १ व २, २. बासणी मघा, ३. धीनावास, ४. हींगावास, ५. ब्रटेलाव, ६. सरदार समद, ७. चंदेलाई, ८. शिवपुरा, ६. शोबड़ावास, १०. खामल, ११. बीजपुर, १२. बासणी, १३. बासणी सुरायता, १४. नवा गांव, १५. पोटलिया, १६. चाडासनी, १७. चोपड़ा, १८. ढाणी अबराई, १६. अटपड़ा, २०. उदेसी-कुआ, २१. मुरडावा, २२. देवली कलां, २३. खारीया, २४. केलवाद, २५. सीमर वादा, २६. बासणी जोधराज।

तहसील खराची : १. हेमलियावास कला, २. जोगड़ावास, ३. गजकियावास खुर्द, ४. लोलावास, ५. बाजार खारची, ६. सीयाना, ७. बनियामाली, ८. चाडियाखालस, ६. बन्ता खालसा, १०. मीमालिया, ११. सेलावास, १२. हमीरवास, १३. राजोला

Page No.37

(श्री तेजाराम गहलोत)

खुर्द, १४. खारण, १५. त्रोरीमादा, १६. एडमालरा, १७. मीनियावास, १८. गुढा भमावता, १६. बारडी, २०. जाडन, ११२, २१. जोड़ दड़ोड, २२. भगोदा, २३. रीसो-रिगीया, २४. टाकरवास, २५. बड़ी।

(२) जी हां २०१४ तक गैर खातेदारी दर से वसूली की गई तथा २०१५ से काश्त-कारों के खातेदार दर्ज होने पर खातेदारी रेट से वसूली की जा रही है।

(३) सन् १६५५ से १६५६ तक ४२,६४६.१४ नये पैसे सोजत व १८,३८४ रु० तहसील खारची में गैर खातेदारी दर से वसूल किये गये। सन् १६५५ से १६५६ तक सोजत तहसील में—२४,४६१.६६ न० पै० व खारची तहसील में ६५३६ रु० खातेदारी दर से होता है।

(४) जिस तिथि से वे खातेदार घोषित किये गये उस तिथि से खातेदारी दर से लगान देने के अधिकारी हैं।

राजस्थान निर्माण के उपरान्त सरकार द्वारा जोधपुर नगर में भवनों की खरीद तथा उनकी मरम्मतों में व्यय की गई धन राशि

४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान राज्य के निर्माण के बाद जोधपुर शहर में सरकारी खर्चे पर कुल कितने मकानात कितनी कितनी कीमत पर खरीदे गये तथा उनकी मरम्मत व आॅल्ट-रेशन एण्ड एडीशन्स में कितना कितना खर्चा किया गया ?

उत्तर

राजस्थान राज्य के निर्माण के बाद जोधपुर शहर में सरकारी खर्चे पर कुल दो मकानात निम्नलिखित कीमत पर खरीदे गये :—

रेजीडेन्सी बिल्डिंग — तीन लाख रुपये में।
राजा अभयसिंहजी — एक लाख साठ हजार का बंगला रुपये में।

कुल कीमत— चार लाख साठ हजार रुपये।

उपरोक्त भवनों की मरम्मत में १३,७८५) रु० और आल्ट्रेशन व एडीशन में ४०५०) रु० खर्च किये गये।

शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं के व्यय

५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) केन्द्रीय सरकार से राज्य की किन किन शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं को प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान में रेकरिंग तथा नॉन रेकरिंग एक्सपेन्डीचर बजट के किन किन हैड्स के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया ?

(स्थगित किया गया)

Yes, Shri Satish Chandra will continue his speech.

Page No.38

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं अपना भाषण करूं मैंने कल एक एडजोर्न मोशन मूव किया था...

श्री उपाध्यक्ष : I think yesterday I happened to refer this question to the Hon'ble Member. I have ascertained the facts and I will enlighten the Hon'ble Member tomorrow.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साहब चीनी तो पाव भर मिलेगी, सागार नहीं बन सकेगा। कल जन्माष्टमी है। मन्त्रीजी को बुला कर पूछ लीजिए। कल ही तो जन्माष्टमी है। परसों तो सेर भर भी मिलेगी तो कोई मतलब नहीं या मन्त्री महोदय हाउस में ऐश्योरेंस दे दें कि पर-हैड कल सेर भर चीनी मिलेगी।

उपाध्यक्ष : हां, आप भाषण जारी करें। मैं इस मामले में तेजी से अग्रसर हो रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : यह तो कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं हो सकता, जन्माष्टमी है शक्कर नहीं मिल रही है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is for the Speaker to decide.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): If a Central Minister can resign on this issue then this question can be very well raised here.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Please Order.

विधायी कार्य।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

[प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : राजस्थान पंचायत समिति और ज़िला परिषद् बिल की धारा ३ में प्रस्तुत किये गये संशोधन के बारे में कल जब मैं अपने विचार सदन में प्रकट कर रहा था तो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मसले की ओर राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था। मैंने इस बात का आग्रह किया था कि जिन नगरपालिकाओं को पंचायत समिति में कन्वर्ट कर दिया जायेगा वहां की नगरपालिकाओं के क्षेत्र के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सरपंच और उप-सरपंच का काम करेंगे पर उन नगरपालिकाओं के क्षेत्र का एक भाग म्युनिसिपल क्षेत्र ही रहा और दूसरे क्षेत्र में पंचायत समिति बनाई गई तो जो चेअरमैन और वाइस चेयरमैन नगरपालिका के थे वे पंचायत समिति के क्षेत्र में नहीं आये म्युनिसिपल क्षेत्र में आ गये तो वहां की म्युनिसिपेलिटी में चेअरमैन और वाइस चेअरमैन बन जायेंगे पर पंचायत समिति के क्षेत्र में वे नहीं हैं तो वहां पंचायत समिति के सरपंच और उप-सरपंच कौन होंगे, कानून की इन धाराओं की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था और मैं आशा करता हूं इसके लिये वे एक आवश्यक संशोधन सदन में प्रस्तुत करेंगे।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसके साथ एक दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है नगरपालिकाओं को पंचायत समिति में कन्वर्ट करने के बारे में। मैं समझता हूं सरकार ने राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल पास किया, इसमें ८००० से ऊपर की आबादी में नगरपालिकाएं रखने का है, पहले ५ हज़ार तक होती थीं, अब ८००० तक बढ़ा दी हैं। मैं नहीं समझता ऐसा कौन से नगरपालिका के क्षेत्र हो सकते हैं जिनको पंचायत समिति का क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है? पंचायत समिति का क्षेत्र घोषित करने के बारे में मैं मान सकता था पर इस क्लॉज़ में एक बात कही है कि जहां कन्वर्सन, का क्वेश्चन होगा, इन्क्लुजन का क्वश्चन होगा, एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन होगा वहां राजस्थान गवर्नमेंट निर्देश दे सकती है। कोई प्रोसीजर नहीं, कोई रूल लेडाउन नहीं किया है, न वहां के इन्हेबिटेन्ट्स को इस बात की सूचना दी जायेगी कि आपके क्षेत्र को पंचायत समिति में कन्वर्ट किया जा रहा है आपको कोई आपत्ति हो तो पेश करो। इस बारे में मैंने कल भी निवेदन किया था।

एक सबसे महत्वपूर्ण मसला इस धारा में आता है, पंचायत समिति और ज़िला परिषद् बिल राजस्थान में लागू करने के बाद जनवरी ३१, सन् १६६१ तक आज जो पंचायतें काम कर रही हैं, उन पंचायतों का पीरियड खत्म भी होता है तो वे काम करती रहेंगी। कारण सरकार ने यह दिया है कि इस कानून की धाराओं को लागू करने, नये चुनाव कराने में राजस्थान सरकार को समय चाहिए और वह समय ३१ जनवरी सन् १६६१ तक का चाहिये। जिन पंचायतों का कार्यालय नवम्बर, दिसम्बर, सितम्बर में हो रहा है तो राजस्थान सरकार कहती है कि उनका नया चुनाव नहीं कराने जाएगा और ३१ जनवरी सन् १६६१ तक वे ही पंचायतें काम करेंगी। मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार ने ऐसी बात रख कर यह किया है कि जो पंचायतें सरकार की मर्जी के माफिक काम करती हैं, जिन पंचायतों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है उनका कार्यकाल एक दो, या चार महीने में खत्म होने जा रहा है, उनका जीवनकाल डेढ़ साल के लिये बढ़ा दिया है।

राजस्थान सरकार को चुनाव कराने के लिए समय चाहिये, कोई नया कानून आता है तो नये सेट-अप के लिये समय चाहिए। यह बात मेरी समझ में नहीं आ सकती कि सरकार यह १।। साल का समय आगे क्यों बढ़ाना चाहती है और क्यों बढ़ाना चाहिए। क्या सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन इतना इनएफिशियेन्ट है कि वह इस काम को समय में यानि ६ महीनों में पूरा नहीं कर सकता क्या ६ महीने में चुनाव नहीं कराया जा सकता। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप दो अक्टूबर के ज़िला परिषद् बिल, पंचायत समिति बिल लागू करने जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आप एडहोक बेसिस पर जिला परिषद् और पंचायत समितियों का दो अक्टूबर को उद्घाटन करने जा रहे हैं और आप कर सकते हैं तो क्या आप ६ महीनों में जिला परिषद् नहीं बना सकते। मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से चुनाव करा सकते हैं।

Page No.40

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिला बोर्ड भंग होंगे। पंचायतों का समय खत्म होने जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस बात का विचार कर रहे हैं कि पंचायतों का समय समाप्त कब हो और कब नया चुनाव हो जिसमें अयोग्य लोगों को हटाया जा सके और अच्छे लोग वहां पर आए। आप उनके लिये इस प्रकार से १।। सालका समय और बढ़ा देंगे। इसका नतीजा क्या होगा कि सरकार जिस तरह से चाहेगी, जिस प्रकार व्यवस्था लाने की कोशिश करेगी, और १।। साल के अर्से में मेनुपुलेशन और मेन्योरिंग करेगी और अपनी पार्टी को मज़बूत करने की कोशिश करेगी अन्यथा और क्या कारण है ? ६ महीनों में वेलीडेशन का बिल आ सकता है और दूसरे १०, २० नये कानून बनाये जा सकते हैं तो क्या यह चुनाव ६ महीनों के समय में नहीं हो सकता ? राजस्थान सरकार के पास इलेक्शन का विभाग है जिसके पास इलेक्शन के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं, इसके अलावा पंचायतें और डेवलपमेंट विभाग भी हैं जो इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा कोई काम उनके पास ऐसा नहीं है जो इससे रुकता हो। मगर सरकार यह कहेगी कि चुनाव जनवरी १६६१ तक नहीं हो सके इसलिए इसकी मियाद बढ़ाई जावे और मियाद बढ़ा दी जावेगी। क्योंकि आगे १६६२ में जनरल इलेक्शन आने वाले है। उस समय ये चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं। इससे पंचायतों में मेनुपुलेट करके और मेन्योरिंग करके वह अपने को ज्यादा मजबूत बना लेंगे अन्यथा ऐसा न हो कि कहीं वे चुनावों में फेल हो जावे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का नियम कोई न्याय नहीं कहला सकता। आज जिन पंचायतों का या कल जिन पंचायतों का समय खत्म होने वाला है उनको कम से कम ६ महीने चुनाव के लिए और दिए जा सकते थे मगर इस कानून के द्वारा जिन पंचायतों का कल समय समाप्त होने जा रहा है, केवल इस बात पर कि ६ महीनों में चुनाव नहीं करा सकते इसलिए इसकी अवधि बढ़ा दी जावे। इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ हो तो मिनिस्टर महोदय जो इस बिल को पाइलोट करते हैं, समझावेंगे। इसकी मियाद को ३१ मार्च, १६६० से ज्यादा किसी भी हालत में बढ़ाने के लिये इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य अपनी राय नहीं देते हैं और सभी यही कहते हैं कि किसी भी हालत में इसकी मियाद ३१ मार्च, १६६० से ज्यादा नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। मैं यह कहूँगा कि ६ महीनों में चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। मेरा और मेरे दल की ओर से यही सुझाव है कि इसको २ अक्टूबर को लागू कर दिया जावे। ६ महीनों में जितनी पंचायत समितियां और जिला परिषद् हैं उनके चुनाव पूरे हों और ३१ मार्च, १६६० के बाद सम्पूर्ण राजस्थान में, राजस्थान के कोने कोने में नये जिलापरिषद् और पंचायत राज्य राजस्थान में सभी लोगों के सामने आवेगा। मैं यह कहूँगा कि जब कभी कोई नई चीज हमारे सामने आती है तो बहुत अच्छी दिखाई देती है और लोगों में दिलचस्पी रहती है लेकिन जब कभी उनके समय को टाल देते हैं तो फिर उनका वह चार्म समाप्त हो जावेगा।

इसलिये कानून जब हमने बना दिये हैं तो हमें कानन के अनुसार काम करना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहिए। इस प्रकार एड्होक बेसिस पर टेम्पोरेरी तौर पर किसी भी पंचायत को १।। साल का समय बढ़ा देना कहाँ तक उचित होगा, मेरे समझ में नहीं आता। पंचायत एक्ट के अनुसार यदि हम पंचायत एक्ट की धाराओं को देखें तो हम पावेंगे कि किसी भी पंचायत का ज्यादा से ज्यादा कार्यकाल हम बढ़ा सकते हैं तो एक साल का समय बढ़ाया जा सकता है। मगर यहां पर आप १।। साल का समय बढ़ा रहे हैं। क्या आप इस कानून को प्रगतिशील कानून कहेंगे। आपको और हमको सभी को यह विदित है कि पंचायतों में कितना असंतोष व्यापक है और किस प्रकार के चुनाव हुए हैं। आप नई पंचायतें बनने दीजिये और नये लोगों को जो इस कार्य को करने के लिये कई वर्षों से इन्तजार कर रहे थे उनको यह काम संभालने दीजिए। आप तीन वर्षों के लिये बनी हुई पंचायतों के कार्यकाल के ४।। साल तक करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसी भावना को मद्देनज़र रखते हुए माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है और माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे कि इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जावे और ३१ मार्च, १६६० तक संपूर्ण पंचायत समितियों और जिला परिषदों का बिल्कुल वैधानिक रूप से चुनाव कराकर कार्य सारे राजस्थान में कराने की व्यवस्था करें।

माननीय उपाध्यक्ष, अब एक प्रश्न बहुत महत्व का है और वह है जुडिशियल पंचायतों के बारे में। इन न्याय पंचायतों की व्यवस्था के बारे में चीफ मिनिस्टर महोदय ने भी, जब उन्होंने उत्तर दिया, इस बात को महसूस किया कि जुडिशियल पंचायतें हों। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जो व्यवस्था है न्याय की उसको सारी जनता जानती है और यह भी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से तहसील पंचायतों में इन्साफ होता है और उनका क्या स्टैन्डर्ड ऑफ जस्टिस है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का लो स्टैन्डर्ड है वैसा सारे हिन्दुस्तान में किसी भी जगह नहीं है। आपने उनको कानूनी अधिकार दिये हैं, आपने उनको मुकद्दमें तय करने के अधिकार दिए हैं लेकिन जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि पंचायत की सारी रूप-रेखा और कल्पना और पंचायत राज की कल्पना कांग्रेस की देन है, यह तो प्राचीन काल से चली आ रही है। जो कुछ भी अधिकार हमने दिए हैं वे जुडिशियल पंचायतों को दिए जावें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर इस बात को सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखने की कोशिश करूंगा कि राजस्थान में तहसील पंचायतों को अपील के पॉवर्स नहीं होने चाहिए और जुडिशियल पंचायतों को ही अधिकार होने चाहिये और माननीय चीफ मिनिस्टर ने भी इसको माना है और समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री महोदय को इस बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है वे खुद जानते हैं कि तहसील पंचायतों के लोग किस प्रकार से न्याय करते हैं। हाई कोर्ट में जिस समय अपील गई उस समय हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा कि ऐसे मुकद्दमें में जिसमें उनके पास कोई न तो रिविजन थी न कोई अपील थी फिर भी उन्होंने अपने पॉवर को एप्लाई कर के फैसला कर दिया। यह स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दलबन्दी के आधार पर फैसले होते हैं। दल बन्दी के आधार पर लोगों को सज़ा दी जाए, लोगों को जूतों से पीटा जाए, लोगों को कोड़े लगाए जावें यह सब कहां का न्याय है। इस प्रकार का तहसील पंचायतों का स्टेन्डर्ड है। मैं यह कहूँगा कि जहाँ इस प्रकार की कार्यवाही होती है वे जरूर दलगत राजनैतिक के आधार पर काम करते हैं। वे यह समझते हैं कि फलां व्यक्ति ने मुझे वोट दिया उसका काम होना चाहिए। आज राजस्थान में जुडिशियल पंचायतें राजस्थान सरकार बनाने जा रही है। मैं यह कहूंगा कि आज राजस्थान में जुडिशियरी का मजाक होता है। मैं यह कहूँगा कि तहसील पंचायतों की मज़ाक होती है, सरपंच की मजाक होती है और इससे भी ज्यादा आगे चलकर इस प्रकार के अधिकार देने वाले माननीय मंत्री की भी मज़ाक होती है। क्या वे इस प्रकार की मजाक होने पर भी ऐसा करना चाहते हैं। कर सकते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि ऐसे कामों में सदन के माहिर लोगों को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये। इसके लिए सदन में बार बार यह मांग की जाती है और यह दलीलें दी जाती हैं उनसे यह बिल्कुल साफ है कि किसी प्रकार से चुने हुए लोग न्याय अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। जो लोग वोटों के अधिकार पर आते हैं वे लोग कभी जुडिशियल फंक्शन नहीं कर सकते। निष्पक्ष फैसला नहीं दे सकते हैं। हमको अच्छी तरह से याद है, यदि हमने किसी प्रकार के अधिकार दे दिए हैं तो उनका दुरूपयोग ही होता है। जुडिशियली इनडिपेन्डेन्ट फैसला नहीं होता। टेलीफोन आते हैं और उसके अनुसार कार्य होते हैं। यदि किसी चेयरमैन को हटाना है तो हटा दिया जाता है। यदि कहीं पर २० इंच का फासला होता है वहां पर ३० फुट का फासला बता दिया जाता है। इस सदन में कई म्युनिसिपेलिटीज के हमने उदाहरण रखे और हाई कोर्ट में कई फैसले नल एण्ड वाइड हुए हैं। मैं समझता हूँ कि एक आध हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे केसेज हैं। एक आध मामले का प्रश्न हो तो समझ सकते हैं कि हो सकता है। इसलिए यह इलेक्टेड आदमी के हाथ में कोई फैसला करने या चुने हुए आदमी के हाथ में कोई फैसला या कोई जुर्माना करने की ताकत होती है तो उसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी के मेम्बर्स इस बात की कोशिश करते हैं और जिस प्रकार की कोशिश इस युग में प्रीवेलेन्ट हैं और वे इस बात की कोशिश करते हैं कि फैसला जो कुछ हो वह उनके हक में ही हो। वे चाहते हैं कि जैसा वे कहें उसी प्रकार का फैसला हो जाय। अगर ये उनके अनुसार फैसला नहीं देते हैं तो कई बार अविश्वास का प्रश्न भी पैदा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : I think we are not speaking to the question itself.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is just an analogy to explain the point.

श्री उपाध्यक्ष : The analogy must be to the point.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is to the points, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Well, these are my observations. I hope the Hon'ble Member will please bear in mind.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन यह कर रहा था कि चुने हुए लोगों के हाथ में यदि जुडिशियरी के फंक्शन्स डिस्चार्ज करने के अधिकार दे देते हैं तो उनसे सही न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः उनका क्रिमीनल जुडिस्डिक्शन नहीं होना चाहिये। क्योंकि उनकी गर्दन पर वोटों की तलवार लटकी रहती है। इसलिए उनको जो भी फैसला करना होता है वह नाजायज़ तौर पर करना होता है। इसलिए मैंने तहसील पंचायतों के बारे मे निवेदन किया और उच्च स्तर की दलील दी थी। सरपंचों के लिए ही क्या कहें, हायर लेवल पर के डिसीजन्स भी जो देखने में आते हैं वे जुडिशियसली नहीं होते, आर्बीट्रेरी होते हैं जो पार्टी लेवल पर होते हैं। इसी संदर्भ में मैंने जुडिशियल पंचायतों की स्थापना का सुझाव दिया और भी कई माननीय सदस्यों ने भी इस बारे में अपनी भावना व्यक्त की। इसका केवल एक ही कारण है। आज के डेमोक्रेसी के युग में लोगों की भावना एक्जीक्यूटिव में नहीं है। जनता की श्रद्धा उनमें नहीं है। आज जनता यह समझने लगी है, एग्ज़ीक्यूटिव न्याय नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव की जो ताकत है उसका कितना दुरूपयोग होता है, यह बात हमारे सामने है। उसके अलावा दूसरी चीज आती है जुडिशियरी की। अगर जुडिशियरी से विश्वास हट गया तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे भले ही हमारी सरकार नाम कमा ले, हमारे राजस्व मंत्री नाम कमा लें, मुख्य मन्त्री महोदय नाम कर लें उसका अखबारों में प्रचार हो जाय कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जिसमें सब से पहले इस प्रकार का कानून पास किया गया है। लेकिन जब तक हम इसमें जुडिशियल पंचायतों का प्रोविजन नहीं रखते तो हम डेमोक्रेसी के इस पौधे में एक प्रकार का कीड़ा छोड़ देते हैं जो आगे जा कर इसकी नींव को खोखला कर सकता है। उससे होगा क्या कि लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रहेगा। जुडिशियल कोर्ट्सी में लोगों का विश्वास नहीं होगा। पंचायतों के निर्णयों के सम्बंध में हाई कोर्ट में जो रिट्स होती है उसकी संख्या अन्य मामलों से आधी है। उनका कहना होता है कि हम ३२३ के मुकदमें सुनते हैं वहां हम ३०४ के मुकदमें भी सुनने का अधीकार है। उसके लिए वे आरगूमेंट देते हैं कि ३२३ जब बाद में आता है तो उसके पहले ३०४ आता है तो वह तो सुन ही सकते हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं कि ३२३ तो मारपीट का है और ३०२ और ३०४ कत्ल की दफा होती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष मोहदय, माननीय सदस्य बहस कर रहे हैं न्याय पंचायतों के एस्टेब्लिश करने के संबन्ध में। वह इस बिल के स्कोप में नहीं आती। अगर वे यही चाहते हैं कि न्याय पंचायतों का अलग ही सेट-अप होना चाहिए तो उस प्रकार का अमेन्डमेन्ट पंचायत एक्ट में हो सकता है। इस बिल में पंचायत एक्ट का उतना ही अमेन्डमेन्ट किया है जितना कि इससे ताल्लुक रखता है, पंचायत समिति बिल से जनरल अमेन्डमेन्ट पंचायत एक्ट का नहीं किया गया है। न्याय पंचायतें ही गर एस्टेब्लिश करनी है तो then the only possible alternative is to amend the Panchayat Act, but we cannot bring in that point in this Bill. Therefore, the whole discussion about Nyaya Panchayat is not relevant to the present Bill.

श्री उपाध्यक्ष : I hope this question of separation of judiciary will not be treated as subject of your dedate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No Sir, that is not the position.

जिस क्लॉज पर हम विचार कर रहे है वह क्लॉज २ है। इस क्लॉज में लिखा है: Amendments in Rajasthan Act of 1953. That is nothing but the Panchayat Act. So we are making amendments in the Panchayat Act.

श्री दामोदरलाल व्यास : But the whole Panchayat Act is not being amended by this Bill. He can discuss only that amendment which is relevant to the present Bill. So far as the establishment of Nyaya Panchayats is concerned, there is nothing in this Bill about that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सेक्शन २७ में प्रोवीजन दिया है। जैसा कि कानून में लिखा है आपने इस कानून के पेज १० पर अधिकार दिया है, (6) A Tehsil panchayat shall hear appeals from decrees, sentences, decisions, orders and directions made, in the exercise of its civil, criminal jurisdiction, by a Panchayat within the local limits of that Tehsil Panchayat.

यह जो प्रोवीजन पेज १० पर दिया है उनके अनुसार पंचायत एक्ट की धारा २६ में अमेन्डमेन्ट किया गया है। उसके अन्दर तहसील पंचायत को अधिकार दिया है सिविल क्रीमिनल मामलात की अपील सुनेंगे। जब अपील सुनने का अधिकार देते हैं तो मेरा भी यह अधिकार है कि मैं इसको क्रिटीसाइज कर सकता हूँ कि तहसील पंचायतों को इस प्रकार के अधिकार नहीं मिलने चाहिये। मैं इसके लिये यह कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति की जो स्टेन्डिंग कमेटी बनाई गई है उसी प्रकार की कमेटी आप बना सकते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। आप पंचायत समिति की एक स्टैंडिंग कमेटी सिविल और क्रीमिनल केसेज की सुनवाई के लिये बना सकते हैं। जब दूसरे मामलात के लिये आपने स्टेंडिंग कमेटी का प्रावधान रखा है तो इस प्रकार सिविल और क्रिमिल केसेज की सुनवाई के लिये भी स्टेन्डिंग कमेटी का निर्माण किया जा सकता है। क्लॉज १६ के अनुसार उसको अपील सुनने के अधिकार स्टेडिंग कमेटी को दे सकते हैं। मेरा निवेदन करना इतना ही है कि कोई भी अपील सिविल हो या क्रिमिनल तहसील पंचायत को न देकर उसके लिये पंचायत समिति की एक स्टेडिंग कमेटी का निर्माण कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Agarwal, where is this particular clause which you are referring? Is there any amendment to this clause also? इसमें कोई अमेन्डमेन्ट है क्या? या किसी मेम्बर का है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अमेन्डमेन्ट का समर्थन भी कर सकता हूं और उसके विरोध में भी बोल सकता हूँ। मेरा केवल यही प्रश्न है कि जो अमेन्डमेन्ट आप इस क्लॉज में करने जा रहे हैं वह उचित नहीं है उस पर मैं वादविवाद कर सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Because there is no amendment, it is not desirable.

राजा श्री मानसिंह (बैर) He can make a negativing amendment without moving an amendment as such.

श्री उपाध्यक्ष : Whether he is making a negativing amendment ?

राजा श्री मानसिंह : That is for him to explain.

श्री दामोदरलाल व्यास : I may explain the position with your permission. Sir. This is not a new clause. There is already provision in the Panchayat Act which describes the jurisdiction of Tehsil Panchayat and under that provision administrative matters are also included in the jurisdiction of Tehsil Panchayat. Besides hearing of civil and criminal appeals. So by this Bill we have only taken away their jurisdiction in administrtive matters and in administrative matters the appeals will be heard by Panchayat Samities. The hearing of civil and criminal will continue to vest in Tehsil Panchayat. We are not giving any new powers to the Tehsil Panchayat, they are already there under the Panchayat Act.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात सही है इस पर्टीकुलर सब-क्लॉज के बारे में संशोधन नहीं है। जैसा कि मैंने निवेदन किया पर्टीकुलर सेक्शन के डिलीशन के बारे में या उसके समर्थन के बारे में कई बार इस सदन में ऐसा हुआ है कि कोई सुझाव राजस्व मंत्री ने यहां पर दिया, कानून तो बना दिया गया लेकिन उसको गहराई से देख नहीं पाये वैसी हालत में यदि वर्बल संशोधन भी होता है उसको भी मन्जूर किया गया है। मैं समझता हूं उसी प्रकार माननीय सदस्यों की जो भावना है हालांकि उस संबन्ध में कोई अमेन्डमेन्ट न भी हो अगर राजस्व मंत्री महोदय कन्वीन्स हो जाय कि जुडिशियल पंचायतों की आवश्यकता है, यह अधिकार तहसील पंचायतों के अधीन नहीं रहने चाहिये, यदि वे कन्वीन्स होजाते हैं तो वैसी हालत में इसी कानून में इस प्रकार का प्रावधान करना होगा। हमने पंचायत एक्ट में संशोधन किया है। वहां पर अधिकार छीने हैं और इस नये बिल में उनको सम्मिलित किया है उसी प्रकार ये जो अधिकार हैं वे भी हम इस कानून द्वारा छीन सकते हैं। पंचायत एक्ट में संशोधन किया है उसके लिये अलग कानून नहीं लाये। उसके लिये इसी कानून में संशोधन ला सकते हैं कि तहसील पंचायतें राजस्थान पंचायत एक्ट की धारा २६ के अन्तर्गत जो पॉवर्स तहसील पंचायतों को दिये गये हैं वे ये पॉवर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती।

वे आखिर अमेन्डमेन्ट आवेंगे इसमें। सेपरेट की व्यवस्था नहीं। इसमें अगर कोई लीगल बार है तो बता दें कि इस प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता था कि तहसील पंचायत राजस्थान पंचायत एक्ट के तहत जो काम करती थी वह नहीं करेंगे। इसके लिये पंचायत समिति की स्टेन्डिंग कमेटी के तीन फंक्शन्स दिये गये हैं कि Of hearing appeals against the decisions, civil and criminal, of the Panchayat. मैं समझता हूं कि यह विधान में कॉन्फीडेन्स है इसलिये लीगल और टेक्नीकल ग्राउण्ड पर जाने की कोशिश न करें। आप जावेंगे यह मैं समझता था पहले ही।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर अगर माननीय मन्त्री महोदय मेरे कहने से कनविंस हैं तो मैं फिर पूरी तरह से कनविंस करना चाहता हूं कि इस कानून के अन्तर्गत संशोधन लाया जा सकता है। स्टेन्डिंग कमेटी को अधिकार देने होंगे पंचायत समिति इस कानून से बना रहे हैं इसलिये। यह संशोधन इस कानून में आ सकता है। इस वक्त भी समय है आप सोच लें विचार लें, गम्भीरता से इस पर विचार करलें। यह उपयुक्त समय है। इसी जगह संशोधन लाया जा सकता है। यह हो सकता है स्टेन्डिंग कमेटी के कॉन्स्टीटयूएन्सी में इतनी ज्यादा इन्टरफीयरेन्स न हो सकती हो। पर इन सब चीजों से थोड़ा ऊंचा उठकर सोचना है। जूडीशियरी के सेपरेशन का सवाल नहीं है। रूपवास से आने वाले, सीकर से आने वाले और अन्यान्य जगहों से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी इसकी ताईद की है कि स्टेन्डिंग कमेटी को अधिकार देने चाहिये तो मैं फिर निवेदन करूंगा कि टेक्नीकलिटी में न जावें वे गम्भीरता से विचार करें। तहसील पंचायतों ने कोई स्वास्थ परम्पराएं कायम नहीं की हैं। यह सही है कि सरकार से भी गलतियां होती हैं और राजस्थान हाई कोर्ट उनकी तरफ इशारा भी करता है, ऐसे उदाहरण आये हैं। पर पंचायतों का स्तर पर तो कोई हिसाब नहीं है। उस सारी परिस्थिति में वे स्वयं समझते हैं राजस्व मन्त्री महोदय। वे विचार करें और आवश्यक संशोधन इसी कानून में लावें।

इसके अलावा एक बात म्यूनिसिपैलिटी के कनवर्शन के बारे में है। मैं समझता हूं कि पुराने कानून में दोनों में एक दूसरे का क्षेत्र नहीं बन सकते। यह बात अलग है कि कहीं इस प्रकार की गड़बड़ की गई हो। जैसे पीपाड़ सिटी में हुई। म्यूनिसिपल एरिया घोषित किया गया। कहा गया कि म्यूनिसिपेलिटी के इलेक्शन होंगे। इसके बाद राजस्थान की सरकार और जोधपुर के कलेक्टर महोदय चुनाव करा रहे हैं पंचायत का। लोगों ने आपत्तियां की। हाई कोर्ट में रिटी-पिटीशन की और जजमेन्ट दिया गया कि जिस एरिया को म्यूनिसिपल एरिया घोषित कर दिया, पंचायत के चुनाव नहीं कराये जा सकते। बावजूद इसके कि चाहे मन्त्री महोदय कहें या सत्तारूढ दल के आदमी चाहें। वह पंचायत के चुनाव सैट असाइड हुए।

मैं समझता हूं आज राजस्थान की सरकार म्यूनिसिपेलिटी को पंचायत और पंचायत को म्यूनिसिपेलटी बनाने जा रही है। जैसे सड़क पर खड़ा बाजीगर आदमी को बन्दर और बन्दर को आदमी, आदमी को कबूतर, कबूतर को आदमी और आदमी को गधा और गधे को आदमी जैसे बनाता है चौराहे पर खड़ा होकर तो क्या उसी तरह का राजस्थान की सरकार राजस्थान में यह तमाशा दिखाना चाहती है कि किसी भी नगरपालिका को पंचायत क्षेत्र घोषित कर दिया और पंचायत क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर दिया। इससे क्या होगा और होगा कैसे? मैं बतादूं। ऊपर से देखने में आसान है, पर कानूनी बारीकियों में जावेंगे तो मालूम होगा कि इसमें क्या है सरकार कह देगी हमने कह दिया किसी भी नगरपालिका के क्षेत्र को अलग कर सकते हैं। मैं उदाहरण देकर समझाऊँ। कोई नगरपालिका है, उसका समय अक्टूबर में समाप्त होने जा रहा है और इसके क्षेत्र

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में चार आदमी जनसंघ के हैं और मान लीजिये तीन आदमी या चार आदमी कांग्रेस पार्टी के हैं। उस इलाके में अब क्या करेगी यह सरकार। नगरपालिका का समय खत्म हो रहा है अक्टूबर में और सारे मेम्बर तब घर पधारेंगे। इसलिये सरकार ने कह दिया कि जिन वार्डों से कांग्रेसी मेम्बर चुन कर आये हैं वे वार्ड आसपास पंचायत दरिया या टाखियों के गांवों में मिला दिया जाता है और उसे पंचायत समिति के साथ जोड़ा जाता है। अब उस वार्ड के चार कांग्रेसी सदस्य तो १॥ साल के लिए और बने रह गये और बाकी के चार अक्टूबर में अपने घर बैठ गये। अब इसका कोई प्रोसीजर ले डाउन नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई पब्लिकेशन नहीं। न ओब्जेक्शन इन्वाइट करेंगे। राजस्थान की सरकार जिस तरह से करना चाहेगी, करेगी। वहां के नागरिक इस परिवर्तन को चाहते हैं या नहीं इसकी चिन्ता करने की सरकार ने जरूरत नहीं समझी। मन्त्री महोदय या सत्तारूढ़ गुट्ट के आदमी चाहते हैं इसलिये वह सब हो जावेगा और इस तरह से उनका डेढ़ साल का पीरियड बढ़ा देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के प्रोवीजन कानून में रखना और फिर कहना कि इससे बढ़कर प्रोग्रेसिव कानून नहीं हो सकता यह किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने की दृष्टि से सही हो सकता है। पर इस प्रकार के आर्बीट्रेरी और रिएक्शन प्रोवीजन रखना और फिर कहना कि प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील कानून है, उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे राजस्थान में अराजकता पैदा हो जावेगी और गांव गांव में, श्रेणी-श्रेणी में और कस्बे कस्बे में आपके ऐसे अत्याचारों के विरूद्ध सारी जनता जाग उठेगी।

वह अराजकता की स्थिति हम लाना नहीं चाहते हैं, हम राजस्थान में शांति पैदा करना चाहते हैं। इसलिए राजस्थान के मंत्री मण्डल के सदस्य माननीय राजस्व मंत्री महोदय को, जो कि बहुत गंभीरता के साथ मेरे विचारों को सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें और जैसा मैंने पहले एक संशोधन रखा वह उन्होंने माना ऐसी मेरी जानकारी है और मैं समझता हूं कि उसके बारे में एक आवश्यक संशोधन माननीय मंत्री महोदय सदन के सामने रखेंगे। रेवेन्यू का कुछ हिस्सा हमने पंचायतों को दे दिया। पंचायत समितियों को लैण्ड रेवेन्यू का कुछ हिस्सा दिया है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों को ऐसे अधिकार भी तो दिए कि उसकी हमें आवश्यकता इसलिए हुई कि क्योंकि आज हिन्दुस्तान के अन्दर प्रोडक्शन कम है, राजस्थान के अन्दर प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन ऑफ फूड्ग्रेन्स और खाद्य पदार्थों की आज बहुत कमी है इसलिए हमने यह सारी योजनायें बनाई है। लेकिन आपने इस कानून में लिख दिया कि कैश क्राप के ऊपर पंचायत समितियां टैक्स लगा सकती है और वह कैश क्राप्स कौन कौन सी होंगी वह होंगी मिर्चा, जीरा, मूंगफली, सुगरकेन। इनको आपने कैश क्राप माना है। आप सोचिये हमारे राजस्थान में गन्ना कहां होता है, बहुत कम क्षेत्र ऐसा है जहां गन्ना पैदा होता है। राजस्थान में गन्ना कहां होता है राजस्थान में तो कीकर खड़ी हुई है। राजस्थान के किन्ही कुछ भागों में मूंगफली होती है, किन्हीं

Page No.48

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कुछ भागों में गन्ना पैदा होता है, मिर्ची होती है और वह मिर्ची जो दूसरे देशों को जाती है जो बहुत प्रसिद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : Much has been said on this question and I feel we are indulging in repetitions.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल उपाध्यक्ष महोदय, पत्थर पर जब तक रस्सी को नहीं खींचते तब तक कुछ असर नहीं होगा। And it is my conviction that if the Hon'ble Minister has to be convinced, the thing has to be repeated again and again.

श्री उपाध्यक्ष : Well, if the repetition is meant only to produce some effect on the Treasury Benches, that is otherwise, but I think it is undesirable...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If not on the Treasury Benches, atleast on the Revenue Minister, Sir. He is never convinced until and unless a thing is repeated again and again, again and again.

श्री उपाध्यक्ष : I will request you.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not personal.

श्री उपाध्यक्ष : No question of being personal, but repetitions are not adding to the debate. I expect a serious type of debate from you and I hope you are winding up the debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am trying to do so Sir.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मैंने जितनी भी मिसालें सदन के सामने रखी हैं वह कोई भी इस दृष्टि से नहीं रखीं कि मैं उनको रखना चाहता था लेकिन कुछ एक मिसाल जो कि इस धारा ३ में हैं जो कि चार पांच बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगीं उनकी ओर मैंने राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। जहां तक इन टैक्सेज के बारे में मुझे निवेदन करना है, मैं समझता हूँ कि पंचायत समिति को यह अधिकार देना कि वह जीरा, मिर्च या गन्ने या मूंगफली के ऊपर टैक्स लगाये यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं हो सकता। कॉटन के लिए हमें मालूम है कि यह राजस्थान के बहुत कम भाग में होती है। वहां टैक्स लगाया जायेगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में हमारा क्या सही तरीका होना चाहिए, पता नहीं है। आप कैश क्राप में तम्बाकू को लेते और उस पर टैक्स लगाते, अगर आपको बीड़ी, सिगरेट लोगों का पीना बन्द करना है। इसलिए पंचायत समितियों को टैक्स के पावर्स देने की बात को कोई न्यायोचित नहीं कहा जा सकता इसलिए प्रोडक्शन की चीजों के बारे में पंचायत समिति को टैक्स के पॉवर्स देने के बारे में मैं साफ साफ कहूँगा कि इसका प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। चिलीज का जहां तक ताल्लुक है और भी बहुत सारी चीजों का ताल्लुक है वह हिन्दुस्तान के बाहर जाती है तो जब वह बाहर जाती है तो उसके बदले में हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है अगर फॉरेन एक्सचेंज मिलता है तो हम और दूसरी मशीनरी वहां से मंगा सकते हैं, हम उससे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और टैक्सटाइल गुड्स खरीद सकते हैं। अगर इस प्रकार की दूरदर्शिता हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय के अन्दर होगी तो वह यह टैक्स का अधिकार पंचायत समितियों को नहीं देंगे। राजस्व मंत्री महोदय ने कहा है कि हम एन्टरटेनमेन्ट टैक्स पंचायत समितियों को दे रहे हैं और यह उनको वसूल करने का अधिकार होगा। अब यह आप देखिये कि एन्टरटेनमेंट टैक्स कहां वसूल होता है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, और बड़े बड़े शहरों में यह एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल होता है। नगरपालिका के क्षेत्रों में तो यह वसूल होता है लेकिन पंचायतों के क्षेत्रों में क्या कभी आपने कोई शो होते देखा है? क्या चौमू में कोई सिनेमाघर है, क्या कोई थियेटर हाल लगा हुआ है कहीं पंचायत क्षेत्र में? कहने को आप कहते हैं कि देखिए राजस्थान सरकार कितनी उदार है कि उसने एन्टरटेनमेंन्ट टैक्स को वसूल करने के अधिकार पंचायत समिति को दे दिए, लेकिन पंचायत समितियों के क्षेत्रों में वह वसूल होता नहीं है। वहां पर एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के लेने का कोई कारण नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, इसलिए इस तरह के टैक्सेज़ को देने से कोई लाभ नहीं होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में एक बात की ओर माननीय राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। वह बात है पंचायत समितियों के अधिकार के बारे में। पंचायत समिति कोई निर्णय लेगी उसके लिए आपने मैजोरिटी रखी है। मैं समझता हूं कि मैजोरिटी के बारे में यहां बहुत कुछ कहा जा चुका है इसलिए वह टू-थर्ड मैजोरिटी का प्रोवीज़न रखा है, वह यहां पर उचित नहीं है। अगर मानो कि किसी गांव के अन्दर कोई सफाई का स्थान बनाना है, कोई कुंआ या टैंक बनवाना है, कोई पब्लिक स्ट्रीट बनानी है और कोई सार्वजनिक इमारत बनवानी है तो जब तक टू-थर्ड सदस्य उसके राजी नहीं होंगे तब तक पीने के पानी का स्थान, टैंक और नहाने धोने का स्थान बन नहीं सकता। जब तक कि टू थर्ड मैजोरिटी उसके लिए राजी नहीं हो जाती। इसलिए डवेलपमेन्ट के कामों में इस तरह का प्रोवीज़न कि टू-थर्ड मैजोरिटी पास करे तब ही वह काम हो, वह ठीक नहीं रहेगा। हम यहां सदन के अन्दर इस प्रकार की परम्परा डालने का प्रयत्न करते हैं कि जो भी चीज यहां पास की जाये वह सर्व सम्मति से की जाये और ऐसे डवेलपमेन्ट के कामों के लिए टू-थर्ड की मैजोरिटी होने की क्या आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर कहीं पर १५ सदस्य हुए और उनमें से ६ ने कोई बात तय कर ली कि वह कुछ भी नहीं बनाना चाहते और ६ सदस्य ने यह पास किया कि वह अमुक काम करना चाहते हैं तो वह उसको नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वह टू-थर्ड मैजोरिटी में नहीं हैं। यह बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत साधारण है और मन्त्री महोदय इसके बारे में एक आवश्यक संशोधन सदन में पेश कर देंगे, ऐसी आशा मैं उनसे रखता हूं।

एक अन्तिम बात और कहना चाहूंगा और वह कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। वह है पंच और सरपंच के सस्पेन्शन के बारे में। क्लॉज़ ३ में हमने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिख दिया कि सरपंच और पंच को सस्पेन्ड किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर यह अधिकार राजस्थान की सरकार को दे दिए तो राजस्थान में आधे पंचायत के सरपंच और पंच सस्पेन्डेड ही फिरते रहेंगे। जैसा कि यहां सदन में कई बार प्रश्न आता है कि अमुक सरकारी अधिकारी तीन बार सस्पेन्ड क्यों किया गया और उसके लिए कहा जाता है कि एक बार सस्पेन्ड किया तो कोई प्रोसीजर की मिस्टेक हो गई और फिर दूसरी बार सस्पेन्ड किया तो दूसरी तारीख को कर दिया और इसलिए अब तीसरी बार सस्पेन्ड किया। अगर इसी प्रकार की परम्परा इलेक्टेड बॉडी के ऊपर थोंपते हैं तो यह हमारे विधान के खिलाफ होगी। यहाँ पर सभी सदस्य चुनकर आये हैं। आप भला काम करें, आप बुरा काम करें, आप चोरी करें लेकिन सस्पेन्शन किसी का भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी मन्त्री महोदय या इलेक्टेड मेम्बर हिन्दुस्तान में कैसा भी काम करे, लेकिन उसके लिए सस्पेन्शन का प्रोवीजन नहीं है। The President of India cannot say, "I hereby suspend Shri Damodar Lal Vyas". He cannot do it.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Satish Chandra, I hope we are expected to be moderate in our expressions and if an instance has to be given it should not be made applicable to any of the Hon'ble Members of the House

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I can apply it to myself, Sir. There is nothing degrading in it. I may say, "The President of India has no powers to suspend Mr. Satish Chandra Agarwal. He has no right whatsoever and cannot suspend me on any ground." The President of India cannot suspend any Hon'ble Member of this House. It is a question of principle embodied in the Constitution.

A Sarpanch or Panch is an elected member of the Panchayat and Rajasthan Government is also an elected body, and the Government has no power whatsoever to suspend any Pancha or Sarapanch who is elected. It is against the very principles of the Constitution. And you say that this is a progressive Bill; and you say that this Bill is going to be a landmark in the history of India! It is against the principles of the Constitution. सस्पेन्शन कर सकते हैं, किन ग्राउन्ड्स पर कर सकते हैं? राजस्थान म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन को सस्पेन्ड करने के बारे में हमें पता है कि ऐसे ढेरों केसेज़ पड़े हैं और वह भी खामोश फाइलों में पड़े हैं। सस्पेन्ड कर दिया और फिर सेक्रेटेरियट में चक्कर काटिये। मैं आपको बताऊं कि कल ही एक चेयरमैन आये थे और भैरोंसिंह जी से कह रहे थे मगर उन्होंने कहा कि मेरी कुछ भी नहीं चल सकती है। आखिर एग्ज़ीक्यूटिव्स को यह पॉवर्स नहीं दी जा सकतीं। जिनको जनता ने चुनकर भेजा है उसको बराबर के चुने हुए प्रतिनिधि के सस्पेन्शन का कोई राइट उनको नहीं दिया जा सकता। कभी नहीं दिये जाते हैं। यदि इस प्रकार के अधिकार देते हैं और इस प्रकार के आधार को सरकार लेती है तो

Page No.51

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं समझता हूं कि अधिकारों का दुरुपयोग होगा। राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा होगी। आप समझते हैं कि मैं केवल विरोध के खातिर विरोध कर रहा हूं, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, वह कटु सत्य है जो कटु सत्य आज नहीं तो कल सामने आयेगा कि इससे राजस्थान की प्रोग्रेस में, राजस्थान के विकास में गति पैदा नहीं होगी बल्कि बाधा उत्पन्न होगी। मैं यह बात इसलिए नहीं कहता हूँ कि हम लोगों को केवल विरोध करना है। हम विरोध कर सकते हैं अच्छे बड़े बड़े लोगों का। लेकिन यहां पर केवल विरोध करने का सवाल नहीं है, लेकिन कानून की खामियां हैं, उसमें कमियां हैं, जो फैक्ट्स हैं उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मन्त्रि मण्डल का। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इम्मोरल काम किसी ने किया है तो उसको डिस्क्वालिफाई करें। वह डिस्क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन आपने सस्पेन्शन का रखा है। तो फिर सस्पेन्शन के बाद डिसमिसल और रिइन्स्टेटमेंट का भी कर दें। यह कौन सा तमाशा होगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करूंगा माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से कि जो कुछ भी मैंने सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखा है और उनके सामने जो रखा है और जो एक अपील की है और यह अपील कोई दिक्कत की भावना के आधार पर नहीं की है। आप बहुत जल्दी में इस बिल को पास करना चाहते हैं। इस बात का हमें फख है कि राजस्थान एक ऐसी रियासत होगी जिसने कि सबसे पहले इस कानून को बनाया है। लेकिन इस नये कानून पर आप हमारी मोहर लगाना चाहते हैं तो इसमें सारी आवश्यक बातें होंगी। इस पर वादविवाद करना पड़ेगा, संशोधन होंगे, सुझाव देने होंगे, सुझाव लेने होंगे। अगर वे हमारे सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे तो सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, सदन के माननीय सदस्यों से जिनमें कि सार्वभौम सत्ता निहित है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के संशोधनों पर विचार करके जैसी भावना उन्होंने प्रकट की है उसके आधार पर धारा ३ को पास करेंगे और सारे संशोधनों पर विचार करके और संशोधन जिस भावना से सदन में व्यक्त किये गये हैं, इसको पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister will reply.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा इसका समर्थन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर दुबारा वादविवाद करने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के निर्णय के आधार पर समय का सम्यक् वितरण करना है। इस आधार पर विवश होकर मैं इस संबंध में डिबेट को समाप्त करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : थोड़े से समय में मैं एक बात कह कर....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Mr. Deputy Speaker, Sir. This is an omnibus clause. This one single clause is printed in nine pages of

(श्री पी० के० चौधरी)

this Bill. It starts from page 3 and goes right upto page 12, that means it consists of 9 pages. There are various aspects in it and so I think that if the Hon'ble Member wants to speak, he should be allowed.

श्री उपाध्यक्ष : But I hope the Hon'ble Members will also co-operate with me so far as adjustment of time is concerned.

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : I also want to support the views expressed by the Hon'ble Member from Phulera, that because this clause is an omnibus clause...

श्री उपाध्यक्ष : I would be libera to some extent, but you will also feel my difficulty.

श्री सज्जनसिंह : But Sir, where are we going to submit our difficulties ?

श्री उपाध्यक्ष : Without that how can I adjust. You should also help me when the Business Advisory Committee has decided some issues about it. After all the time has to be distributed according to the decisions of the Business Advisory Committee.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : I think the Business Advisory Committee fixes the days for clause by clause consideration, and not the time for any particular clause.

श्री उपाध्यक्ष : If the days are decided, then naturally it comes to the hours also. Anyhow, I would like to be liberal.

श्री सज्जनसिंह : Supposing I want to speak, and just as you have asked the Revenue Minister to reply, that means I will have no time to speak.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I would not like to waste the time. As I submitted, I would be liberal to accommodate you as well.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय उपाध्यक्ष, जो भी संशोधन इस संबंध में आये हैं धारा २ पर, और इस पर जितने लोगों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं बहुत थोड़े में खास करके नगरपालिका के संबंध में इस बिल में दृष्टिकोण क्या रहा, नगरपालिका के संबन्ध में राज्य सरकार की नीति क्या रही है, उस पर विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं समझता हूँ कि यह ठीक बात है कि यह विकेन्द्रीकरण का बिल है और इसके अन्दर जिस प्रकार से एक एक पंचायत को सारे अधिकार मिलते हैं, ग्राम पंचायतों को तो ठीक। इसी प्रकार से नगरपालिकाओं के कुछ अधिकार हैं, क्योंकि पंचायतों और ग्राम पंचायतों से ज्यादा उसमें पढ़े लिखे रहते हैं, होशियार लोग रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं। उनके अधिकार ग्राम पंचायतों के अधिकार से भी कम हैं उसमें यह सबसे बड़ी कमी है। मेरी नजर में, मैं समझता हूँ कि बड़ी भारी कमी है। इसके साथ ही साथ नगरपालिका का विधेयक पारित हुआ है तो नगरपालिका विधेयक में ८ हजार से कम की आबादी की जो म्युनिसि-

(श्री मुरलीधर व्यास)

पेलिटीज है उनको पंचायतों में बदल देंगे, यानि ८ हजार और ८ हजार से ऊपर की नगरपालिकाएं रहेंगी। उसमें नीचे की नहीं रहेंगी। इधर इस प्रकार का फैसला कर लिया है कि ८ हजार से अधिक आबादी वाली नगरपालिकाएं रहेंगी और दूसरी नगरपालिकाएं नहीं रहेंगी। अब अधिकार दे रहे है टीक बात है। सरकार इस प्रकार का इधर तो निश्चय कर लेती है कि ८ हजार से कम की नगरपालिकाएं, नगरपालिकाएं नहीं रहेंगी और उनको पंचायतों में बदल दिया जायगा।

दूसरी बात इसके अन्दर कुछ बातें रखी गई हैं। इसमें मैं चाहता हूँ कि यह अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा है कि जो ग्राम पंचायतें होंगी या नगरपालिकाएं होंगी, उन नगरपालिकाओं को पंचायतों में परिवर्तित कर देंगे और इस प्रकार का उसका होता है तो दूसरे लोग भी उसमें सम्मिलित हो जायेंगे। इसका असर जहां तक मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर १६० नगरपालिएं हैं और उसमें से जैसा कि निर्णय आपने लिया है कि ८ हजार से कम की आबादी वाले उसके अन्तर्गत आ जाते हैं तो वह करीब ८० रह जाती यानि आधी नगरपालिकाएं उस कानून के मातहत समाप्त हो जाती है। वे नगरपालिकाएं जहां भी रही हैं वे बड़े बड़े नगर तो नहीं हैं लेकिन छोटे मोटे इस प्रकार के रहे हैं जिन्हें गांव नहीं कह सकते हैं। जहां पर तहसील हैडक्वार्टर है जहां कि इस प्रकार वकील लोग हैं। बहुत से फैसले वहां पर होते है वहां इस प्रकार की स्थिति है। बीकानेर डिवीजन में कई इस प्रकार की नगरपालिकाएं है वे सारी भंग हो जाती हैं। तो उसमें मैं यह चाहता हूँ कि जो इस प्रकार का परिवर्तन आज हमने किया है उसको कायम करना यह हो सकता है कि ठीक नहीं हो। ग्राम पंचायतों को विकास के साधन सरकार देती है। वे नगरपालिकाएं जब ग्राम पंचायतें बन जायेंगी तो वे विकास के साधन भी उनको मिलेंगे। यह एक बात हम मान लें। अगर मान लेते हैं तो इसी आधार पर सोचते हैं कि थर्ड फाइव ईयर प्लान जो है उसमें यह तय किया गया है कि नगरपालिकाओं को भी विकास के साधन सरकार देगी। थर्ड फाइव ईयर प्लान साल डेढ साल बाद आयेगा और तब तक यह पंचायतों में परिवर्तित हो जायेंगे तो म्यूनिसपेलिटीज को जो मदद मिलने वाली है वह उनको नहीं मिल सकेगी और वे मदद से वंचित रह जायेंगे। इसकी धारणा से हम यह सोचते हैं कि ठीक नहीं है। कुछ मदद मिलेगी। यह भी होजाता है कि विकास के साधन मिलेंगे। अगर सोचा जाय तो जो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की ग्राम पंचायतें बनाई जायं, क्योंकि ग्राम पंचायतों के अधिकार ज्यादा हैं। वह विकेन्द्रीकरण की छोटी इकाई है, उनको कम से कम यह ख्याल रखना चाहिए कि हमने नगरपालिका का कानून यहां तक बनाया है कि किसी नगरपालिका को भंग करने का अधिकार सरकार को नहीं है। सरकार जानकारी प्राप्त करेगी। जनमत देखेगी। जनमत की क्या राय है क्या नहीं उसके बाद में नगरपालिका को भंग कर सकते हैं।

जनमत की क्या राय है और उसके बाद फिर नगरपालिका को भंग कर सकते हैं। किसी म्युनिसपेलिटी को भंग करने के लिये आपने यह रखा है कि जनमत देखा जायेगा और आज इस कानून में कोई जनमत नहीं लेने का हम पास करते हैं तो ठीक है विधान

(श्री मुरलीधर व्यास)

सभा को जनमत मानकर पास करते हैं लेकिन आपने रखा है कि नगरपालिका को भंग करें तो वहां के लोगों की राय जरूर जाननी चाहिये। यदि लोगों की राय है कि नगर-पालिका को भंग करके ग्राम पंचायतें बनादी जायं तो ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों की इच्छा है कि नगरपालिका रहनी चाहिए, उसका रूप विकसित करना चाहिए। विकेन्द्री-करण का मतलब यह नहीं है कि इसे खाली गावों तक ही सीमिति करदें और शहरों में कोई विकेन्द्रीकरण नही हो। विकेन्द्रीकरण करके पॉवर नगरपालिका को भी दे सकते हैं। आप यदि इसको बौद्धिक दृष्टि से सोचें तो उनको प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं, ज्ञान का प्रसार वहां पर हुआ, लोगों की बुद्धि विकसित हुई है इसलिये उनको ज्यादा मौका देना चाहिए। उनको छोड़ना इस प्रकार की चीज़ होगी जिससे नगरपालिका के क्षेत्र में रहनेवाले लोगों पर असर होगा। मैंने सुना है कि अभी से तार और चिट्ठीयां सरकार के पास इस बात के लिये आने लगी है कि इनको भंग नहीं करना चाहिये। इसलिये जो संशो-धन नगरपालिका को भंग करने का रखा है उसमें इतना जोड़ दिया जाय पब्लिक ओपि-नियन को देखकर "after seeking public opinion" इसको भंग करेंगे। तो आखिर जनता चाहती है तो कोई ख्याल नहीं है इसे परिवर्तित किया जाय। जबर्दस्ती किया जाता है तो बुरा असर पड़ेगा। १८० में से आधी आपके इस नियम के अनुसार भंग हो सकती है तो इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ दी जाय कि लोगों की राय से किया जायेगा तो काफी अच्छा होगा।

श्री सज्जनसिंह (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् बिल के अन्दर क्लॉज ३ के द्वारा पंचायत एक्ट के कुछ प्रावधानों को अमेन्ड किये जाने का प्रोजल इसमें आया है। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार अलग अलग प्रावधानों पर दिये है। मुझे केवल दो प्रावधानों पर निवेदन करना है। प्रथम तो टू-थर्ड मैजोरिटी का कम्ट्रक्शन वर्क और पंचायत दोनों के सिलसिले में प्रावधान आया है। मैं उन माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत हूं जो वे महसूस करते है कि टू-थर्ड का प्रावधान रखने से वहां जो डेढू डे का कार्य है वह नही हो सकेगा। मैं समझता हूं जो ऐसी संस्थाओं में काम करने वाले हैं उनका यह अनुभव है कि आम तौर पर मुश्किल से कोरम होता है, ऐसी परिस्थिति में टू थर्ड प्रावधान करने के मायने ये होंगे कि वे काम बहुत लंबे असें तक एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में पोस्टपोन होते चले जायेंगे और शायद ऐसा भी समय आ जायगा कि साल भर की अवधि में भी इस स्थिति में नहीं होंगे कि इस कार्य को कर सकें। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इसको सिंपल मजोरिटी रखा जाय।

दूसरा इसमें जो प्रावधान रखा गया 'Taxation on Cash Crops' इस बारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो विचार किये हैं इसके विरोध में, मैं उन विरोध करने वालों का समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर लक्ष्य क्या है? हम एक दूसरे के विचार और स्कीम्स पुट अप करते किस तरह से हमारे मंतव्य तक पहुंच मदद करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि

(श्री सज्जनसिंह)

फूड, खरीफ अभियान और रबी अभियान इसमें न केवल खाद्य पदार्थ ही पैदा करने में ज़ोर देते हैं बल्कि वे सब रॉमेटीरियल जिनसे इन्डस्ट्रीज में चीजें मेनुफेक्चर की जाती हैं उन्हें भी शामिल करते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर टैक्सेशन लाद देना कहां तक हमारे मंतव्य को पूरा करने में सफल होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से कैश क्रोप पर टैक्सेशन की धारा लगाई है यह एक तरह से डबल टैक्सेशन होगा। इस बिल की धारा २७ में हमने कुछ टैक्सेशन पंचायत समितियों द्वारा लगाने का प्रावधान रखा है और उसके अन्दर "Tax on the rent payable for the use or occupation of agricultural land; Tax on rent received by any land holder on account of the use or occupation of agricultural land, tax on assumed rental value" यहां हमने कोई ज़मीन ऐसी खाली नहीं रखी है जिसमें पंचायत समिति का टैक्सेशन नहीं रखा हो। इसके उपरान्त हम पंचायत को अधिकार देते हैं कि जो कैश क्रोप है उसको टैक्स किया जाय। आखिर टैक्स देने वाला तो वही काश्तकार है जो कैश क्रोप प्रोड्यूस करता है और दूसरी लैंड रखता है इसलिये यह डबल टैक्सेशन और उसके साथ साथ जो इन्सेन्टिव काश्तकार को अधिक उत्पादन करने का, उसमें स्वयमेव विस्तृत रूप से बाधक चीज है। अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन महानुभावों ने टैक्सेशन का रीजन दिया है वे समझें कि आखिर काश्तकार को टैक्स देना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, लैंड रेवेन्यू, वाटर टैक्सेज के अलावा, शायद माननीय सदस्य जानते होंगे कि उनकी प्रोड्यूस के ऊपर म्युनिसिपेलिटी को ऑक्ट्राय ड्यूटी देनी पड़ती है, वह जो अपना प्रोड्यूस शहर की मंडियों में बेचते हैं उस पर ऑक्ट्राय लगाते हैं चाहे वह केश क्रोप हो या फूड क्रोप हो। इसके अलावा यदि मैं यह निवेदन करूंगा तो उचित होगा कि जो कोमोडिटी बाहर एक्सपोर्ट होती है जैसा जीरा, ग्राउन्ड नट्स, उन पर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करती है, इसका इन्सीडेन्ट भी प्रोड्यूसर या काश्तकार पर पड़ता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, केश क्रोप इतनी आसानी से पैदा नहीं होती है। इसके अन्दर काफी मेहनत मशक्कत के अलावा काफी हेवी इन्वेस्टमेंट होता है। हेवी मेन्योरिंग में काफी ज्यादा खर्चा होता है, लेबर पर काफी खर्चा होता है और शुगरकेन पर खास तौर पर वाटरिंग चार्जेज इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट की ओर से हैं वे संभवत: २१ रुपये पर एकड़ हैं जो किसी दूसरी क्रोप के लिए नहीं है। मेरा अर्ज करने का अभिप्राय यह है कि आखिर कैश क्रॉप्स काश्तकार पैदा करता है, उसके अन्दर उसके खर्चे की साइड को नहीं देखते, यह देखते हैं कि कैश क्रॉप्स के जरिये काश्तकार की इतनी पैदावार हो जाती है। यह भी विचार नहीं किया जाता, कैश क्रॉप्स जो काश्तकार पैदा करता है, तो टकसाल में गढ़ा हुआ पैसा उसके घर में नहीं आ जाता है। यह मान लिया जाता है और यह नहीं सोचा जाता कि कुछ नेचरल केलेमिटीज होती है, उसके बाद इतना सारा एक्सपेन्डीचर और लेबर इसमें करने के बाद कोई केलेमिटी क्रॉप के ऊपर आ गई

(श्री सज्जनसिंह)

तो बहुत सम्भव है कि सारी क्रॉप डेस्ट्राय हो जाय। ऐसी स्थिति में कैश क्रॉप्स के ऊपर प्रोडक्शन साइड को न देखना, एग्रीकल्चर के अन्दर काश्तकार को इन्सेन्टिव देने वाली चीज नहीं होगी।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर कैश क्रॉप्स का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट, जैसा कि मैंने निवेदन किया, काश्तकार का जो इन्सेन्टिव अधिक मात्रा में पैदा करने का है, वह खत्म हो जायेगा, क्योंकि न केवल उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको टैक्स देने के लिए हिसाब-किताब रखने का हरेसमेंट होगा, उसको ऑफिस साइड से हरेस किया जायेगा। इससे यह स्वाभाविक है कि उसकी आत्मा में यह बात पैदा होगी कि छोड़ो इस झंझट को, इस जंजाल को, क्या जरूरत है इसमें पड़ने की। जैसा मैंने अर्ज किया कि यह डबल टैक्सेशन भी है। इसके अलावा जो काश्त करता है वह समझता है कि कैश क्रॉप में पैदावार करके वह इकॉनोमिक बेलेन्स कर सकेगा क्योंकि फूड क्रॉप से उतनी पैदावार नहीं होती है जितनी कैश क्रॉप्स के जरिये और जिससे वह इकॉनोमी बेलेन्स कर सकता है। आप उसके इकॉनोमिक बेलेन्स के फेक्टर को टैक्सेशन के द्वारा अपसेट करना चाहते हैं। मैं इसके साथ ही साथ यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो टैक्सेशन है, यह डिस्क्रीमिनेटिव होगा। यदि कोई काश्तकार केश क्रॉप को ग्रो करता है तो इससे आप टैक्स ले लेते हैं और बाकी के काश्तकार फ्री रहते हैं। ऐसी हालत में, मैं समझता हूं यह डिस्क्रीमिनेट रहेगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इन्डस्ट्री के ऊपर भी इसका इफेक्ट होने वाला है क्योंकि रॉ मेटिरियल के ऊपर जितना टैक्सेशन का भार डलेगा, उतनी महंगी होकर वह चीज मिलने वाली है। तो जब इन्डस्ट्री का उत्पादन हम बढ़ाते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें और इसके लिए फॉरेन मार्केट में कम्पीटीशन में उतरना पड़ेगा। तो जब आपका रॉ मेटिरियल महंगा होगा, तो आपकी इन्डस्ट्री के प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में भेज कर कम्पीट करने में कितनी दिक्कत होगी, यह विचार करने का विषय है।

अन्त में, मैं आपके द्वारा, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह भी सोचा गया है कि एग्रीकल्चर पर कितना टैक्सेशन का बर्डन अलग अलग तरीके से डाल रहे हैं। सबसे पहले काश्तकार लैंड रेवेन्यू पे करता है, उसके बाद यदि इर्रिगेशन की फैसेलिटीज़ गवर्नमेंट से मिली हुई है, तो वह वाटर रेट पे करता है। इसके अलावा पंचायत एक्ट के प्रावधान के मातहत उसे पंचायत टैक्स देना पड़ता है। फिर आपने पंचायत समिति के टैक्सेशन लगा दिये हैं और अब आपने एक और टैक्स कैश क्रॉप्स के ऊपर लगाने का पंचायत को दे दिया है। यहीं पर इतिश्री नहीं होती है, वह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स पे करता है और जैसा कि मैंने निवेदन किया, ऑक्ट्राय टैक्स पे करता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट मंडियों में जाता है। यह चीज़ खत्म नहीं होती, उनका प्रोड्यूसरों में एक्सपोर्ट होता है, उस पर वह एक्स्पोर्ट ड्यूटी पे करता है। उपाध्यक्ष महोदय,

Page No.57

(श्री सज्जनसिंह)

एग्रीकल्चर को आप इतनी प्रोसपरस देखना चाहते हैं और साइन्टिफिक और इम्प्रूव्ड देखना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, मैं आपके द्वारा, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा टैक्सेशन का तरीका है, यह हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी मदद देने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो टैक्सेशन आन कैश क्रॉप्स का प्रोवीजन है, इसमें से इसको हटा देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister will reply now.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पहले तो एक अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि आप म्यूनीसिपेलिटीज को स्पिलिट अप करना चाहते हैं, तो उसके पार्ट या होल को कन्वर्ट किया गया पंचायत में, तो उसमें दिक्कत पैदा हो सकती है क्योंकि एक जगह का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वहां का सरपंच और उप-सरपंच बन जायेगा, मगर जिस एरिया को वहां से हटा कर दूसरी पंचायत में कान्स्टीट्यूट किया गया, उसमें दिक्कत पैदा हो जायगी, वहां चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन होगा। वैसे तो जो क्लॉज रखा गया है, उसका साफ मतलब है, जैसा कि बिल में प्रोवाइड है कि जो आठ हजार की पॉपुलेशन की म्युनीसिपेलिटीज़ है, उनको कन्वर्ट कर दिया जायेगा पंचायतों में, उसके बाद प्रोविजन रखा गया है कि पार्ट या होल को कन्वर्ट किया जाय, ऐसी म्युनीसिपेलिटीज़ को, जिनमें ढाणियों को शामिल कर दिया गया है और वह म्युनीसिपल एरिया बना दिया है, इस प्रोवीजो को एप्लाई करने का मतलब है कि ढाणियों को अलग करके उन्हें पंचायत में शामिल कर दिया जाय। जैसा कि वे सोचते हैं कि इससे कन्टिनजेन्सी अराइज हो सकती हैं, वैसे कन्टिनजेन्सी अराइज होने वाली नहीं है, क्योंकि जो ढाणी हटाई जायगी, वे पंचायत में जोड़ दी जायगी। उनका एप्रीहेन्सन ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं प्रोवीजन जोड़ सकता हूँ। जब हम कानून बना रहे हैं तो प्रोवीजन कर दिया जाय कि किसी म्युनीसिपेलिटी एरिया में कन्टिनजेन्सीअराइज हो जाय तो क्या किया जाय। मैं आपकी आज्ञा से, उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज तीन में, उनके सुझाव के अनुसार अमेंडमेंट पेश कर रहा हूं:—

"In part (ii), for the proposed sub-section (3) substitute the following:—

यह सब-सेक्शन तीन है, उसकी जगह यह सब्सटीट्यूट हो जायगा :

"(3) Upon the establishment of a Panchayat under clause (a) of sub-section (2) for any municipal area or part thereof:—

(a) such area or part shall, for the purposes of this Act, be deemed to be a Panchayat circle;

(aa) the municipal board established therein shall stand converted into a Panchayat for such Panchayat circle;

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(aaa) until fresh elections are held under this Act—

(i) the Chairman, Vice Chairman and all the members of the said Municipal Board shall, in case a Panchayat is so established for the whole of such municipal area, be deemed respectively to be the Sarpanch, Up-Sarpanch and Panchas of such Panchayat, or

(ii) if a Panchayat is so established for a part only of the municipal area, the members of the said municipal board, representing such part, shall be deemed to be the Panchas, of such Panchayat and the Sarpanch anp Up-Sarpanch there of shall be elected by such members from amongst themselves;

यह क्लॉज दो, मैंने अर्ज किया, जिस कन्टिनजेन्सी का जो एप्रीहेन्सन उनके दिमाग में था, उसे दूर कर देता है :

"(b) the whole of the assets vesting in, and of the liabilities subsisting against the said municipal board, or, in case a Panchayat is so established for a part only of the municipal area, such portion of the said assets and liabilities as the State Government may direct, shall devolve on the Panchayat so established;

(c) until new rules and bye-laws are framed under this Act. the rules and bye-laws applicable to the said municipal board, shall, in so far as they are not inconsistent with or repugnant to the provisions of this Act or the rules made thereunder, apply to the Panchayat so established as if they had been duly made by or for such Panchayat, and

(d) the Panchayat so established shall continue to levy such of the taxes lawfully imposed by the said Municipal Board as a Panchayat has the power to impose under this Act as if those taxes had been duly imposed under this Act by the Panchayat so established."

ये अमेंडमेंट होने से उनका एप्रीहेन्सन दूर हो जाता है । पार्ट ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड सेपरेट म्युनिसिपल बोर्ड रखा गया और उसके एक पार्ट में पंचायत समिति एस्टेब्लिश की गई तो उसका चैयरमैन, वाइस चैयरमैन उस म्युनिसिपल एरिया में चैयरमैन, वाइस चैयरमैन के पद पर फंक्शन करेंगे और बाकी के एरिया के लिये यह कर दिया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): अगर किसी दाणी में एक या दो ही पंच हैं तो सरपंच और उप-सरपंच कैसे चुनेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १५०० की आबादी की पंचायत एस्टेब्लिश करने का है इसलिये एक दो पंचों के होने का तो सवाल ही नहीं, दो सौ ढाई सौ वोटरों की आबादी हो वहां सरपंच और उप-सरपंच होते हैं । इसके अलावा सारा म्युनिसिपल एरिया पंचायतों में कन्वर्ट होने वाला है वह तो अपने आप कन्वर्ट होगा पंचायतों में, इसलिये ऐसी कोई कन्टिन्जेंसी आने वाली नहीं है । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का सुझाव था कि इस तरह की बात आ जाय तो क्या होगा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उसके लिये मैंने यह रखा है। दो मेम्बरों वाली बात रखी उसके लिये तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। १५०० की पॉपुलेशन नहीं होगी तो वे इन्डिपेन्डेन्ट विलेजेज होंगे मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिये कि गांव के गांव नहीं लगे हुए हैं म्युनिसिपैलिटीज़ में। या तो ढाणियां हैं, उनको बहरहाल पंचायतों में जोड़ना वाजिब है म्युनिसिपल एरिया में रखना वाजिब नहीं तो ऐसी कोई पोजिशन नहीं आने वाली है कि एक या दो ही मेम्बर हों। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ ३ के ऊपर काफी बहस हुई और काफी अमेंडमेंट माननीय सदस्यों ने पेश किये, काफी जोर से बहस की वह है तहसील पंचायत का। इस तहसील पंचायत को लेकर सेपरेशन ऑफ जूडिशियरी, न्याय अदालतों को अलग कायम करना, इस पर काफी रोशनी माननीय सदस्यों ने डाली है, मैंने जैसा कि बीच में इन्टरप्ट करके कहा था कि इस बिल के स्कोप में नहीं है कि पंचायतों के फंक्शन को जुडिशियरी से सेपरेट किया जाय। पंचायत एक्ट का उतना ही अमेंडमेंट हुआ है कि पंचायतों का जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, डवेलपमेंट का काम करती हैं, पंचायत समितियों का जहां तक इनमें रोल होगा उतना ही संशोधन किया गया है। तहसील पंचायतें अपीलेट ऑथोरिटी हैं तमाम सिविल, क्रिमिनल केसेज में, इस सम्बन्ध में पंचायत समिति के इस बिल के द्वारा उसमें अमेंडमेंट किया है वह इसलिये किया है कि पंचायतों के एडमिनि-स्ट्रेटिव फंक्शन की भी अपील तहसील पंचायत सुना करती थी उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स की अपील पंचायत समिति सुनेगी और तहसील पंचायत सिर्फ जुडिशियल अपील सुना करेगी, इससे कोई नया पॉवर तहसील पंचायत को नहीं दिया है। तहसील पंचायतें रखना न रखना, न्याय पंचायतें अलग हों, यह एक अलग प्रश्न है। हमारे यहाँ राजस्थान में तहसील पंचायतों का एस्टे-ब्लिशमेंट हुआ, मैं यह मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि तहसील पंचायतों ने काम नहीं किया, कोई तहसील पंचायत ने कहीं गलती की हो इससे मैं इन्कार नहीं करता, गलती हो सकती है, पर यह कहना कि तहसील पंचायतों ने ठीक तरह से काम नहीं किया, उनसे गांवों में कियोस पैदा हो गया है, इस चीज को मैं नहीं मानता। तहसील पंचायतों ने काम किया है इस चीज को मैं तो मानता हूं, और उन्होंने यूज़फुल काम किया है और इनसे रूरल एरिया को काफी राहत मिली है। लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय तहसील पंचायतों से मिला है। इसलिये तहसील पंचायतों की यूजफुलनेस के लिये तो यही कहूंगा कि यह बहुत यूजफुल हैं, जूडिशियल फंक्शन इनके पास रहना चाहिये।

बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समिति में स्टेन्डिंग कमेटी बना कर जुडिशियल फंक्शन क्यों नहीं उनको दे दिया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि वे भी तो पब्लिक की इलेक्टेड ही होंगी, इन्हें पंचायत समितियां इलेक्ट करेंगी, तो यह दलील दी जाती है कि इलेक्टेड बोडी जुडिशियल काम को ठीक तरह से नहीं करती, स्टेन्डिग कमेटी पंचायत समिति की बना दीजिये, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस स्टेन्डिंग कमेटी में और तहसील पंचायत में फरक क्या हुआ। माननीय सदस्य ने कहा कि तहसील पंचायत शो ऑफ हैंड से चुनी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गई है, यह गलत है, उस एरिया के सारे पंच ही सीक्रेट बेलट से तहसील पंचायत का इलेक्शन करते हैं......

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह आप बतायें कि 'शो ऑफ हैंड' से किन किन पंचायतों का इलेक्शन नहीं हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am talking of Tehsil Panchayats. माननीय सदस्य अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें कि तहसील पंचायतों का चुनाव 'शो ऑफ हैंड' से नहीं हुआ ....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : लट्ठमारी से हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लट्ठमारी की बात माननीय सदस्य जानते होंगे, कहाँ खिलाफ कायदा हुआ है तो इलेक्शन पिटिशन करके दुरुस्त करा सकते हैं।

तो यह आर्ग्युमेंट देकर ज़ोरों से सुझाव दिया जाय कि पंचायत समिति की स्टेन्डिंग कमेटी के पास यह दे दिया जाय तो यह कहां तक ठीक होगा जब कि यह भी इलेक्टेड बॉडी है ..

श्री श्रीभानसिंह : एक तो पेनल में से होंगे और दूसरे इलेक्टेड डायरेक्टली, इलेक्टेड होंगे, क्या इसमें फरक नहीं मानते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पेनल भी इलेक्टेड होगा, यहां तो कुछ लोगों के हाथ में हटाना नहीं हटाना होगा और वहां सारे पंचों के और वोटरों के हाथ में होगा, इसलिए वह ज्यादा सेफ है बजाय इसके कि स्टेन्डिंग कमेटी कान्स्टिट्यूट की जाय। इसके अलावा यह इस बिल के स्कोप की बात भी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : There is more politics in it.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is for you to think. So far as I am concerned, there is nothing political in it. The rural areas are definitely benefited by the establishment of Tehsil Panchayat. I know very well that they have got nothing but praise.

श्री पी० के० चौधरी : What is your source of information about these praises ?

श्री श्रीभानसिंह : Ask your Deputy.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have been moving about in rural areas and this is my own impression.

श्री श्रीभानसिंह : Have they not complained to you that the Deputy Minister interferes a lot ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That may be your infonmation, not mine...

श्री पी० के० चौधरी : Your information is very selective.

श्री दामोदरलाल व्यास : Ahd if a Minister or Deputy Minister does interfere, it is as part of his duties.

श्री पी० के० चौधरी : So you admit that the Deputy Minister interferes ?

श्री श्रीभानसिंह : In other words, yes.

श्री दामोदरलाल व्यास : Wherever it is necessary, the Government have been invested with powers to set the matters right. What is wrong in it ? Now I will take up amendments tabled by Hon'ble Members one by one. So far as the amendment by the Hon'ble Member from...

श्री श्रीभानसिंह : From Nagaur...

श्री दामोदरलाल व्यास : from Phulera is concerned...

उनका अमेंडमेंट यह था कि जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही है वहां पंचो के लिए लाइफ लोंग डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं होनी चाहिए। एम० एल० एज़० के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो वह भी कुछ साल के बाद हट जाता है तो इसी तरह यहां भी होना चाहिए। मैंने इस बात को सिद्धान्तः स्वीकार किया है और जिस तरह का उनका अमेन्डमेंट है ५६ पार्ट दो "In part (iva) (d) (ii) of clause 3 of the Bill after the words 'any person' and before the words 'may be' insert the following words:-

'(1) shall become eligible for election after a lapse of 5 years, or earlier be.' मैं उसको इस तरह स्वीकार करता हूं माननीय उपाध्यक्ष, that insteaed of five years, it shall be six years because we want to debar a member atleast for two terms of elections. So it would be:-

"(1) shall become eligible for election aftet a lapse of 6 years of earlier...

५ के बजाय ६ रख दिया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : ६ वर्ष या अरलीयर।

श्री पी० के० चौधरी : 'or earlier' will not fit in here.

श्री दामोदरलाल व्यास : It will be just like this, Sir. In part (ii) of the proviso in part (iva) of sub-section 3, after the words 'any person' and before the words 'may be' insert the following words:- "shall become eligible for election after a lapse of 6 years or earlier"

अरलीयर के बाद में नीचे का नहीं है इसको कनेक्ट करते हैं "or earlier if he is declared eligible by the State Government in this bahalf."

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने एक और अमेन्डमेंट रखा पेज है ५६ में

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) में जिसमें उन्होंने एड कराया है After sub-clause (iv) of clause 3 add another sub-clause (ivA):-

"(ivA) In the explanation of sub-clause (1) of Section 10 of the said Act, substitute the words 'in the calender year' with the words' during the 12 months immediately' इसका मतलब यह है कि हमने पंचायत समिति बिल में प्रोवाइड किया है 'कलेन्डर इयर' उसकी जगह १२ महीने preceding the election होना चाहिए। ५६ क्लाज के दोनों अमेन्डमेंट हैं उनको as amended मैंने मंजूर किया है। एक में ५ के बजाय ६ हो जावेगा। बाकी माननीय सदस्यों ने जो तरमीमात पेश किये उसके संबन्ध में कुछ कहूँगा।

सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि चुनावों की तारीख सन् १६६१ के जनवरी की रखी है उसके स्थान पर किसी ने कहा कि १६६० जून होना चाहिए, किसी ने कहा मार्च, मार्च ६० होना चाहिए। इसके अगेन्स्ट में आरग्युमेंट दिये गये हैं कि एग्जिस्टिंग पंचायतों की मियाद ६१ तक बढ़ाई जाती हैं तो यह सूट नहीं होता। मैं यह कहूँगा कि पहले मार्च, १६६१ रखा गया था मगर सलेक्ट कमेटी ने सब सोच समझकर इसको जनवरी,१६६१ रखा है। मैं यह कहूँगा कि हमारे यहां राजस्थान में मौजूदा समय में ३५००, ३६०० पंचायतें हैं। अब वे पंचायतें जब छोटी छोटी होंगी तो करीब १५ हजार के होंगी। आप भी अन्दाज लगावें कि उनका चुनाव कराना, उनको कॉन्स्टीट्यूट करना, वार्ड बनाना कोई आसान काम नहीं है जिसको मार्च, जून या जुलाई १६६० तक करा लें। इसमें समय अवश्य लगेगा। १५,००० पंचायतों का चुनाव जून तक नहीं होगा। इलेक्ट रोल भी तैयार कराने में समय लगेगा। इसके लिये बड़ी मशीनरी की जरूरत होगी। थोड़े से समय के लिये मैं अगर आपका यह सुझाव मान भी लूं तो भी यह मुमकिन नहीं है कि काम पूरा हो जावे। इसलिये यह सोच समझकर जनवरी १६६१ का समय रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि जनवरी १६६१ को सबका चुनाव हो। इसका यह मतलब है कि पहले भी हो सकते हैं। इलेक्शन होते रहेंगे। इसलिए यह समझना कि सारे राजस्थान के लिये चुनाव के लिये एक तारीख मुकर्रर होगी, यह उचित नहीं है। यह बहुत डिफीकल्ट काम है। इसमें कितनी ह्यूज मशीनरी की जरूरत होगी। जनवरी, ६० या जून, ६० में यह प्रोबेबल नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें सरकार की जो दिक्कत है उस पर गौर करें। सरकार ने सारी दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए जनवरी, १६६१ का समय मुकर्रर किया है और वह वाजिब डेट है। इसलिए मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों ने इस संबन्ध में जो अपने अमेन्डमेंट दिये हैं वे उनको वापिस लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात इसमें कही गई है वह दो तिहाई मैजोरिटी के बारे में कहा गया है और काफी माननीय सदस्यों ने इस पर जोर दिया है कि यह दो-तिहाई मैजोरिटी को क्यों रखा गया है। कल पाली से आनेवाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे और कहा कि सर्वोदय की विचारधारा को हमें अपनाना चाहिए। मैं इस संबन्ध में सर्वोदय के साथ साथ यह निवेदन करूंगा कि डेवलपमेंट के काम को प्रोपरली यदि

Page No.63

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कराना है तो यह दो-तिहाई मैजोरिटी को रखना होगा। आप देखते है कि गांवों में झगड़े क्यों होते हैं। गांव में झगड़े इसी बात पर होते हैं कि यह कुआ इस गांव में बनेगा, इस मुहल्ले में बनेगा, नोर्थ में बनेगा या साउथ में बनेगा और इन बातों को लेकर आप देखेंगे कि वहां पर पार्टीबन्दी हो जाती है और जगह जगह पर झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, रास्ते को चौड़ा कराने के लिये झगड़े हो जाते हैं। इसलिए सर्वोदय की विचारधारा के साथ साथ इस बात की जरूरत है कि डेवलपमेंट के कामों के लिये युनानीमिटी होनी चाहिए। इसलिये दो तिहाई मैजोरिटी रखा है।

अगर पूरी यूनानीमिटी नहीं है तो कम नीअर यूनानीमिटी तो रहनी ही चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं इसका नतीजा उल्टा होने वाला है। यह ठीक है कि दो तिहाई एक मत के होंगे तो वे तो जरूर अपना श्रमदान देंगे। बेअर मैजोरिटी ही आधार रख दिया गया तो गांव दो ब्लाक्स में डिवाइड हो जायेंगे। उससे होगा क्या कि एक तो श्रमदान करेगा और दूसरा नहीं करेगा। हमने दो-तिहाई मैजोरिटी इसलिए रखी है कि विकास का काम ज्यादा हो सकेगा। इसी भावना से यह रखा है। अगर बेयर मैजोरिटी रख देते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गाँव के अन्दर इन बातों को लेकर, कुएं, तालाब रास्ते आदि को लेकर काफी झगड़े होंगे, पार्टीबाजी होगी और गांव की युनिटी खत्म हो जायगी। गांव वालों में युनिटी रहे ताकि विकास के कार्य ज्यादा से ज्यादा हो सकें, यही इसकी भावना है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या दुनियां के किसी भी हिस्से में ऐसा कानून है क्या कि जहाँ दो तिहाई मतों से काम होते हों।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल नया है।

श्री पी० के० चौधरी : लोकल बॉडीज़ या दूसरी बॉडीज में इस प्रकार का प्रावधान है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा पहला ही यह बिल है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): Bombay is already doing it.

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : आन्ध्र ने इसी तरह का बिल पास किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह का नहीं है जैसा कि हम पास करने जा रहे हैं।

श्री लक्ष्मण हीरात : वहां पर भी जिला परिषद् और पंचायत समिति विधेयक पास हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे अर्ज कर रहा था, दो तिहाई का प्रोविजन अवश्य रखिये नहीं तो गांव की युनिटी खत्म हो जायगी....

श्री पी० के० चौधरी : आप इस बात का आश्वासन दीजिये कि अगर दो तिहाई मतों से काम नहीं होता है धारा ७२ के अन्तर्गत वह अधिकार बी० डी० ओ को नहीं देंगे ?

Page No.64

श्री दामोदरलाल व्यासः आप एक ऐसा एश्योरेन्स मांगते हैं कि जिससे गांवों में झगड़ा पैदा हो और उस झगड़े के कारण डेवलपमेन्ट का कोई काम नहीं हो। आप यह बात ध्यान में रखियेगा, यह जो प्रोविजन रखा है उसका मकसद सिर्फ यह है कि गांव के अन्दर आपसी एकता बनी रहे। सार्वजनिक हित की दृष्टि को रखते हुए यह प्रावधान रखा गया। अब आप यह चाहते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेन्ट ऑफिसर्स को पॉवर्स नहीं दे, यह हो नहीं सकता इस प्रकार का आश्वासन मैं दे नहीं सकता। किसी गाँव के अन्दर डिस्युनिटी होती है, पार्टीबाजी या झगड़ा पैदा होता है और उसके कारण डेवलपमेन्ट नहीं होता है तो क्या हम उसके लिये ब्लाक डेवलपमेन्ट अधिकारी को भी पॉवर न दें यह नहीं हो सकता। उस गांव को विकास के कार्यों से पार्टीबाजी के कारण महरूम नहीं रखा जा सकता इसलिये हमने ऐसी हालत में बी०डी० ओ को पॉवर्स दिये हैं। विनोबाजी की जो विचारधारा है ग्रामराज स्थापित करना, इसके बारे में अपने यहां बिल आयगा उस समय देखेंगे इसी तरह से हमारे नीअर युनानीमिटी का प्रिन्सीपल स्वीकार करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रावधान रखा है।

श्री पी० के चौधरी : You are carried away by emotions, not by realities.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : पब्लिक स्ट्रीट, पब्लिक लेट्रिन्स के कन्स्ट्रक्शन का भी सवाल है। दूसरे मकान तो बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मकान बनाने का सवाल ही नहीं है। कानून को आप बारीकी से देखें।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा: पब्लिक स्ट्रीट.. construction of new duildings...It does not say about public buildings only.

श्री दामोदरलाल व्यास : प्राइवेट हाउसेज पंचायत समिति नहीं बनायेगी।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : पंचायत की इजाजत से तो बन सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे पंचायत एक्ट को जरा गौर से पढ़ेंगे तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

इसके अलावा एक पोइन्ट यह भी रखा गया कि यह अमेन्डमेन्ट पंचायत एक्ट की धारा २५ का है। इसमें क्लॉज २४, २५ और २६ एड किये गये हैं। इस पर भी काफी एतराज किया गया है पोस्टल ड्यूटीज, इन्श्योरेन्स ड्यूटीज पंचायतों को क्यों सौंपी जाय। पंचायत एक्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर ओब्लिगेटरी ड्यूटीज है और डिसक्रीशनरी ड्यूटीज भी है अगर कोई पंचायत पोस्टल सर्विस करना चाहे तो कर सकती है क्योंकि आपने देखा होगा कि पोस्टल सर्विस के लिए गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया काफी खर्च करती हुई भी सब जगह पोस्टल सर्विस का इन्तजाम नहीं कर पाई है। अगर कोई पंचायत अपने इलाके की पोस्टल सर्विस लेना चाहती है तो वह ले

Page No.65

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सकती है । पब्लिक सर्विस डिपार्टमेन्ट है, अगर उसको पंचायत खुद लेना चाहती है, उसमें आपको क्या एतराज हो सकता है। यह कोई ओब्लिगेटरी तो है नहीं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पोस्ट आफिसेज नहीं हैं। यह सरकार की नीति जरूर है कि जितने भी पंचायत हैड क्वार्टर्स हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस हो लेकिन अभी तक वह नहीं हो पाये हैं, यह सब खर्च को ध्यान में रखते हुए नहीं हो रहे हैं। डिस्क्रीशनरी ड्यूटीज में हम प्रोवाइड कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसलिए यहां क्लॉज २५ का जो अमेंडमेंट किया गया है वह ठीक है। डिसक्रीशनरी ड्यूटीज में एड कर देना चाहिये।

इसके बाद इस बात पर भी एतराज किया गया कि म्युनीसिपेलिटीज को जहाँ पंचायतों में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो वैसी हालत में उनके असेट्स और लायबेलिटीज जो होंगी उसका क्या होगा, इस सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्य ने एतराज उठाया वह मैं समझ नहीं पाया। जिस म्युनिसिपेलिटी को पंचायत में कन्वर्ट करेंगे या रिकोन्स्टीट्यूट करने बैठेंगे तो जितने भी असेट्स और लायबेलिटीज जो होंगी उसका भार उसको, डिवाइड करने का भार गवर्नमेन्ट को लेना पड़ेगा। पंचायत जो पांच हजार की है उसको अगर तीन पंचायतों में डिवाइड करते हैं और उसके पास पांच हजार का फंड है तो उस फंड को तीनों में तकसीम करना पड़ेगा और लायबेलिटीज भी होंगी वह भी तीनों में डिवाइड करनी होंगी। इसलिये वह प्रोविजन रखना जरूरी है। इसके लिए रूल्स प्रेसक्राइब करने पड़ेंगे, वहां पावर भी देना होगा। एक पंचायत टूट जाती है तो उसके असेट्स का मालिक कौन होगा, आखिर उसकी लायबिलिटी कौन उठायेगा इसके लिए भी तो प्रोविजन होना जरूरी है।

इसके बाद सस्पेन्शन के क्लॉज को लेकर प्रजातंत्र की और चुनी हुई बॉडी की दुहाई देकर बातें कही गई। और यह भी कहा गया कि प्रेसीडेन्ट को पॉवर्स नहीं हैं। मैं इसके लिए अर्ज करना चाहूंगा कि मान लीजिये कि किसी सरपंच के खिलाफ एम्बेजलमेन्ट का चार्ज है और वह डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी से साबित हो जाता है कि उसने पंचायत फंड को एम्बेजल किया है। वैसी हालत में उसका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये, उस कार्यवाही में चार-छः महीने या वर्ष भर लग जाता है।

तो क्या आप यह यह ठीक समझते हैं कि जब तक उसका प्रोसीक्यूशन न हो वह बराबर सरपंच का कार्य करता रहे। एक सरपंच का मुकाबला एम० एल० ए० से नहीं किया जा सकता क्योंकि सरपंच के एक्जीक्यूटिव फंक्शन्स होते हैं। पंचायत के फन्ड्स आदि तमाम जो इसके असेट्स हैं उसका इन्चार्ज होता है। वैसी हालत में सरपंच पर जो चार्जेज होते हैं उस पर उसको सस्पेन्ड न कर पंचायत का काम करते रहने दें तो एक प्रकार से गलती होगी। इसी प्रकार आप म्युनिसिपिल एक्ट की धारा ६३ को देखिये। उसमें भी हमने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के सस्पेन्शन के पावर्स रक्खे हैं। चार्जेज किसी के दरख्वास्त देने से नहीं होते। गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को भी सस्पेन्ड किया जाता है तो उसकी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रीलिमिनरी इन्क्वाइरी होती है। अगर बात साबित हो जाय कि उसके खिलाफ एम्बेजलमेन्ट के चार्जेज हैं वे सही हैं और उसके कारण उसका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये, तभी उसको सस्पेन्ड किया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : एम्बेजलमेन्ट का यहां नहीं दिया गया सब-सेक्शन "refuses to act, or becomes incapable of acting etc, etc......."

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इसको पढ़ लें। मिस कन्डक्ट क्या है Mis-conduct is a legal term that has been fully defined and it includes embezzlement. इसी आधार पर उसको ससपेन्ड कर सकते हैं।

सरपंच और पंच के बनाने का मतलब यह नहीं है कि वे पंचायत का काम ठीक तरह से न करें और गवर्नमेन्ट जो डाइरेक्शन दे उनका पालन न करें। then he is immune from all actions. हम इस तरह की पंचायत नहीं बनाना चाहते कि जिसमें वे किसी प्रकार की इर्रेग्युलेरिटी करें, एम्बेजलमेन्ट करें और उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाय। गवर्नमेन्ट इस तरह की पंचायतें बनाने की नहीं है। गवर्नमेन्ट की मंशा यह है कि वे डवलपमेन्ट का काम करें, पब्लिक को न्याय दें और कानून के अनुसार ही काम करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : It should be decided by a judicial court.

श्री दामोदरलाल व्यास : That will be decided by a judicial court, but we cannot allow him to continue till the case is decided. He is only suspended and suspension is no punishment. If he is honourably acquitted, he will be reinstated.

श्री पी० के० चौधरी : स्टेट सर्विस रूल्स कोट कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Not State Service Rules, You have got to apply these to any executive officer. You cannot permit him to commit mis-conduct. सस्पेन्शन के संबंध में एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि सस्पेन्शन का पिरीयड, डिस्क्वालिफिकेशन के लिये ३ साल रखे हैं, उसमें शुमार कर लिया जाय। सजा बाद में मिलती है और सस्पेन्ड पहले रहता है इसलिये उसको शुमार नहीं किया जा सकता। जिस तारीख से सजा मिलेगी उसी तारीख से यह पिरीयड शुमार होगा, पहले का नहीं।

रेजीडेन्स के लिये अर्ज कर चुका हूं और उसको मैंने मान लिया है।

इसके अलावा टैक्सेशन के ऊपर कुछ माननीय सदस्यों ने खास तौर पर कॉमर्शियल क्रॉप पर काफी एतराज किया है। इससे विलेज इकोनोमी और रूरल इकोनोमी बडी डिस्टर्ब हो जायेगी, इन्सेन्टिव लोगों का नहीं रहेगा, लोग कैश क्रॉप काश्त नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ यह गलत है। यह तो डिस्क्रेशनरी टैक्श है। It is not an obligatory tax और पंचायत समितियों को लगाने का अधिकार है। उस एरिया में वे लगावेंगी जहां कि कॉमर्शियल क्रोप ज्यादा पैदा होती है।

श्री पी० के० चौधरी : पंचायत समितियों को दिया है।

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : आपने यह अधिकार पंचायतों को दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Panchayat. I stand corrected. पंचायतें उन एरियाज़ को देखेंगी कि जहां कैश क्रॉप है और उन पर टैक्स लगना वाजिब है या नहीं। मैं अर्ज करता हूं और मानता हूं कि एक काश्तकार अपनी इकॉनोमी को प्लान करता है और अपनी जमीन को तकसीम करता है कि इतनी जमीन में फूड क्रॉप पैदा करेगा और इतनी जमीन में कैश क्रोप पैदा करेगा। कॉमर्शियल क्रॉप से उसको कितना एडवान्टेज पहुंचता है यह भी देखना पड़ेगा। एक आदमी यदि ज्यादा कॉमर्शियल क्रॉप पैदा करता है तो उसको प्रोफिट का का मार्जिन जितना होना चाहिये उतना होगा और उस पर टैक्स लगेगा। यदि इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखेंगे तो मालूम होगा कि उसने भी यह सजैस्ट किया है कि कॉमर्शियल क्रॉप पर टैक्स लगना चाहिये। इसीलिये पंचायतों को अधिकार दिया है कि कैश क्रॉप ज्यादा हो तो उस पर टैक्स लगावें, इससे लोगों की इकॉनोमी डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि यह डिस्क्रीशनरी टैक्स है।

श्री सज्जनसिंह : I am sorry to interrupt, रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूं कि यह डबल टैक्सेशन तो तो नहीं होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह डबल टैक्सेशन नहीं होगा। लैण्ड रेवेन्यू से मिलाने की बात है that is not correct.

श्री सज्जनसिंह : आपने एडहाक टैक्स लगा दिया है रैन्टल वैल्यू पर।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not tax but land revenue.

एक आदमी कॉमर्शियल क्रॉप पैदा कर ज्यादा फायदा उठाता है he must contribute.

श्री सज्जनसिंह : मेरा...

श्री दामोदरलाल व्यास : I have heard your argument. I have fully understood and I am also convinced that this commercial tax is fully justified and it is not double taxation.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्लॉज २७ देखिये : "A tax on the rent payable for the use or occupation of agricultural land."

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not relevant to this clause. We are not dealing with that. When we come to that clause, we shall discuss it, at present we are discussing clause 3 only.

श्री दयाकृष्ण विजय : पंचायत समितियों द्वारा टैक्स लगाया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Which page ?

श्री दयाकृष्ण विजय : आगे चल कर टैक्स लगाया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पेज बताइये।

श्री दयाकृष्ण विजय : पेज २६, क्लॉज २७ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not relevant. I have already told you. पंचायत समितियों के टैक्सेशन पर आवेंगे then we shall discuss it. एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि इससे आमद नहीं होगी। माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से काफी आमदनी होती है। गवर्नमेंट ने अपने पास से स्वायत्त शासन संस्थाओं को यह टैक्स सुपुर्द कर दिया है। मूविंग सिनेमाज अच्छे कस्बों में जहां ४,५ हजार की आबादी होती है, काफी जाते हैं और बहुत से एन्टरटेनमेन्ट वहां होते हैं। पंचायत समितियां वहां पर उनसे आमदनी कर सकती हैं। यह कहना कि इससे बिल्कुल आमदनी नहीं होगी और यह बराये नाम है यह सही नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : ऐसे आबादी के कस्बे बहुत कम हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : ३,४ हजार की आबादी के कस्बों में जाते हैं। it is very paying business. लाइसैन्स के लिए तड़प रहे हैं। पंचायत समितियां यदि ऐसा करेंगी तो उनको बहुत ज्यादा इन्कम होगी।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे अमेन्डमेन्ट्स हैं जिनको मैंने मूव किया था और उनके लिए अर्ज भी किया था कि यह फार्मल नेचर के अमेन्डमेन्ट्स हैं। ओमीशन्स या प्रिन्टिंग मिस्टेक्स रह गई हैं, दो अमेन्डमेन्ट्स मैंने स्वीकार किये हैं और एक अमेन्डमेन्ट आपकी आज्ञा से मूव किया है, बाकी के अमेन्डमेन्ट्स के लिए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उन्हें विदड्रा कर लें। जिन अमेन्डमेन्ट्स को मैंने मान लिया है उनको स्वीकार कर लिया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो संशोधन मैंने रक्खा है उसको वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ में जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की उनको अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मेरे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दो संशोधन हैं। उसमें से कुछ स्वीकार किया गया है। पर जो मेरी मंशा थी कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को घोषित करने का पॉवर नहीं होना चाहिये उसको अगर स्वीकार कर लेते और ६ वर्ष रखते तो मैं स्वीकार कर सकता था विद्ड्रा करना। तो चूंकि मेरे संशोधनों की भावना पूरी नहीं होती है इसलिये वापिस नहीं लेना चाहता। पहली मार्च, ६० करने की बात है। तो इसके विषय में मैं बता भी चुका था कि १५ हजार पंचायतें बनानी पड़ी हैं, ६ महीने में और स्टाफ न भी हो लेकिन ६ महीने पर्याप्त समय है, आपके पास लिस्ट आ भी गई है कि कहां कहां क्या क्या बनाई गई हैं...

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Daya Krishna, you are withdrawing it or not ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं विद्ड्रा नहीं करूंगा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ में जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : मैं वापिस लेना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री दामोदरलाल व्यास।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।
राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह (बैर) : I will not withdraw. I don't withdraw my amendments that have not been accepted.

श्री उपाध्यक्ष : You are not with drawing your amendments which have not been accepted.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३ के अन्तर्गत राजा मानसिंह ने प्रस्तुत किया और जो इस प्रकार है :—

"After sub-clause (iv) of clause 3 of the Bill, add another Sub-clause (iv) A ...

In the explanation of sub-clause (1) of section 10. of the said Act, substitute the words"...

श्री पी० के० चौधरी : That should be put. I think Sir that will be put in two instalments one accepted by the Hon'ble Minister-in-charge and the other not accepted by the Hon'ble Minister Inchrge.

श्री उपाध्यक्ष : Yes that is right. "Substitute the words "in the calander year".

with the words "during rhe 12 months immediately."

In part (iv a) (d) (ii) of clause 3 of the Bill, after the words "any person" and before the words 'may be' insert the following words:—

"(1) shall become eligible for the election after a lapse of 5 years, or earlier be."

As accepted by the Minister.

इन्हें स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लाज ३ के अन्तर्गत राजा श्री मानसिंह ने प्रस्तुत किया है और जो इस प्रकार है:-

[In part (iv b) (b) of clause 3 in the new sub-section (4B), after the wards "3 years" and before the words "from' insert the following words:—

"including the period of suspansion" Delete the second provision to new sub-section 8 in part (ivc).]

उन्हें स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ संशोधित रूप से स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

क्लॉज ३ ए

श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक अपना संशोधन इस प्रकार पेश किया है:

In the proviso to clause (a) of sub-section (1) of the proposed section 19 A., substitute '14' for '15'.

यह अनोली प्रिंटिंग मिस्टेक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रकाश लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (उपाध्यक्ष महोदय,) राजस्थान में राजस्थान एन्टरटेनमेंट टैक्स एक्ट है इसके तहत आमोद प्रमोद पर कर लगाया हुआ और इसको वसूल करने की एजेन्सी राजस्थान सरकार है। जब पंचायत समितियों के फाइनेन्सियल रिसोर्सेज की बात आई तो सलेक्ट कमेटी ने यह तय किया कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से होने वाली आमदनी पचायत समितियों को रहे। इसलिये इसको लगाने का और वसूल करने का अधिकार पंचायत समितियों को दिया गया और इसके सम्बन्ध में ३ (ए) द्वारा इस बिल में तरमीम की गई है और राजस्थान एन्टरटेनमेंट टैक्स एक्ट, १६५७ में नई धारा १६ (ए) जोड़ी गई है।

इस धारा १६ (ए) के जरिये पंचायत समितियों को अधिकार दिया गया है कि वे एन्टरटेनमेंट टैक्स इकट्ठा करें। अब सवाल यह है कि कब से इकट्ठा किया जावे। इसके लिये प्रस्तावित किया गया है As from date

Page No.71

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

notified bv the State Government in this behalf. इसके लिये सरकार तारीख मुकर्रर करेगी और नोटिफिकेशन जारी होगा। मेरी तरमीम यह है: 'From the date of its coming into force' कोई डेट सरकार अपोइन्ट करे और नोटिफिकेशन निकाले और बाद में पंचायत समितियों को कर वसूल करने का अधिकार हो इसके बजाय जिस तारीख से वह एक्ट फोर्स में आवे उस तारीख से अधिकार हों। ऐसी तरमीम मैंने रखी है। इस एक्ट के लागू होने की तारीख से यह अधिकार उनको हो यह मेरा संशोधन स्पष्ट है। फोर्मल सा है। आशा है इसे माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Hon'ble Minister to reply.

श्री दामोदरलाल व्यास : वैसे तो जो इस क्लॉज की मंशा है वह यह है कि जब पंचायत समिति बन जावेगी तो यह कलेक्शन का अधिकार सरकार उसको ट्रान्सफर कर देगी। और इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाल देगी कि फलां तारीख से यह टैक्स has been this tax will be realised अब माननीय सदस्य का कहना है कि जब से एक्ट फोर्स में आवे उस तारीख से ही इसको लागू समझा जावे। अब इसमें एक बात है। इस टैक्स में और दूसरे टैक्सों में फर्क है। दूसरे टैक्स तो पंचायत समिति की सम्मति से, उसके रेजेल्यूशन से लागू होंगे और यह आलरेडी फोर्स में है। तो इसलिए जब पंचायत समितियां बनकर एस्टेब्लिश हो जावें तब इसको ट्रान्सफर करना ज्यादा उचित रहेगा। नहीं तो इन्टेरिम पीरियड में यह होगा कि पंचायत समितियां तो बन नहीं पावेंगी और गवर्नमेंट वसूल नहीं कर सकेगी। तो इस दिक्कत को देखते हुए यह प्रोविजन रखा है। वैसे नोटिफिकेशन भी जल्दी सी निकलवाया जावेगा। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : In view of the explanation given by the Hon'ble Minister, I beg leave of the House to withdraw my amendment

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३ ए के अन्दर श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किया उसे वापिस लिये जाने की उनको अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ ए में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ ए संशोधित रूप से स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ ए संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

क्लॉज ४, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह संशोधन है कि The following new proviso be added before the proviso to sub clause (1):—

"Provided that the area of the block shall coincide with the area of the Tehsil within the District.".

बलवन्तराय मेहता रिपोर्ट के अनुसार एक ब्लाक में २० सर्किल और एक सर्किल में ४ हजार की आबादी। इस तरह ८० हजार का ब्लॉक होना चाहिए। पर आज देखते हैं कि दो–तीन तहसीलें मिलकर भी कहीं कहीं एक ब्लॉक बना है और इस तरह एक एक तहसील पंचायत का सरपंच और एम. एल, ए. को लेंगे तो वे दो दो, तीन तीन पंचायत समितियों के मेम्बर हो जावेंगे। इसमें काफी दिक्कत होगी। तो जैसे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर एक ही चीज है पर इस पर राय ली जावेगी तो कनफ्लिक्ट पैदा होता है।

......और कन्फ्लिक्ट भी होते हैं और साथ में जो साइकोलाजीकल होम्योजिनिटी होती है वह नहीं रहती है और काफी झगड़े होते हैं और अगर एक ही तहसील का एक ही ब्लाक होगा उसमें झगड़ा नहीं होगा और एकता के रूप में कार्य होता रहेगा। माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर तहसीलों में बहुत फर्क है कोई आबादी में बड़ी है, कोई कम है, कोई रकबे में बड़ी है तो कोई छोटी। लेकिन मेरा निवेदन है कि यही मौका है जब कि तहसीलों का रीऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अगर ऐसा कर दिया जायेगा तो जो भार पड़ने वाला है और जो २३२ ब्लॉक्स बनेंगे वह १७६ ही ब्लाक्स अगर बन जायें और तहसील भी इतनी ही हो जायें तो इससे तहसीलों का खर्चा भी कम हो जायेगा और सरकार वैसे इस पर कुछ सोच भी रही है। मेरा ख्याल है कि सरकार के सामने यही उचित समय है और इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए समता लाई जाये और मेरा यह भी निवेदन है कि यहां की कॉन्स्टीट्युएन्सी में एक ब्लाक और एक तहसील का जो एरिया हो वह एक सा होना चाहिये ताकि कन्वीनियेन्स हो और आगे झगड़े न हों।

श्री उपाध्यक्ष : डा० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन इसलिए करता हूँ कि यहां पर सवाल पंचायत समितियों के गठन का है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। बात यह है कि जितने भी ब्लॉक्स पिछली बार बनाये गये मैं समझता हूँ कि कई ब्लॉक्स जैसे धौलपुर में बसेड़ी का ब्लॉक है, वह ब्लॉक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव तहसील का है लेकिन राजाखेड़ा तहसील में जो ब्लॉक बनाया गया है वह तहसील छोटी होने के कारण कुछ और एरिया लेकर ब्लॉक बनाया गया है। इस प्रकार से जो व्यवस्था आप करना चाहते हैं वह नहीं हो पाती है क्योंकि एक ब्लॉक अगर दो तहसीलों में बंटा हुआ है, इस प्रकार से जो तहसीलदार हैं और दूसरे अधिकारी हैं उनका समन्वय नहीं हो पाता है, वह काम नहीं कर पाते हैं। या तो उनको यह व्यवस्था करनी पड़ती है कि फलां ब्लॉक की मीटिंग फलां तारीख को है और फलां ब्लॉक की मीटिंग फलां तारीख को है। अगर मान लीजिए कि पंचायत समिति की

(डॉ० बहादुरसिंह)

मीटिंग एक ही तारीख को पड़ती है और तहसील लेवल के जो अधिकारी हैं वे मीटिंग में जाना चाहते हैं तो वह किस प्रकार जा पायेंगे। इसी तरह से विधान सभा का सदस्य है और उस क्षेत्र के अन्दर दो तहसीलें हैं तो मैं आपको बताऊं कि यह मुसीबत मेरे खुद के ऊपर ही पड़ती है कि बहुत सा एरिया धौलपुर का कुछ एरिया राजाखेड़ा में जायेगा और बहुत सा धौलपुर में जायेगा। इसलिए एक की मीटिंग अटेन्ड करने के लिए राजाखेड़ा जाना पड़ेगा और दूसरी मीटिंग अटेन्ड करने के लिए धौलपुर में जाना पड़ेगा। यही दिक्कत दूसरे सदस्यों के सामने भी आ सकती है। इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि तहसीलों का रीऑर्गेनाइजेशन होना ही चाहिए। जो सुझाव है वह बहुत गंभीर सुझाव है। इससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन तो बनेगा ही लेकिन इसके साथ ही साथ एक नई व्यवस्था भी कायम होगी। तो मैं माननीय मंत्री जी जो इस समय नहीं हैं वह आ जायें तो उपाध्यक्ष महोदय उनको आप कह दें....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : जवाब मैं दूँगा।

डा० बहादुरसिंह : शायद आपके अधिकार में नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे सारे अधिकार में है।

डॉ० बहादुरसिंह : इसलिए मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से जो एरिया तहसील का है उसके लिए मैं समझता हूँ कि ८०,००० की पॉपुलेशन एक तहसील में पर्याप्त है। अगर ब्लॉक के हिसाब से तहसील बन जाती है तो वह अधिक उपयुक्त होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से हो सकेगा इसलिए यह संशोधन जो रखा गया है यह विचारणीय है।

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, अभी अभी सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं भी उसको उपयुक्त समझता हूं। यह संशोधन केवल मात्र इसलिए रखा गया है कि जहां ब्लॉक का अथवा पंचायत का सर्किल एक तहसील से दूसरी तहसील में अथवा एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जायेगा वहां किस प्रकार से पंच अथवा सरपंच अथवा पंचायत समिति का मेम्बर किस प्रकार से होगा और उसके लिए विशेष प्रोविजन इसके द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा और भी कई अमेन्डमेन्ट आये हैं। इस नये संशोधन को मान लेने से वास्तव में यह सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि तहसीलों का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और हम उनके समानान्तर ही इन क्षेत्रों को बनायें तो वह ज्यादा उपयुक्त होगा। अब यह बात दूसरी है कि तहसीलों का भविष्य आगे जाकर क्या होने वाला है। मैं समझता हूं, और कई अनुभवियों की यह राय भी है कि आगे जाकर ये तहसीलें ब्लॉक्स में परिवर्तित हो जायेंगी और ब्लॉक का एडमिनिस्ट्रेशन एक नया रूप धारण कर लेगा। जैसा कि हमारे इस विधेयक से मालूम होता है कि सारा प्रशासन, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम नये ढांचे में आ

(राव श्री नारायणसिंह)

रहा है तो हमें उस ढांचे को ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें कम से कम ऐसी शंकाओं की गुंजाइश न हो कि जहां एक मेम्बर को दो जगह जाने का अवसर आये तो वह दोनों ही जगह आसानी से जा सके। यदि हम इसको मान लेते हैं तो कई ऐसे प्रोविजन्स क्लॉज ६ में आयेंगे अथवा दूसरे स्थान पर आयेंगे वह उससे हल हो जायेंगे और यह बिल्कुल उपयुक्त होगा। न केवल यह तहसीलों में समानान्तर है अथवा एक तहसील में दो ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। जैसे अजमेर में जो तहसील है वह सब–डिविज़न के समानान्तर है, काफी बड़ी है और एक एक तहसील में दो दो ब्लाक्स हैं और वहां यह लाइकलीहुड नहीं है कि वहां अभी भी स्थिति ऐसी है कि दो ब्लॉक्स भी होते हुए वह एक ही तहसील है और वहां तहसील पंचायत भी नहीं है। इसी प्रकार से सारे राजस्थान में ही अगर सारी तहसीलों का एक प्रिन्सिपल बना लें कि एक तहसील एक एम० एल० ए० के क्षेत्र के बराबर होगी अथवा ऐसी ही कुछ व्यवस्था करें कि जिससे हमारी जो यह नई व्यवस्था है और जो नया ढांचा बनेगा वह समानान्तर हो तो काफी दिक्कतें इससे दूर हो जाती हैं। तो मैं भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इन्चार्ज इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, यदि हमने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया तो मैं समझता हूँ कि सारी व्यवस्था ही बिगड़ जायेगी। जिन माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा है उन्होंने यह नहीं देखा कि हम यहां तहसीलों का पुनर्गठन नहीं कर रहे हैं और ब्लॉक्स का एरिया अथवा किसी तहसील का एरिया हम यहां डिक्लेयर नहीं करने जा रहे हैं। जिस रूप में यह रखा गया है उसमें स्वीकार कर लिया तो माननीय सदस्य जो चाहते हैं और जो उनका इसको रखने का मकसद है वह पूरा नहीं होगा और सारी गड़बड़ी हो जायेगी :—

"Provided that the area of the block shall coincide with the area of the Tehsil within the Districts".

ब्लॉक का जो एरिया तय कर लिया है वह तहसील एरिया के बराबर होगा। जो वर्तमान में तहसीलें हैं उनका परिवर्तन हम इस बिल के द्वारा नहीं कर सकते। तहसीलें कितनी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं यह परिवर्तन हम करने वाले नहीं हैं। यदि इस संशोधन को मान लिया तो तहसीलों का जितना क्षेत्रफल है उसके अनुसार अगर ब्लॉक्स बना दिये गये तो माननीय सदस्य का जो इस संशोधन को रखने का अर्थ था और जो बिल की मन्शा है उसका समर्थन करते हैं और राजस्थान में वर्तमान ढंग से जो ढांचा बना हुआ है वह बिल्कुल गलत है। एक तरफ को हम जयपुर को देखें तो वहां करीब १७ लाख की आबादी आती हैं, जैसलमेर में एक लाख है, कोई ऐसी तहसील है कि जिसमें २० हजार की ही आबादी है। कई स्थान ऐसे हैं कि जहां एक ही तहसील में दो ब्लॉक्स बना दिये हैं। तो जो माननीय सदस्य की भावना है वह बिल्कुल सही है कि भविष्य में एक ब्लॉक को अगर बनाया जाये तो उसकी आबादी ४०,०-०० की हो। लेकिन यह संशोधन यदि हमने मान लिया तो इसका अर्थ ही उल्टा हो जायेगा क्योंकि यहां पर गवर्नमेन्ट ब्लॉक्स डिफाइन

Page No.75

(श्री जगदीश प्रसाद माथुर)

करेंगी। तहसीलें तो जो हैं यह वही रहेगी। अगर तहसीलों के आधार पर ब्लॉक्स बनायेंगे तो कहीं तो ब्लॉक ४० हजार का हो जायेगा, कहीं पर २० हजार का हो जायेगा और कहीं पर एक लाख का होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सारी परिस्थिति ही बिगड़ जायेगी। हां, जैसा कहा गया कि हमें एक स्टेन्डर्ड मान लेना चाहिए तो उसकी बात तो मानी जा सकती है.......

तहसील का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन वर्तमान तहसीलों के आधार पर जब ब्लॉक्स का पुनर्गठन किया जायेगा तो सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ जायगी, और माननीय सदस्य की जो मन्शा है वह पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। उनकी मन्शा की सराहना करता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन प्रशासनिक ढांचे में जब तहसीलों का पुनर्गठन ब्लॉक्स के आधार पर करना भविष्य के अन्दर सहूलियत रहेगी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय .....

श्री सभापति: श्रीमती गंगादेवी डाटा।

श्री पी० के० चौधरी: I may be permitted to speak.

श्रीसभापति: No. Shrimati Ganga Devi Data.

श्री मती गंगादेवीडाटा: (रामगढ़) माननीय सभापति महोदय, जो अभी माननीय सदस्य भटनागर साहब ने संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनके एरिया में इस तरह की दिक्कत है तो इस तरह की दिक्कत का मेरे क्षेत्र में भी उदाहरण जीता जागता है। किशनगढ़ ब्लॉक के अन्दर अलवर की तहसील के गांव लगे हुए हैं ४, ५, साल से। तो आज मैं देखती हूं कि उसका कारण यह है कि वह एरिया बिल्कुल उस साइड में नहीं पड़ता है बल्कि दूसरी साइड में पड़ता है। काफी फासले पर पड़ता है। अधिकतर उपयोगी तो यही होगा कि जिस तहसील के गांव हों उसी ब्लॉक में जाना चाहिए। एक ब्लॉक के गांव दूसरे ब्लॉक में लगाये जांय तो उससे नतीजा क्या होनेवाला है कि एक सरपंच जो मेम्बर होगा आखिर दो गांव एक ब्लॉक में लग जाते हैं तो उसको उधर जाना पड़ेगा और जहां १० गांव होंगे वहां भी रहना पड़ेगा। जहाँ ज्यादा गाँव होंगे औ जहां सुविधा होगी वहां पर सरपंच पहुंच पायेगा। जहां ज्यादा फासले पर होंगे गाँव तो वहां वह पहुंच नहीं पायेगा, और उन गांवों में डेवलपमेंट में बहुत सी बाधाएं आयेगीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो संशोधन आया है उसको मान लिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मुझे तो यह उम्मीद थी कि शायद माननीय मिनिस्टर महोदय इन चार्ज की तरफ से यह संशोधन आयेगा, क्यों कि हम देखते हैं कि यह जो लेजिस्लेशन पास करने जा रहे हैं तो कुछ जुरिस्डिक्शन लोकल बॉडीज़ का और एडमिनिस्ट्रेशन का

(श्री पी० के० चौधरी)

ओवरलेपिंग आफ जुरिस्डिक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यह ब्लाक्स बनेंगे जैसा कि अमेंडमेंट के मूवर ने बताया हैकि कुछ एरिया एक तहसील का दूसरे ब्लॉक में जायेगा जो कि दूसरी तहसील में होगा। तो इस तरह से ओवरलेपिंग एरिया क्रियेट होता है। इन दोनों ही ब्लॉक्स में पंचायत समिति कायम रहेगी। वह भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट का काम है। तहसील पंचायत का भी जो काम है वह भी डेवलपमेंट का काम है।

दूसरी बात यह है कि इस बात का उसूल मन्जूर किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बिल के वादविवाद के जवाब में कहा था कि मौका आने पर तहसील पंचायत को एबोलिश भी करा दिया जायेगा साल डेढ़ साल होने के बाद। जो तहसील पंचायत को एबोलिश करा है लेकिन उसके बाद तहसील जो रेवेन्यू युनिट एडमिनिस्ट्रेशन की भी रहेगी। तो अब ओवरलेपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन में आज तक यह देखा गया है कि ओवरलेपिंग जुरिस्डिक्शन का एक दफा हो जाने के बाद फिर चेन्जेज लाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है क्योंकि कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट क्रियेट हो जाते हैं जो कि स्टेटको डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। इसलिए जो ब्लॉक्स बन रहे हैं तो ज्यादा फारसाइटेडनेस तो इसी में है कि हम ब्लॉक्स इस तरह से क्रियेट करें कि जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव युनिट और ब्लॉक का एरिया ओवरलेपिंग नहीं हो, और उनका एरिया कोटरमीनस हो। कोटरमीनस ब्लॉक का एरिया तहसील या ताल्लुके एरिया से होगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा स्मूथनेस रहती है और बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी यही सिफारिश की थी। ब्लॉक का एरिया इस प्रकार से होना चाहिए कि जो तहसील या ताल्लुके के एरिया के साथ कोटरमीनस हो। यानी उन्होंने ब्लॉक की पापुलेशन फिक्स कर दी कि ब्लॉक की पापुलेशन ५०, ६० हजार की हो, मैं नहीं समझता हूं कि ब्लॉक का एरिया एक दफा किसी एक बेसिस पर तय कर लेते हैं तो वह इर्रिवोकेबल है, चेन्ज नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कम्युनिटी ब्लॉक्स जो हैं वह आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। इसको काम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने खुद ने कबूल किया है कि Community Projects proved to be failed.यह उन्होंने मन्जूर कर लिया है। जब कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स फेल्योर हैं, और जब कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स इनसिस्ट किये गये थे उस टाइम में पापुलेशन का बेसिस बता दिया था कि ५० हजार या ८० हजार के बीच में आबादी रहनी चाहिए। उस क्राइटेरिया को अब भी मानकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, ओवरलेपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन क्रियेट करते हैं। मैं मानता हूँ कि मिनिस्टर इन्चार्ज जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं लेकिन उनके दिमाग में यह बात नहीं आई है कि एक दफा ओवरलेपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन क्रियेट करने के बाद उसका मिटाना कितना मुश्किल रहता है। दूसरे देशों ने भी तजुर्बा किया है कि लोकल बॉडीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव युनिट के ओवरलेपिंग ऑफ जुरिस्डिशन क्रियेट करने के बाद फिर से करेक्ट करने में काफी दिक्कत आती है। उसकी मिसाल इंगलेण्ड में दिखाई देती है। वहां पर ओवरलेपिंग अलग अलग लोकल बोडीज़ के जुरिस्डिक्शन में था कि वहां पर गवर्नमेन्ट की बाउन्ड्री कमीशन तक

(श्री पी० के० चौधरी)

बैठाना पड़ा, और उस बाउन्ड्री कमीशन को भी सेबोटेज लोकल बॉडीज़ के जो रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ थे उन्होंने किया था। इसलिए किया था कि वहां वेस्टेड इन्ट्रेस्ट उसमें क्रियेट हो जाते हैं, इसलिए मैं समझता हूं, आज जब नये ब्लॉक्स बना रहे हैं ये ब्लॉक्स ऐसे नहीं हैं। हम तो कन्सेपचुअल ब्लॉक्स बना रहे हैं। राजस्थान में २३० ब्लॉक्स होने वाले हैं जिनको शेडो ब्लॉक गवर्नमेन्ट कहती है। ब्लॉक्स और शेडो ब्लॉक्स में पंचायत समिति बनेंगी। तो ऐसे ब्लॉक्स जब बनते हैं तो तहसील के बेसिस पर बना लेते कोई दुविधा नहीं होने वाली है। एक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि यहां हम ब्लॉक्स के एरिया को डिफाइन कर रहे हैं। तहसील के एरिया को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इस बिल के जरिये जब हम दो तीन एक्ट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, यह मुश्किल बात नहीं है कि उसमें हम तहसील के एरिया में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। वह बात नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि यह तय कर दिया है कि पापुलेशन के बेसिस पर क्रियेट होना चाहिए, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ५०,६० थाउजेण्ड का क्राइटेरिया लिख दिया, इसके अन्दर आपको नहीं जाना चाहिए। यह एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद नहीं हो और मैं इसी बिनापर ओवर लेपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं हों और कोटरमीनस जुरिस्डिक्शन ब्लॉक का और तहसील का जैसा कि बलवन्तराय कमेटी ने सिफारिश की है, उस उसूल को मानते हुए, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस क्लॉज के ऊपर अपना जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस धारा के ऊपर इसी हाउस में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते हुए इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि इस धारा को जैसे का तैसा मान लेने से कम से कम विधान सभा के मेम्बरों के लिए बहुत ज्यादा असुविधा हो जायगी। इस विचार को लेकर मैं अपने विचार को नहीं प्रकट कर रहा हूँ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पंचायत समितियों का गठन हो रहा है और वह गठन जो है वह विकास की दृष्टि से हो रहा है, राजनैतिक प्रशासन की दृष्टि से नहीं हो रहा है। तहसीलों का गठन जो अब तक हुआ है, राजा महाराजाओं और अंग्रेजों के जमाने में भी वह एक राजनैतिक दृष्टि से किया था। यानी तहसील का फॉरमेशन करने के लिए हमेशा उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हमें तो तहसील का ऐसा भाग लेना चाहिए जो राजनैतिक दृष्टि से, शासन की दृष्टि से हमारे लिए सुविधाजनक हो।

इस वक्त जो हम विचार कर रहे हैं ब्लोक्स के फोरमेशन का वह शासन की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं बल्कि विकास की दृष्टि से कर रहे हैं ताकि हम जो संगठन कर रहे हैं वह वहां की प्राकृतिक दशा को देखकर नहीं कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के रहन सहन को देखकर, वहाँ के लोगों की रीति रिवाज को देखकर और वहाँ के लोगों की विचारधारा को देखकर ही इस प्रकार के ब्लोक्स का गठन करना चाहिए। चाहे एक ब्लोक में दो या तीन तहसीलों का हिस्सा मिलाकर ही क्यों नहीं किया जाय। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा की माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, ब्लोक्स का गठन करने के लिए तहसीलों का ध्यान न रखकर, प्राकृतिक

(श्री पी. के. चौधरी)

बाउन्डरीज को न मानकर तेहसीलों के हिस्से हों उसका ध्यान नहीं रहना चाहिए और सुविधा के अनुसार ब्लोक्स बनाने चाहिए।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना उचित समझता हूं कि इसकी वजह से तहसीलों को रिओरगेनाइज करने का सवाल है इसलिए यह मसला भी साथ साथ हल हो जाय और हमारी वर्तमान तहसीलों के बजाय भविष्य की तहसीलों की रूप रेखा ब्लोक्स के आधार पर रखी जाय तो उचित होगा। इसलिए आपका सुझाव उत्तम है इसे मान लेना चाहिये।

श्री भैरूलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०): सभापति श्री महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि ब्लोक एरिया तहसीलों के आधार पर हो। अब आपको ध्यान यह लाना चाहता हूँ कि मनोहरथाना में एक ब्लॉक है। उसमें पूरे मनोहरथाने की तेहसील और अकलेरा तेहसील का आधा हिस्सा मिलाकर यह ब्लोक है याने अकलेरा तेहसील के दो खंड कर दिए गए हैं। अब उस तहसील के आधे लोग तो यह कहते हैं कि हमारे यहाँ विकास का कार्य अच्छा हो रहा है और आधे हिस्से के लोग जहां पर ब्लॉक नहीं है वे कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। इस तरह से एक ही तहसील के लोगों में आपस में मतभेद हो गया है। आधे लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है और आधे कहते हैं कि काम अधुरा है। इस तरह से वहां के लोगों में असंतोष है इसके अलावा पूरी तहसील का रेवेन्यू का काम तहसील हैड क्वार्टर पर होता है। इसी तरह से यदि पंचायत समितियां बनेंगी तो आधी तहसील के विकास का काम उधर ब्लॉक में चला जायेगा और रेवेन्यू का काम तहसील हेड क्वार्टर पर पर जाता रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ब्लॉक एरिया के आधार पर मौजूद तहसीलों में परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि इसी ढंग से काम चलेगा तो तहसील का काम ठीक ढंग से चलेगा और पंचायत समितियां अच्छी तरह से काम कर सकेंगी। इसलिए मैं संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): सभापति महोदय, यह हमारे सामने जो प्रस्ताव है माननीय सदस्य का–'Provided that the area of the block shall coincide with the area of the Tehsil within the District'. जब इस पर विचार करते हैं तो हमारे सामने दो तरह के विचार आते हैं। पहला विचार तो तब उत्पन्न होता है जब एक ब्लॉक दो तहसीलों का होता है और दूसरा विचार तब उत्पन्न होता है जब एक तहसील में दो ब्लॉक्स होते हैं, जब हम इस पर विचार करते हैं, जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि डेढ तहसील का एक ब्लॉक है और आधी तहसील बिना ब्लॉक की है। यदि इस प्रस्ताव से the block shall coincide with the area of the Tehsil... जिन एरियाज में दो तहसीलों को मिलाकर बने हुए ब्लॉक्स हैं वहां अब दो ब्लॉक्स हो जायेंगे और जिन तहसीलों में दो ब्लॉक्स हैं वहां २ ब्लॉक्स न रह कर एक ही रह जायेगा और जिन तहसीलों का नक्शा दो ब्लॉक्स में इसलिए हो रहा है वहां यदि यह करें कि २ ब्लॉक कर दें तो वहां के लोगों में असंतोष होगा और जहां की तहसीलें छोटी छोटी हैं वहां २,२ को मिलाकर ब्लॉक बनाये हैं उनको यदि इस प्रकार के ब्लॉक्स में रख दिया तो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उनके सर पर खर्चा अधिक पड़ेगा। इसलिये जब तक तहसीलें ठीक तरह से नहीं रखते हैं और निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नहीं होती हैं तब तक यह कहना कि जहां २ ब्लॉक्स हैं वहां एक कर दिया जाय तो उनमें विकास नहीं होगा। क्योंकि यदि राजस्थान का इतिहास देखें तो छोटी छोटी रियासतों ने अपनी सुविधा के अनुसार अपनी रियासत को बांट रखा था, जैसे कोटा में छोटी छोटी तहसीलें हैं और ब्लॉक्स २ तहसीलों को मिलाकर बने हैं और जोधपुर में और शेखावाटी में एक एक तहसील में दो दो ब्लॉक्स हैं। इसलिये जब तक तहसीलों का पुनर्गठन नहीं होता है निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार तब तक इस पर यहां विचार करना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसकी भाषा ऐसी है :

'Provided that the area of the block shall coincide with the area of the Tehsil within the District.

इसके स्थान पर मेरा संशोधन यदि मौलिक रूप से मान लें तो यह हो जाय :

'An area of the Tehsil shall coincide with the block'. जैसे ब्लॉक अमुक आबादी पर बनाया जायेगा, ५० हजार से ऊपर की आबादी का रहेगा तो यदि तहसील का इस तरह से पुनर्गठन हो जाता है तो एक ही सेक्शन से इसका पुनर्गठन हो जाता है और इसके लिये नया लेजिस्लेशन नहीं लाना पड़ेगा। तो सारा झगड़ा दूर हो जायेगा वरना उन्हीं सेन्टेन्सेज पर चलेंगे तो जो भावना उनकी है वह पूरी नहीं होगी और माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इसका समर्थन किया है उनकी भावना भी पूरी नहीं होगी। इसलिये जहां दो हैं वहां एक करना चाहते हैं तो लोगों में असंतोष होगा। आप तहसील ऐसी बनाइये जो निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर हो। मेरे मौलिक संशोधन को स्वीकार किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जो इसकी गलत टरमीनॉलोजी या शब्दावली है उसका मैं विरोध करता हूँ। इसकी धारणा का मैं स्वागत करता हूँ।

श्रीसम्पत्तराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूँ। सभापति महोदय, राजस्थान में लगभग २१० तहसीलें हैं और सब तहसीलों की आबादी एक सी नहीं है। जैसे मैं निवेदन करूं कि झालावाड़ जिले में ३०,३० हजार की आबादी की भी तहसीलें हैं तो राजस्थान के अन्य भागों में डेढ, दो लाख की आबादी की भी तहसीलें हैं। ऐसी सूरत में यदि विकास खंड मौजूदा सीमा पर नियुक्त किये गये तो जो विकास खंड निर्धारित किये गये हैं उनकी तादाद काफी बढ जायेगी और दूसरे आधार पर रखे गये तो विकास खंडों की तादाद घट जायेगी। इसलिये जब तक तहसीलों का रिऑर्गेनिजेशन नहीं हो जाता है तब तक संशोधन मान लिया जाता है तो गड़बड़ी होती है। मान लीजिये कोई विकास खंड होता है लगभग ६० हजार की जनसंख्या के आधार पर तो जहां पर डेढ लाख या दो लाख के ब्लॉक्स हैं वहां समस्या यों ही रहती है। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन उचित नहीं है। जहां पर डेढ तहसील का विकास खंड है वहां आधी तहसील रह जाती है तो वहां पर शेडो ब्लॉक बनने वाला है और धीरे धीरे सारी समस्या हल होने वाली है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, जो अमेंडमेंट सलूम्बर से आनेवाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। उसकी वजह यह है कि सिद्धान्त यह है कि तहसील और ब्लॉक का कोटरमीनश हो, यह सिद्धान्त बहुत अच्छा है, लेकिन राजस्थान की हालत ऐसी है, जैसा कि कोटा से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया कि राजस्थान में जितनी तहसीलें बनी हुई हैं, वे २० हजार से ३० हजार के लगभग की आबादी की तहसीलें हैं। इसके अलावा आप डेजर्ट एरिया की तहसीलों को लें, तो देखेंगे कि उनका एरिया इतना बड़ा है। अगर हम लॉट में यह प्रोवाइड कर दें कि तहसील और ब्लॉक में कोटरमीनश होगा तो हमें उन्हें रीकान्सटीट्यूट करना पड़ेगा और बहुत सी तहसीलें बनेंगी और बहुत सी नहीं बनेंगी। यह बात जरूर है कि जो सिद्धान्त है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। गवर्नमेंट को ध्यान है कि जहां तक मुमकिन हो, और ब्लॉक का कोटरमीनश होना चाहिए, मगर राजस्थान की हालत देखते हुए यह पोसिबल नहीं है कि लॉ में इस तरह की बात ला सकें। जैसा कि अभी बतलाया, इसमें तीन तरह की पोजीशन वास्तव में आती हैं, एक तहसील में दो ब्लॉक में हो सकती है, अगर एरिया बहुत बड़ा है, उसकी आबादी ज्यादा है तो एक ब्लॉक में हो सकता है, डेढ़ तहसील मिलकर एक ब्लॉक हो सकता है, जहां छोटी तहसीलें हैं, २०, २५ हजार की तहसीलें हैं, वहां दो तहसीलों का मिलाना होगा क्योंकि ब्लॉक की जो पॉपुलेशन रखी है, वह ६० हजार ६५ हजार है, उस लिहाज से ब्लॉक कायम करने पड़ेंगे। तो राजस्थान में तहसीलों में बहुत डिसपेरिटी है, पॉपुलेशन और एरिया में बहुत डिसपेरिटी है। मैं निवेदन करूंगा कि आप नागोर एरिया को देख लीजिये, वहां पर कितनी बड़ी तहसीलें हैं, उसमें कोटरमीनश रख देना वाजिब नहीं होगा। यह प्रेक्टीकेबल नहीं है मौजूदा हालत में। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह संशोधन पेश किया है, वे इसकी अहमियत को समझेंगे कि इस प्रकार के अमेंडमेंट का लॉ में प्रोवाइड कर देने के क्या कान्सीक्यूएसेज हो सकते हैं। यह प्रेक्टीकल नहीं है उसको लॉ में प्रोवाइड कर दें...

श्री सोहनलाल भटनागर : तहसीलों के रीआर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। The Government is thinking to reorganise the tehsils then why not at this stage?...

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो ठीक है कि उसकी रिपोर्ट आ गई है और उस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उससे मतलब हल नहीं होता है जैसा कि आप करना चाहते हैं। ब्लॉक और तहसील को कोटरमीनश बना दिया जाय मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है डेजर्ट एरिया की, उनकी आबादी के लिहाज से यह पासिबिल नहीं है, इसलिए इसको लॉ में प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपने प्रस्ताव रख दिया, और सुझाव दे दिया उसके लिए धन्यवाद, अब इसे वापिस ले लीजिए।

श्री सोहनलाल भटनागर : सभापति महोदय, मुझे अमेंडमेंट वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो

Page No.81

(श्री सभापति)

संशोधन प्रस्ताव श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है..

श्री दामोदरलाल व्यास : He has already withdrawn.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४, जैसा है, वैसा ही पास किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ स्वीकार किया गया ।

श्री सभापति : जो क्लॉज ५ है, वह ली जाती है । इसमें श्री रामप्रसाद लढ्ढा ने संशोधन प्रस्तुत किया है । वे प्रस्तुत करें ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : चेयरमैन महोदय, क्लॉज ५ की सब-क्लॉज (१) इस प्रकार है :

"The State Government may, by notification in the official Gazette, constitute a Panchayat Samiti for a block with effect from such date as may be specified in the notification"

मैंने इसमें यह तरमीम प्रस्तुत की है कि 'with effect from such date as may be specified in the notification के बजाय with effect from Second October 1959'. कर दिया जाय । इसके पीछे एक सिद्धान्त है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस देश के लिए एक स्वप्न था कि यहां की शासन व्यवस्था किस प्रकार की हो । वे चाहते थे कि यहां पंचायत राज्य की स्थापना हो । वे चाहते थे कि इस देश में राम-राज्य हो–वे चाहते थे कि इस देश में ऐसा राज्य हो कि जहां शासक और शासन का कम से कम हस्तक्षेप हो ।

यह बिल, जो सदन में विचारार्थ लिया जा रहा है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ है, इसलिए इसे सेकिंड अक्टूबर-१६५६ से लागू किए जाने का विचार किया गया है । इसका मतलब यह है कि इस बिल के तहत पंचायत समितियों का निर्माण सेकिंड अक्टूबर से होगा । हमारे मुक्य मंत्री ने, इस सदन के सम्मुख, जब कि इस बिल पर वादविवाद जारी था और कल जब बहस पर भाषण दे रहे थे, तब यह कहा था कि यह योजना सारे राजस्थान में सेकिंड अक्टूबर से लागू हो जायगी, मतलब यह है कि पंचायत समितियों का निर्माण सेकिंड अक्टूबर से हो जायेगा और यही घोषणा राज्यपाल महोदय ने भी अपने संदेश में की थी । मैंने भी स्टेट गवर्नमेंट के इस डिसीजन की और लीडर आफ दी हाउस के अनाउन्समेंट को incorporate करने के लिए तरमीम पेश की है । मैं जानता हूं कि सेकिंड अक्टूबर से पंचायत समितियों का निर्माण हो रहा है और इसका उद्घाटन भी प्राइमिनिस्टर पण्डित जवाहरलाल नेहरू सेकिंड अक्टूबर को नागौर में कर रहे हैं ।

(श्री रामप्रसाद लड्डा)

जब कि इन पंचायत समितियों का निर्माण सेकिंड अक्टूबर से हो रहा है, और इसके प्रावधान को सेकिंड अक्टूबर १६५६ से लगाया जा रहा है, ऐसी घोषणा कर दी गई है तो कोई वजह नहीं रहती है कि इस बिल में इस तारीख को न लिख दें। २ अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म तिथि है और इस दिन को बिल में स्पष्टतया बता देने से जनता के मानस पर इस बिल के महत्व की चिर स्थाई छाप अंकित होगी। इसलिए लीडर ऑफ दी हाउस के एनाउन्समेन्ट को और स्टेट डिसीजन को स्पष्टतया Micorposate करने के लिए यह तरमीम पेश की है, आशा है, माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह।

श्री दामोदरलाल व्यास : There is an amendment by Shri Daya Krishan Vijay, in clause 5.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, मैंने क्लॉज ५ के सब क्लॉज (४) में संशोधन प्रस्तुत किया है। उप खण्ड (४) इस प्रकार है :

'Y after a Panchayat Samiti is consituted for a block under sub-section (1) the block is redelimited, the State Government may reconstitute the Panchayat Samiti for the redelimited block under the provisions of that sub-section... इसका अर्थ यह है, अगर कोई जरा सा भी हिस्सा किसी पंचायत समिति से निकाला जाय या जोड़ा जाय, किसी प्रकार सीमाओं में अन्तर आये, तो सारी पंचायत का पुनर्गठन किया जाय, फिर से चुनाव कराये जायं। इसके लिए मैं संशोधन प्रस्तुत करने के साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की परम्परा चुनावों की न डाली जाय कि सीमा इधर से उधर हो जाने पर पंचायत का पुनर्गठन होगा व चुनाव होगा, क्योंकि पंचायत समितियों को बहुत सी योजनायें पूरी करनी हैं, वे चुनाव में उलझी रहेगी। जो पंचायत समिति के पुनर्गठन का प्रोसीजर है, उस पर दृष्टि डालें। जो क्लॉज है, उसको हम पढ़ें तो मालूम होगा कि हमको कम से कम पूरा एक महीना पुनर्गठन में लग जायेगा। पहले तो Co-option होगा by the Sarpanch of Panchayat, Sarpanch of Panchayat Co-option करेगा उसके बाद मीटिंग होगी, कलेक्टर सूचना देगा, फिर कॉप्टेड मेम्बर्स की मीटिंग होगी, उसमें प्रधान चुना जायेगा और उसके बाद मीटिंग होगी। इस प्रकार बिल में दिये गये प्रोसीजर के तहत पंचायत समिति का पुनर्गठन करते हैं. या किसी प्रकार पंचायत समिति पुनर्गठित की जाती है, तो एक लम्बा प्रोसीजर साथ में लेना पड़ेगा।

फिर मैं यह बताना चाहता हूं कि पंचायत समिति के जिस क्लॉज पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ब्लॉक तहसील के आधार पर होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होना चाहिये। इसका मतलब यह है कि फिर से पुनर्गठन करेंगे, यह सम्भावना है कि इस एरिया में इसको मिलायेंगे और फिर वह मिलायेंगे और फिर चुनाव करायेंगे। इस प्रकार गांवों के लोग चुनावों में फंसे रहेंगे। जब गांव वाले चुनाव की तैयारी करते हैं तो वे अपना ध्यान चुनावों में

Page No.83

(श्री दयाकृष्ण विजय)

केन्द्रित कर देते हैं। हर बार जब एरिया मिलता है, या घटता है, तो फिर उसका चुनाव कराया जायेगा और इस प्रकार चुनाव का दौर चलता रहेगा और विकास के कार्य पीछे पड़ते रहेंगे। इस क्लॉज के अतिरिक्त जो पहले क्लॉज पास कर चुके हैं, इसकी धारा चार–पांच–छः में यह है कि ब्लॉक का एरिया यदि कुछ इन्क्लूड किया है, तो उसके रूल्स रेग्यूलेशन लागू हो जायेंगे। इसमें यह प्रावधान नहीं है कि एरिया इन्क्लूड होने से पहले या बाद में लगेंगे......

दूसरा सब–सेक्शन ४ इसमें एरिया एक्सक्लूड किया जाता है, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन्स हैं वे लागू होंगे। इसी प्रकार क्लॉज ५ में एरिया ट्रान्सफर किया है, इसका भी कोई अवसर नहीं पड़ता। तो क्लॉज में एक्सक्लुजन, इन्क्लुजन और ट्रान्सफर ये तीनों चीजें आ गई हैं तो थ्री ईयर्स टर्म के हैं उसमें चुनाव मत कराइये, चुनावों से इसके कार्य की गति में शिथिलता आयेगी और जितने पंच हैं वे चुनावों में उलझे रहेंगे और तीन साल का कार्यकाल इसी में चला जायेगा। इसलिए उनकी टर्म है। तीन साल की उसमें चुनावों के विघ्न नहीं होने चाहिए जब तक कि कोई अनिवार्य आवश्यकता सुपरसेशन, डिजोल्युशन की नहीं जाती है। एक पंचायत समिति का एरिया है उसमें ७ ग्राम पंचायतें हैं उनमें से एक सरपंच चला जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, ७ के स्थान पर ६ सरपंच काम करेंगे। लेकिन पुनर्गठन हुआ तो को ऑप्शन दुबारा करना पड़ेगा, दुबारा ही प्रधान, उप-प्रधान होंगे। रीकॉन्स्टीट्यूट शब्द है उसकी परिभाषा यह है कि फिर से पुनर्गठन करेंगे तो सब कुछ दुबारा करना पड़ेगा। तो इनको आप चुनावों का अखाडा न बनायें। पुनर्गठन करने से इनके कार्य में विघ्न आयेगा। क्लॉज ४ है इसके सब–क्लॉज ४, ५, और ६ हैं उनसे सारा मकसद पूरा हो जाता है। उनको रखते हैं तो मेरे अमेंडमेंट के माफिक रखेंगे तो पंचायतों में स्थिरता रहेगी और किसी प्रकार के विघ्न उपस्थित नहीं होंगे मेरा संशोधन इस प्रकार है :

'If after a Panchayat Samiti is consti tuted for a blcok under sub-section (1), the bloack is redelimited in the middle of the session, that Panchayat Samiti shall not be reconstituted by any new addition or any reduction in the strength of that Panchayat Samiti by such redelimitation.''

यह मेरा प्रस्ताव है कि जब तक इनकी टर्म बाकी रहे तब तक किसी प्रकार के चुनाव नहीं हों। फिर भी हो सकता है कि सरपंच में अविश्वास हो तो इसके लिए दूसरे क्लॉज में प्रावधान है, उसे हटाया जा सकता है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अमेंडमेंट है।

श्री भानसिंह : But Sir it will be a breach of convention if the Hon'ble member who has been a member of the Select Committee moves an amendment. There is no note of dissent given by him.

श्री दामोदरलाल व्यास : As I submitted yesterday Sir...

श्री पी० के० चौधरी : We would like to have a ruling on this point...

श्री दामोदरलाल व्यास : The Chair has given a ruling...

श्री पी. के. चौधरी : No ruling was called for yesterday. However we want a ruling for today, You cannot speak.

श्री दामोदरलाल व्यास : With the permission of the Chair, I am speaking.

श्री पी. के. चौधरी : Then it should apply to private members also.

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में पहले व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मेरा अमेंडमेंट सिर्फ इतना है कि :

In sub clause (4) omit 'the provisions of ' in the penultimate line.

यह लेंग्वेज ठीक करने के लिए पुट किया है और कोई बात नहीं है। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने दो अमेंडमेंट पेश किए हैं और दोनों के लिए यह अर्ज करना चाहता हूं कि दोनों को स्वीकार नहीं करता...

श्री पी. के. चौधरी : I want to speak on it.

श्री दामोदरलाल व्यास : I must also speak on it. Do you want to have a debate. I am moving the amendment as well as replying to the dabtae.

श्री पी. के. चौधरी : No. you cannot reply it. I have still to speak.

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा): सभापति महोदय, क्लॉज ५ पर दो संशोधन आये हैं, एक तो शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने टाइम लिमिट लगाने के बारे में रखा है और दूसरा मानीय दयाकृष्ण विजय ने इसके सब–क्लॉज ४ पर रखा है।

दोनों संशोधन मुझे उचित ही लगते हैं, जो भावनाएं शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यक्त की हैं, वे वास्तव में सराहनीय हैं और हमें दो अक्टूबर को यह कार्य प्रारम्भ कर देना है, यह तकाजा बिल्कुल सही है। केवल मात्र इसमें यह विचार करना जरूरी होगा कि शायद कोई परिस्थिति ऐसी बन जाये कि जिससे अधिक पंचायतों के चुनाव, उनका एरिया समय पर नहीं हो सके, इन्हीं संभावनाओं पर राज्य सरकार ने ऐसी भाषा रखी है on such date as may be specified in the Notification.' लेकिन आज जो कार्यवारी चल रही है उससे ऐसा लगता है कि ऐसी संभावना नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि जहां पंचायतों के क्षेत्र बने हैं, उन पंचायतों के क्षेत्र में यदि १।३ आबादी घटी-बढ़ी हो तो वहां केवल मात्र जो आबादी बढ़ती है वहीं के प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए। यह बात है कि वहां के सरपंच का चुनाव अब सारे नौ होगा, इसमें नया प्रतिनिधि आया है उसको सम्मिलित करना होगा, पर पंचायत युनिट आधी से ज्यादा नये आते हैं तो सारे नए चुनाव करा सकते हैं। जहां थोड़ी सी हेरफेर हो वहां चुनावों को रखें तो २ अक्टूबर तक शायद

(राव श्री नारायणसिंह)

·वह नहीं कर सके। इसलिए ऐसी सीमा निर्धारित कर दे कि थोड़ा एरिया है वहां के प्रतिनिधि का चुनाव करा दें।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूँगा कि सब-क्लॉज ४ में श्री दयाकृष्ण विजय ने संशोधन रखा है, वह ठीक है। यदि मौजूदा रूप रहता है तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायेगी कि पंचायत समितियां और पंचायतें हमेशा चुनावों में ही उलझी रहेंगी। हमें चुनाव केवल मात्र इस लिए लाने पड़ते हैं कि प्रजातन्त्र का यह एक आवश्यक अंग है और इनसे जो व्यक्ति आयें वे प्रतिनिधित्व करें। इन चुनावों को रोज का खेल बना दें तो इनसे जनता ऊब सकती है और उनका दृष्टिकोण इन चुनावों के प्रति न्यून हो सकता है। इसलिए चुनावों को जहां खास आवश्यकता आ पड़े वहीं तक सीमित करना होगा। जिस जनतन्त्रीय मंशा से इस बिल को बना रहे हैं उसमें ये प्रोविजन निरसन करते हैं।

दूसरे प्रस्तावक महोदय ने यह भी कहा था कि क्लॉज ४ में एक्सक्लुजन, इन्क्लुजन और ट्रान्सफर का विशद विचार रख दिया है तो इसमें यह रखने की जरूरत नहीं थी, इसे मैं ठीक समझता हूँ। यह उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो अनुचित नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। उन्होंने यह संशोधन रखते हुए एक बड़ा परटीनेन्ट सवाल रखा है। चूंकि २ अक्टूबर को इसका उद्घाटन करने की घोषणा कर दी है और गवर्नर महोदय ने भी अपने भाषण में जो हमारी स्टेट की साल भर की पालिसी का द्योतक समझा जाता है, कहा था कि २ अक्टूबर से इस योजना को लागू करेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने भी यही कहा है। तो यह सारी बातें होने के बाद गवर्नमेंट हैसिटेट क्यों करती है इसे ले डाउन करने में कि हम सेकिन्ड अक्टूबर से कर रहे हैं? यह मेरी समझ में नहीं आता जब कि सारी दुनिया को हम कह रहे हैं कि २ अक्टूबर से राजस्थान में हम एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं और सब स्टेटों से आगे जा रहे हैं फिर आपको तारीख स्टेटुअरी ले डाउन करने में क्या दिक्कत आती है और उसको आप एग्जिक्युटिव पर क्यों छोड़ना चाहते हैं? सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान जो डेफिनेशन दी गई है फर्स्ट पेज पर उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। मैं उसको पढ़ूंगा:—

"Block means an area which may be declared by the State Government by notification in the Official Gazette, to be a block, irrespective of the fact whether the community Development Programme has initiated in that area or not" इस डेफिनेशन के लागू होने के बाद कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट होने से ब्लॉक नहीं माना जावेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से न कहे। इस बात को नोट करना चाहिये कि जिसको हम कोमन-वे में ब्लॉक अभी कहते हैं इस बिल के पास होने के बाद ब्लॉक नहीं माना जावेगा। गवर्नमेंट गजट में नोटिफिकेशन से मानेगी उसको हम मानेंगे। जब हमने मान लिया एक दिन करने का तो फिर तारीख डालने

(श्री पी० के० चौधरी)

से क्या मतलब है ? हम यह तारिख डिक्लेयर करने का काम एग्जिक्युटिव पर छोड़ देते हैं। यह सारी स्टेट के लिए तारीख मुकर्रर करने की बात नहीं है These are the blocks इसकी लेंग्वेज देखिये it means for each and every block there can be a separate date... इसमें यह नहीं कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायत समितियां सारी स्टेट के लिये, हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग तारीखें मुकर्रर कर सकती हैं। जैसा मैंने बताया है डेफिनेशन में रखा है इससे इनिशियेटिव उनको रहता है। मैं समझता हूं कि जब यह जनरल बात है तो इसको एग्जिक्युटिव के डिसिजन पर छोड़ना कहां तक उचित है ? एग्जिक्युटिव का ऐसा डिसिजन देना–

"The State Government may by notification in the Official Gazette, constitute a Panchayat Samiti for a block with effect from such date as may be specified in the notification."

तो इतने पॉवर देने को मैं या कोई महसूस नहीं करता है और जब गवर्नमेंट का इन्टेन्शन साफ है, सरकार की नीयत साफ है और वे चाहते हैं कि २ अक्टूबर से क्रान्तिकारी कदम लाने वाले हैं तो जो संशोधन भीलवाड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको उन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। To give proof of his sincerity and feeling of urgency in this matter... उनको मंजूर करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): सभापति महोदय, जो २ एमेन्डमेंट माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं, मैं उन दोनों संशोधनों को स्वीकार नहीं करता और जैसा भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है और संशोधन पेश किया है कि २ अक्टूबर को पंचायत का रीकॉन्स्टीट्यूशन करने और उस समारोह का उद्घाटन करने के लिये पंडितजी आवेंगे, यह बात सही है। इस इन्फॉर्मेशन में कोई फरक नहीं है लेकिन जिस समय हम कोई कानून बनाते हैं उस समय इस बात को ध्यान रखना होगा कि in all the 232 blocks in Rajasthan there will be Panchayat Samiti. २ अक्टूबर रखने का मतलब यह होगा कि कोऑप्शन अगर कोई कॉन्टीजेन्सी हो जाए तो उसको मीट करने के लिये नहीं रहता है। यह बात सही है कि २ अक्टूबर को इसका इनऑगरेशन पंडितजी से करावेंगे। हमने २ अक्टूबर रखा है लेकिन जिसको हम कॉन्स्टीट्यूट नहीं कर सके उसके लिये अगर तारीख फिक्स कर देते हैं तो अलग से अमेन्डमेंट लाने होंगे। इसलिये यह रखा है। नोटिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्ट हो तो उसके लिये यह नोटिफिकेशन की बात रखी जाती है और इसका रखना जरूरी है With effect from the date of its publication in the gazette or as may be prescribed by the State Government" इसके लिये इस तरह का प्रोविजन होता है। हमने २ अक्टूबर अनाउन्स कर दिया है और इसके लिये हम स्ट्रिक्ट हैं। उस रोज इनऑगरेशन हो जावेगा। मगर यह देखना होगा कि हम तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। २ अक्टूबर का टाइम जो हमने मुकर्रर किया है उसको चेन्ज करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कल मान लें कि को-ऑप्शन नहीं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

होगा तो फिर क्या होगा That may take sometime. । यह बिल पास होगा । रीप्रिन्ट होगा । रूल्स बनेंगे । इसलिये गवर्नमेंट के पास यह नोटिफिकेशन का पॉवर होना चाहिये । २ अक्टूबर को इनऑगरेशन होगा और प्रधान मंत्री करेंगे । राज्यपाल ने जो कहा है वह होगा ।

श्री श्रीभानसिंह : कहां करेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब तक तो, नागौर में करेंगे ।

श्री श्रीभानसिंह : Is it the nearest place in Rajasthan.

श्री पी० के० चौधरी : Why that place alone ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Governor has selected that place..

श्री श्रीभानसिंह : इसके अलावा कोई दूसरी उपयुक्त जगह नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : It is the centre and heart of Rajasthan.

श्री श्रीभानसिंह : So you draw your coltural inspiration from there...

श्री दामोदरलाल व्यास : Well it may be any place· दूसरा अमेन्डमेंट आपने रखा है उसको भी मैं नामंजूर करता हूं । उनके अमेन्डमेंट में जो बातें हैं उनको समझ नहीं पाया । इन मिडल ऑफ सेशन से उनका क्या मकसद है । असेम्बली के सेशन के मिडिल में होगा या पंचायत के सेशन के मिडल में होगा What does he means by this I have not been able to follow... मैं समझता हूं कि इसका क्या मतलब है, वे खुद भी नहीं समझ सके होंगे और न समझा सकेंगे । मैं तो कम से कम नहीं समझ सका हूं । इसलिये मैं उनके अमेंडमेंट को मंजूर नहीं कर सकता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : If after a Panchayat Samiti is constituted for a block under sub-sec...... ब्लॉक में बन जावेंगे कुछ इधर उधर होने से पंचायत समितियां क्या दुबारा कॉन्स्टीट्यूट की जावेंगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मिडल ऑफ सेशन से अपका क्या मतलब है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : तीन साल का टर्म है उसके बीच में कुछ रद्दोबदल होता है तो क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अपना उत्तर दे चुका ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि धारा ५ की उप-धारा (१) में जो भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य (श्री रामप्रसाद लड्ढा) ने संशोधन रखा है उसको...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि धारा ५ की उप-धारा (१) में जो भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसको विथड्रा करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(विराम)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I withdraw my amendment.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने जो संशोधन रखा है वह माननीय मंत्रीजी के समझ में नहीं आया । मैं इसको वापिस नहीं लेना चाहता ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(विराम)

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाए।

(विराम)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ५ स्वीकार किया जावे ।

(विराम)

(स्वीकृत)

क्लॉज संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : On a Point of Order Sir. Before we proceed for clause 6, I wish to bring to the notice of the House a very important thing. We have started discussion and consideration on this Bill from Section two and onwards. We have not yet passed Clause 1 which has got important provision that it shall come into effect from on such date and in such areas as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint etc. So unless we pass this Clause passing of the other clauses will be vague. I therefore wish to verify that...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : It will be passed afterwardes. This is always passed afterwards.

श्री सभापति : क्लॉज एक और प्रीएम्बल इत्यादि बाद में लिये जाते हैं। क्लॉज ६ ।

श्री पी.के. चौधरी : माननीय सभापति महोदय क्लॉज ६ कम्पोजीशन ऑफ पंचायत के सम्बन्ध में है इसमें एक अमेंडमेंट आइटम नं. ७ पर है वह इस प्रकार है:–

Every Panchayat Samiti shall consist of Sarpanchas cf all Panchayats in the block इसको अमेन्ड करके रिप्लेस करना चाहता हूँ 'One representative elected from each Panchayat areo on the basis of adult franchise.'

दूसरा आइटम सरपंच आफ तहसील पंचायत Sarpanchas cf all Tehsil Panchayats in the block...' इसको डिलीट

(श्री पी० के० चौधरी)

करना चाहता हूँ । तहसील पंचायत का सरपंच इसका मेम्बर नहीं होना चाहिए । इसके बाद पार्ट (ii) का जो प्रोवीज़ो है उसमें लिखा है । ए० बी० सी० और डी० सारे को डिलीट करना चाहता हूं । इसके बाद इसके आइटम नं० २६ पर इस क्लॉज में दूसरा अमेन्डमेन्ट है ! डिलीट पार्ट ६ जहां पर 'Two persons residing whose experience in administration, public health or rural development would be of benefit to the Panchayat Samiti.' इसको डिलीट कराना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यहां 'Sarpanch of Panchayats' रखा है उसके डिलीशन का जो अमेन्डमेन्ट है उसके लिए बोलूंगा । यह जो पंचायत समिति का गठन है उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें सब से पहले यह ध्यान में आता है कि पंचायत्स नोमीनेटेड बॉडी हैं या इलेक्टेड बॉडी हैं या डिक्टेटरशिप की जमात है या क्या है, यह समझ में नहीं आता । हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी में जनता के प्रतिनिधि को देखते हैं वैसा पर्सनल भी यहां पर नहीं । यहां पर तो सब ex-officio members रखे हैं । यह मैं नोमिनेशन से भी गिरा हुआ अरेन्जमेन्ट मानता हूं इसमें हम देखते हैं सारे अरेन्जमेन्ट्स जो हैं वे सब एक्स–ऑफिशियो अरेन्जमेन्ट्स हैं । नोमिनेशन जो भी होता है आखिर वह किसी योग्यता के आधार पर होता है । किसी बुद्धू को तो नोमिनेट नहीं करते हैं । यहां जो इलेक्टेड की बात है वह भी नहीं है । वैसी हालत में एक्स ऑफिशियो का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता ।

एक माननीय सदस्य : क्या इलेक्टेड बुद्धू नहीं होते ?

श्री पी० के० चौधरी : इलेक्टेड की बात तो बाद में आती है । लेकिन जो नोमिनेशन की क्लास है उससे भी गिरी हुई कोई क्लास है तो वह एक्स–ऑफिशियो है । एक्स-ऑफिशियो के सम्बन्ध में भी कई बातें कही गईं । एक्स–ऑफिशियो आखिर आप क्यों बनाना चाहते हैं । पंचायत समितियों और जिला परिषदें जो ब्लाक में पड़ेंगी उनका सारा अरेन्जमेन्ट एक्स ऑफिशियो के हाथ में होगा । लोकल बॉडीज का जो करेक्टरस्टिक्स है वह उसका इलेक्टिव प्रिन्सीपल है । Local bodies must constitute of elected persons.

इलेक्टिव प्रिन्सीपल लोकल बॉडीज में रहना चाहिए । ताकि लोकल बॉडीज में जो लोग रहते हैं उनका रिफ्लेक्शन हो और इन्हीं में से लोकल बॉडी को आप कॉन्स्टीट्यूट करते हैं उनकी जो एडवाइज होती है वह कम्प्रीहेन्सिव लोकल बॉडीज होती हैं । जिस किसी भी लोकल बॉडी को हम कॉन्स्टीट्यूट करते हैं वहां के जो निवासी हैं उन्हीं के तरफ से नुमायन्दे जाने चाहिए, लेकिन मुझे ताज्जुब यह देखकर होता है इस बिल को पढ़ने के बाद, जिसके लिए आप सारी दुनियाँ में ढिंढोरा पीट रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता सौंपी जा रही है । लेकिन आप इस बिल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक भी इलेक्टिव रिप्रेजेन्टेटिव नहीं आता है । सरपंच है जिसका चुनाव होता है उसको भी आपने एक्स–ऑफिशियो रख दिया । सरपंच जो होगा वह पंचायत समिति के काम को संभालने के लिए नहीं होगा उसका जो चुनाव होता है वह दूसरे काम के लिए पंचा-

(श्री पी० के० चौधरी)

यतों की सरपंचाई करने के लिए। पंचायत समिति में आदमी जाते हैं वहां पंचायत समिति में और इसमें इनके एरिया में काफी फर्क है। पंचायतों का एरिया दो हजार की आबादी का एरिया रहेगा। पंचायत समिति में जो आदमी रहेंगे उसका एरिया एक तहसील के बराबर एरिया है। और पंचायत समिति कम से कम २०, २५, ३० पंचायतों से मिलकर एक पंचायत समिति बनेगी। उनका आउट लुक ऐसा होना चाहिए वह सारे एरियों के लिए ब्रोड आउटलुक रखे। वहां तो सरपंच का दायरा केवल अपनी पंचायत तक है। अगर हम पहले का लोकल बॉडीज का डेवलपमेन्ट देखेंगे और उसके फेल होने का कारण मालूम करेंगे तो उसका सब से बड़ा कारण था। उनका एरिया केवल एक डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित होता था। इसमें जो मेम्बर्स जाते हैं उनका एरिया ऐसा नहीं होता था जिसके कारण सोचा गया कि छोटा एरिया होना चाहिए। हम तहसील के बराबर पंचायत एरिया बना सकते हैं। कम से कम तहसील पंचायत में जो आदमी जायेगा उसका आउट लुक पंचायत से बड़ा होना चाहिए। वह तभी बनता है जब कि हम उस काम के लिए वैसे आदमी की नियुक्ति करें। मान लीजिये मैं एक जस्टिस के चुनाव में खड़ा होता हूं। मेरी क्वॉलिटी जस्टिस की तरह की है। मुझे अगर जस्टिस बना दिया जाता है या सिन्दरी फैक्टरी का मैनेजर बना दिया जाता है तो मैं उस काम में बिल्कुल फेल होऊंगा। वह काम तो एक्सपर्ट्स का है। जैसा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम न्याय पंचायतों को इसलिए अलग नहीं कर रहे हैं कि पंचायतों ने जिन लोगों को चुना है तो उनका एप्टीच्यूड तो सिर्फ फैसला देने का है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के, डवेलपमैन्ट के कामों के बाबत सरपंच की एबीलिटी का इसमें टैस्ट नहीं होगा। पब्लिक के काम के लिये वे वहां नहीं गये हैं। न ही पब्लिक ने उनको भेजा है। उनको पंचायत समितियों के लिये इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव नहीं मान सकते। इसलिये सब से पहले कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियां जिला परिषदों में एक्स-ऑफिशियो मेम्बर्स भरे हुए हैं। उनको इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव ऑफ दी पीपल का कॉन्स्टीट्यूटेड कहना बिल्कुल गलत है। बलवन्तराय मेहता कमेटी की जो सिफारिशें ठीक लगीं, यहां तो, कि कोमा फुलस्टोप सैमिकोलन तक को ले लिया। जब अमेन्डमेन्ट लाते हैं तो कहते हैं कि मेहता कमेटी ने ऐसा कहा है। मेहता कमेटी ने कह दिया कि इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव होंगे। जितनी पंचायतें हैं उनका इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसमें से जिस व्यक्ति को उपयुक्त समझते हैं उस व्यक्ति को पंचायत समिति में भेजेंगे। इसलिये सब से पहले मेरा कहना था कि यह जो एक्स-ऑफिशियो बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी से कम्पेयर करने की बात तो छोड़िये, वह नोमिनेटेड बॉडी से भी गयी बीती है। दूसरा मेहता कमेटी से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरा एक्स-ऑफिशियो के लिये यह है कि आज हम नया एक्सपेरीमेन्ट करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोगों में प्रचार हो और लोग समझें कि क्या बलाय है पंचायत समिति। लोगों को समझाने का सब से बड़ा तरीका जो है वह है इलेक्शन का। जिस चीज़ का प्रचार और जिन इश्यूज़ का अन्डरस्टेन्डिंग लोगों को दस साल से नहीं दे सके चुनाव के एक हफ्ते, महीने में उन लोगों को क्लीयर पिक्चर

(श्री पी० के० चौधरी)

मालूम हो जाती है क्योंकि आज उन लोगों को समझाने के लिये गवर्नमेन्ट के लोग होंगे, गवर्नमेन्ट के सर्वेन्ट होंगे, वे प्रचार करेंगे कि फलाने फलाने पॉवर्स मिले हैं, पंचायत समितियां बनी हैं। इससे पूरे लोगों को मालूम नहीं होगा २ अक्टूबर को इनोग्रेशन होगा, नागोर में मेला जमेगा, इससे नागोर के लोगों को तो मालूम हो जायेगा और जो सरपंच वहां जमा होंगे उनको छोड़ कर और किसी को महसूस नहीं होगा कि पंचायत समितियां राजस्थान में बनी हैं, वे किस काम के लिये बनी हैं। लाखों रुपया आपका खर्च हो जाएगा। सभापति महोदय, ये पंचायत समितियां क्यों बन रही हैं ? किन परिस्थितियों में पंचायत समितियां बनानी पड़ी हैं ? इसलिये बनानी पड़ी हैं कि एक नया एक्सपैरीमेन्ट, कॉम्युनिटी डवलपमेन्ट और नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस का शुरू किया है। आठ साल से नेशनल एक्सटेन्शन का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल असफल रहे हैं। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट, इवेल्यूएशन आर्गेनाइजेशन की तरफ से कमेटी अपाइन्ट की, उनकी रिपोर्ट में साफ कहा है कि जिस पर्पज के लिये लोगों में इनिशियेटिव, सेल्फ हैल्प और सेल्फ रिलायेन्स इन चीजों को पैदा करने के लिये कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट शुरू किया इन तीनों में बिल्कुल फेल हुए। कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का प्रोग्राम लोगों में इनिशियेटिव, सेल्फ हैल्फ और सैल्फ रिलायेन्स पैदा करने के लिये है लेकिन इन तीनों कामों में बिल्कुल असफल रहे हैं and the money has been practically wasted. यह उनका डिसीजन है। कॉम्युनिटी डवलपमेन्ट मिनस्टर हैं उन्होंने भी उसको माना है। असफल हुए उसका सब से बड़ा कारण यह था कि पब्लिक का रेस्पोन्स नहीं मिला था और इसलिये नहीं मिला था कि सारी गवर्नमेन्ट मशीनरी से काम कराना चाहती थे। इसलिये पीपुल्स प्रोग्राम लोगों ने इसको नहीं माना, जनता का प्रोग्राम है, यह नहीं माना। उन्होंने समझा ब्लॉक के दफ्तर खुल गये हैं, सरकार ने वहां ऑफिसर्स भेज दिये हैं, लोन लेना, तकावी लेना, यही हमारा काम है। इसको लोगों ने इस प्रकार से लिया उनको डवेलपमेन्ट के कामों में शरीक होना चाहिये, यह भावना लोगों में पैदा नहीं हुई। उसके लिए दूसरी कमेटी नियुक्त की गयी। प्लान प्रोजेक्ट कमेटी ने बलवन्तराय मेहता टीम अपाइन्ट की, इसलिए कि वे वहां जाकर देखें कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं सक्सेस हुए और कहां तक हुए। उन्होंने फैसला दिया कि ये इसलिये सफल नहीं हुए कि जनता ने उसको अपना प्रोग्राम नहीं माना। अगर जनता के लिये अपना प्रोग्राम बनाना हो तो इसको उनके हाथों में छोड़ना चाहिये और इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव के हाथों में छोड़ना चाहिये। उसने यह भी सुझाव दिया कि इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव इन्डाइरेक्टली रखिये, यह सुझाव था। फाइनल अवार्ड नहीं था। एक्स–ऑफिशियो के लिये तो जरूर नहीं कहा। अगर कहते तो गवर्नमेन्ट की तरफ से जो मशीनरी है उसमें और एक्स-ऑफिशियो में कोई फर्क नहीं आता है। इलेक्टेड प्रिन्सिपल इसीलिये रखा है कि चुनाव होता है और चुनाव के दरम्यान में पब्लिक को एजूकेशन मिलती है, फलां आदमी किस लिये चुनाव लड़ता है और उसका क्या प्रोग्राम है और उसका प्रचार करने के लिये खुद केन्डीडेट्स खड़े होते हैं, पांच या दस

(श्री पी० के० चौधरी)

हों। रात दिन एक करते हैं, घर घर जाते हैं, जो लोग दिलचस्पी नहीं लेते थे उनमें वे दिलचस्पी पैदा करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव होते तो यह पता लगता कि यह उनका प्रोग्राम है और ये उनके रिप्रेजेन्टेटिव हैं। इसके बिना उनमें यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह उनका प्रोग्राम है, सिवाय इसके कि यह सरपंच तक सीमित रहेगा। जो अखबार पढ़ते हैं उनको. तो मालूम होगा कि २ अक्टूबर को क्या होने वाला है, आम लोगों को मालूम नहीं होगा और उनमें फीलिंग इसके प्रति पैदा नहीं होगी। वह फीलिंग तो तभी आयेगी जब चुनाव हों और घर घर में इसकी चर्चा हो। पंचायत समिति की चर्चा, सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, पूछताछ कौन आकर करते हैं, गांव के पीजेन्ट और सरपंच से भी मिलते हैं, तो पंचायत समिति और जिला समिति के लिए इन्क्वायरी केवल सरपंच लोग ही आकर करते हैं। कॉमन पीजेन्ट को उसकी जानकारी नहीं है कि पंचायत समिति क्या बला है और क्या करने जा रही है। सरपंच लोग इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं और उनको मालूम है कि सरपंच लोग ही बनेंगे। इसलिये इन्ट्रेस्टेड हैं कि पंचायत समिति के वे प्रधान बनें और प्रधान बनने के लिए किसी के पास जाकर सरपंच प्रचार करता हो ऐसा नहीं लगता है, इलेक्टोरल कॉलेज तक ही महदूद रहता है। इलेक्टिव प्रिन्सीपल को छोड़ कर एक्स–ओफिशियो प्रिन्सिपल लागू किया है वह एक नया कदम अपनाया है। जैसा माननीय राजस्व मंत्री ने, एक सवाल मैंने पहले पूछा था कि आपने ऐसा प्रोवीजन कहीं देखा है, उन्होंने कहा दुनियां में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है कि जैसी कि राजस्थान में बन रही है। हम कहेंगे कि एक्स–ऑफिशियो कहीं इलेक्टेड होता है तो उनके पास एन्सर यही होगा कि दुनियां में कहीं ऐसा नहीं है, एक अजनबी चीज यहां कर रहे हैं। इलेक्टेड प्रिन्सिपल में वह डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली में भी नहीं आता है। वास्तव में नई चीज पैदा कर रहे हैं। उसमें यह देखना है कि जिस मकसद को लेकर पैदा कर रहे हैं, आज यह पंचायत समितियों का कम्पोजीशन है, उसमें उस मकसद तक कहां तक पहुँच सकेंगे। मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस अरेन्जमेंट से इस मकसद तक नहीं पहुँचा जा सकता क्योंकि जिस मैसेज और भावना को लोगों के घर घर पहुँचाना हम चाहते हैं और आप चाहते हैं तो उसका तरीका तो है चुनाव का। सिवाय इसके डेमोक्रेसी में लोगों की दिलचस्पी खींचने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। आपके पास एक ही आर्ग्युमेंट है कि पंचायत समिति के फैसलों को एग्जीक्यूट करने में सरपंच मेम्बर होने से आसानी होगी। यही अगर आर्ग्युमेंट है तो पंचायत समिति की ही जरूरत नहीं है, यह मेरी मान्यता है। इसके लिए तो आप डिक्टेटरशिप या ब्यूरोक्रेसी रखिए। वे ज्यादा एफीशियेन्टली और इफेक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। सरकारी मशीनरी, गवर्नमेन्ट सर्वेंट ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। डिक्टेटरियल एजेन्सी ज्यादा स्मूदली और एफीशियेन्टली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। पर यहाँ एफीशियेन्सी का उतना सवाल नहीं है। सवाल यह है कि लोगों को सहकार कैसे मिले। पीपल्स पार्टीसिपेशन और लोगों में यह भावना पैदा करना कि it is their plan and

(श्री पी० के० चौधरी)

they are implementing it through them.

तो यह एक्स-ऑफिसियो अरेन्जमेंट जो रक्खा है उसमें यह भावना नहीं आती है । आज दुनियां में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में या योरोप में कहीं भी ऐसा अरेन्जमेंट नहीं है । हिन्दुस्तान में भी इस नए प्रयोग से पहले किसी जगह पर एक्स–आफिसियो अरेन्जमेंट नहीं था इलेक्टेड लोकल बॉडीज में। सबने माना है Essential feature of a local body is the elective motive. यह इसका एसेन्शियल फीचर है, अनसेपरेबल फीचर है । इसको अलग नहीं कर सकते । इसको अलग करने के बाद लोकल बॉडी नहीं रहती । वह नोमिनेटेड हो जाती है । इसलिए इसको इस ढंग से रखना बेकार है, गलत है ।

दूसरा कारण यह है कि ऑफ फिस्कल पॉवर दे रहे हैं यानि बजटिंग का, टैक्स लगाने का, खर्च करने का पॉवर दे रहे हैं । पहले आफिसियल चैयरमैन रहता था तो इसके ऊपर कमेटीज़ अपोइन्ट की गई थी । उन्होंने भी यही कहा है कि लोकल बॉडीज को फिस्कल पॉवर देने से पहले सबसे जरूरी चीज यह है कि उसका इलेक्टेड कैरेक्टर होना चाहिए इलेक्टिव कैरेक्टर नहीं रहता तब तक बजटिंग का और इस तरह का पॉवर नहीं देना चाहिए क्योंकि यह जो बॉडी होगी वह लोगों की true representative. नहीं होगी । वह किसी पर्टिकूलर लोगों का रिप्रेजेन्टेटिव होगा । वह चाहे किसी इन्टरेस्ट को सबड्यू कर जावे, किसी को कुछ कर जावे इसकी परवाह नहीं । पर जब यह इलेक्टेड होता है तो लोकल पॉपुलेशन का खयाल रखते हुए काम करते हैं तो जहाँ हम फिस्कल पॉवर दे रहे हैं वहाँ और भी जरूरी हो जाता है कि डाइरेक्टली इलेक्टेड बॉडी से इसे बनाया जावे ।

अगर ऐसे बनेगी तो डवलपमेंट के वर्क में जो हम लोगों का सहकार चाहते हैं उनसे सेक्रीफाइस चाहते हैं वह चीज़ हमें मिल सकेगी ।

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं पेज ६ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । जो पंचायतों के सरपंच फैसला देंगे उनकी अपील भी सुनने का इसको अधिकार है:क्लॉज ८६ में आप देखिये । क्लॉज तीन का ही है, सैक्शन ७ है ।

'After Section 26 of the said Act, the following section shall be inserted, namely:—

(26A). Appeals from orders of Panchayats under Chapter III.- Any person aggrieved by any order or direction of a Panchayat under this Chapter or under any rule or bye-law made thereunder may appeal from such order or direction to the Panchayat Samiti having jurisdiction within 30 days from the date of such order or direction exclusive of time requisite for obtaining a copy thereof, and an Appeal under sub-section (1) shall be heard by a Standing (1) Committee of the Panchayat Samiti...'

उस एरिया के सारे सरपंचों से बनी हुई यह पंचायत समिति होगी और डे टु डे के

(श्री पी० के० चौधरी)

उन्हीं में से सरपंचों के आॅर्डर के खिलाफ अपील भी वे ही सुनेंगे। यानि जिसके एक्शन के खिलाफ अपील करनी है, उसको उन्हीं के सामने पेश करनी है। यह न्याय की दृष्टि से और मोरेलिटी की दृष्टि से भी कहां तक ठीक हो सकती है। It is contradictory itself. इसका मतलब यह हुआ कि श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा की अपील करनी है और मैं उस अपील को सुनूं (हंसी) तो इसका मतलब यही है। तो इसलिये यह जो प्रोवीजन है सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी है। It is constituted of those persons मैं नहीं समझ पाता कि यह कहां तक जस्टिफाइड है और उन अपीलों से भी कहां तक सही नतीजा निकाल सकेंगे। दूसरी बात, सभापति महोदय, इसके प्रोवीजन में यह भी रखा है कि एक जो पंच है, इस प्रोवीजन को डिलीट करने का वह मूव किया है फर्स्ट प्रोवीजो ए में है: 'in case the area of a Panchayat Circle or a Tehsil extends over more than one block, the Sarpanch of that Panchayat or tehsil Panchayat shall be a member of the Panchayat Samitis of all such blocks, but such Sarpanch shall not be elected as Pradhan or Up-pradhan of more than one Panchayat Samiti.'

इसमें यह प्रोवीजन क्यों दिया है। कोई पंचायत एरिया तीन ब्लॉक में पड़ जावे तो वहां जो तहसील सरपंच का पंच महोदय होगा, तीनों ब्लॉकों की पंचायत समिति का सदस्य होगा। उसको राइट ऑफ वोट होगा। कहां तो आप डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात करते हैं और वहां इससे सारा का सारा पॉवर सेन्ट्रेलाइज कर रहे हैं। दूसरी बात, आज आप देखेंगे तो ऐसे काफी ब्लॉक्स मिलेंगे जहां तहसीलें मिलेंगी, पंचायतें मिलेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कुछ होता है और ब्लॉक कुछ बना है। तो एक दो केसेज ऐसे नहीं हैं बल्कि सैकड़ों केसेज ऐसे होंगे कि एक व्यक्ति तीन चार जगह पंचायत समिति का मेम्बर हैं। तो इसीलिए मेरा यह निवेदन है और यह अमेन्डमेंट है कि पंचायत समिति का सरपंच, जो ग्राम पंचायत के पंच को एक्स-ऑफीशियो मेम्बर रखा है वह इलेक्टेड बॉडी का होगा जो कि एक्सेपटेड प्रिन्सिपल के खिलाफ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचायत समिति का सरपंच डाइरेक्टली इलेक्टेड ऑफ दी पीपुल से आना चाहिए और जिस काम के लिए हमने उसको रखा है उसमें हमको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी अगर उसको चुनाव के जरिये से नहीं लाये तो। जिस उसूल को लेकर हम चले हैं कि हमारा प्रोग्राम है उसकी सबको जानकारी होगी और इससे लोग समझ जायेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं।

दूसरी बात पर मैं अब आता हूँ कि मैंने एक सुझाव तहसील पंचायत के सरपंच को डिलीट करने के लिये रखा है। सभापति महोदय, तहसील पंचायत के सरपंच के लिए, जो न्याय पंचायत के लिए लोगों ने काफी कहा है उस पर मैं आता हूं। तहसील पंचायत का सरपंच है उसको पंचायत समिति में रखने का क्या मकसद है, वह मेरी समझ में नहीं आता है। इसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मान भी लिया है कि आन प्रिन्सिपल यह पंचायत समिति होने के बाद में तहसील पंचायतों की जरूरत नहीं रहती है और जब तहसील पंचायतों की जरूरत नहीं रहती है और यह एक सुपरफ्लुअस इन्स्टिट्यूशन है और उसके जो अधिकारी हैं उनको हम ब्ला-

Page No.95

(श्री पी० के० चौधरी)

क्स में लाना चाहते हैं और इधर आप ब्लॉक्स में देखेंगे कि एक एक तहसील पंचायत का सरपंच है वह तीन तीन ब्लाक में मेम्बर बनेगा और यह रियायत दूसरों के लिए किसी के लिए भी नहीं दी है पर न जाने तहसील पंचायत के सरपंच को यह रियायतें क्यों दी हैं कि वह तीन तीन जगह मेम्बर रह सकता है। इस सेक्शन की जो रिपोर्ट है उसके पेज ६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रिपोर्ट में कहा गय है: Clause 6A, 8, 35A and 37-The Bill as it originally stands enables one person to hold at the same time three offices, viz. those of the Sarpanch, the Pradhan and the Pramukh. The Committee desire that one person should not hold more than one office at the same time.

To give effect to this view of the Committee, Clause 8 and 37 have been amended and Clauses 6A and 35A added."

अब क्लॉज ८ जो है उसमें आप देखें। मैंने यह जो अभी पढ़कर सुनाया उससे साफ है और सलेक्ट कमेटी ने साफ कह दिया कि कोई भी व्यक्ति तीन जगह पदाधिकारी नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्लॉज ८ का जो अमेन्डमेंट है उसको आप देखें। पेज १७ की तरफ आप देखिये। पेज १७ क्लाज़ ८ का सब-क्लाज़ ४ ए: If the Sarpanch or Up-Sarpanch of a Panchaynt or a Tehsil Panchyat is elected as the Pradhan of a Panchayat Samiti, he shall, on and from the date of his election as such, cease to be, and vacate the office of the Sarpanch or Up-sarpanch of the Panchayat but such cessation shall not affect in any way his election as such Pradhan and he shall continue to hold the office of Pradhan as though he had been duly elected thereto as an additional member of the Panchayat Samiti' तो इसमें, सभापति महोदय, आप देखेंगे कि तहसील पंचायत का सरपंच जो है उसके दूसरी जगह मेम्बर हो जाने के पश्चात् उसके इस्तीफे देने का कहीं भी प्रावधान नहीं रखा गया है। जब कि सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि एक आदमी तीन जगह पदाधिकारी नहीं हो सकता लेकिन क्लॉज ८ में तहसील पंचायत के सरपंच के लिए यह गुंजाइश रख दी है कि तहसील पंचायत का सरपंच पंचायत समिति का प्रधान और जिला परिषद् का प्रमुख बनने के बाद भी तहसील पंचायत का सरपंच रह सकता है। तो सभापति महोदय, ऐसे इन्स्टिट्यूशन्स हम तहसील पंचायत के सरपंच के लिए क्रियेट करते हैं और उनका अपने क्षेत्र में वैसे ही अच्छा इन्फ्लुएन्स है। उस तहसील पंचायत के सरपंच को जितनी पॉवर्स हैं जुडीशियल, क्रिमिनल और दूसरी तरह की क्योंकि अपीलेट आॉथोरिटी भी वही होगा ग्राम पंचायत का तो एक बार तो आपके एम० एल० ए० को कोई नहीं पूछेगा लेकिन तहसील पंचायत के सरपंच को सब लोग सलाम करेंगे। वह इसीलिए करेंगे कि बहुत भारी पॉवर्स उसके पास में है, उसकी ऐसी फरमीडेबल पोजीशन बना दी। जब हमने मान लिया, कोई भी आदमी तीन जगह पदाधिकारी नहीं रह सकता लेकिन हमने तहसील पंचायत के सरपंच के लिए एग्जम्प्शन रख दिया कि

Page No.96

(श्री पी० के० चौधरी)

वह पंचायत समिति का प्रधान बन सकता है और जिला परिषद् का प्रमुख भी बन सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील पंचायत का जो सरपंच है वह आज भी पंचायत समिति का प्रधान नहीं होते हुए मैं दावे से कहता हूँ कि वह जरूर पंचायत समिति में जाकर बैठेगा क्योंकि लोग उससे दबे हुए हैं। उनके हाथ में इतनी पॉवर्स हैं कि ग्राम पंचायतों के जो सरपंच हैं वह भी उन्हीं के हाथ में रहते हैं। पार्ट (i) में आपने प्रोवाइड कर दिया कि सरपंच को एक्स-ओफिशियो रखेंगे और ग्राम पंचायत का पंच, तहसील पंचायत के सरपंच के खिलाफ नहीं जा सकता है क्योंकि तहसील पंचायत के पास ही ग्राम पंचायत की अपीलस आती हैं और वही फैसला देता है। इसलिए वह उनकी एक तरह से अपीलेट कोर्ट है सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू मैटर्स में। तो हमें यह सोचना है कि तहसील पंचायत के सरपंच को इन्ट्रोड्यूज करके एक फरमीडेबल स्ट्रक्चर क्रियेट कर रहे हैं कि जिसमें डेमोक्रेसी का नाम नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह जो प्रिन्सीपल रखा है वह बिल्कुल गलत है और इस प्रिन्सीपल को रखने से क्या होगा कि हम एक आदमी के हाथ में जो पॉवर्स हैं उनको कन्सन्ट्रेट कर देंगे यानि There will be a concentration of powers in one hand. अब यह कन्सन्ट्रेशन ऑफ पॉवर्स चाहते हैं या डिफ्यूजन ऑफ पॉवर्स चाहते हैं। लेकिन हमारे जो एक्शन्स होते हैं इस बिल के पढ़ने से जो नतीजा हम निकालते हैं कि डिफ्यूजन तो नहीं हो रहा है उल्टे कन्सन्ट्रेशन ऑफ पॉवर्स हो रहा है। इसलिए तहसील पंचायत के सरपंच के रखने का प्रिंसिपल गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : Do you mean to suggest that the Sarpanch if elected as Pradhan will continue to be a Panch of the Panchayat Samiti ?

श्री पी० के० चौधरी : ४ ए को आप पढ़िये। ४ ए का यही मतलब है :

"If the Sarpanch or Up-Sarpanch of a Panchayat or a Tehsil Panchayat is elected as the Pradhan of a Panchayat Samiti he shall, on and from the date of his election as such, cease to be, and vacates the office of, the Sarpanch or Up-Sarpanch of the Panchayat but such cessation shall not effect in any way his election as such Pradhan and he shall continue to hold the office of Pradhan as though he had been duty elected thereto as an additional member of the Panchayat Samiti."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेम चीज है।

श्री पी० के० चौधरी : नहीं, नहीं एक चीज नहीं है। पंचायत की जो डेफीनेशन है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यासजी को पूछ लीजिए, यही मतलब है।

श्री पी० के० चौधरी : लीगल इन्टरप्रिटेशन इसका होगा Panchayat has not been defined as Tehsil Panchayat. Tehsih Panchayat has been separa-

(श्री पी० के० चौधरी)

tely defined. डेफीनेशन देखिये एक्ट की। यह कोई लिट्रेचर या कविता नहीं है कि पहले रेफरेन्स दी लगाने से आ जाता है It will be a Panchayat as defined in the Act.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is already a Provision in the Bill and if there is anything otherwise, let the Hon'ble Minister enlighten us on the point.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : It may be cleared by addition of the words...

श्री पी० के० चौधरी : Panchayat and the Tehsil Panchyat have been defined in the Panchyat Act,

अब पंचायत एक्ट की जो डेफीनेशन है उसमें जो डेफीनेशन आती है वहीं दी पंचायतें होता है 'दी पंचायत' का जो मतलब है वह तहसील पंचायत से नहीं है। आप उसका साहित्यिक अनुवाद करना चाहते हैं। आप साहित्यिक भाषा में बात करते हैं और मैं लीगल भाषा में बात करता हूं। कानूनी भाषा यह है कि He will resign from the Sarpanch of the Panchayat, not from Tehsil Panchayat.

पंचायत एक्ट में डिफाइन किया है उसको देखिए। He will continue to be the Sarpanch of the Panchayat.

श्री दामोदरलाल व्यास: (राजस्व मंत्री) It is not the intention of that the Government that the Sarpanch of a Tehsil Panchayat, if he becomes Pradhan of a Panchayat Samiti, then he will continue to be the Sarpanch of the Tehsil Panchayat. If the clause is not clear, then it can be suitably amended, if possible.

श्री पी० के० चौधरी : Why 'if possible' ? Why not make a categorical statement ?

श्री दामोदरलाल व्यास : If your information is correct, then we will amend it.

श्री पी० के० चौधरी : तो आप इस इन्टरप्रिटेशन को मानते हैं कि पंचायत जो हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया है कि आपका इन्टरप्रिटेशन यह है। यह गवर्नमेंट का इन्टेन्शन नहीं है। इस तरह का प्रोवीजन है और जरूरी होगा तो कर देंगे। We are examining it.

श्री पी० के० चौधरी : मुझे इस बात की खुशी है कि आपका इन्टेन्शन यह नहीं है। मैंने लीगल इन्टरप्रिटेशन दिया था। पंचायत को इस बिल में डिफाइन नहीं किया गया है। They will be as defined in the Panchayat Act. पंचायत एक्ट में डिफाइन्ड हैं उसके मुताबिक आते हैं तो पंचायत और तहसील पंचायत और आज जो एक्ट में डिफाइन किया है ४ ए के होते हुए भी किसी तहसील पंचायत का सरपंच कहीं प्रधान या उपप्रधान चुन लिया गया तो You cannot legally force him to resign वह रिफ्यूज करेगा रिजाइन करने से। लीगल पोज़ीशन उसकी स्ट्रोंग रहेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then suspend him. (हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : यह दूसरी बात है।

मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि गवर्नमेंट का इन्टेन्शन नहीं है। इस पर मेरा अमेंडमेंट आगे आयेगा उसको मन्जूर कर लेंगे।

तो यह मैं कह रहा था कि यह जो तहसील पंचायत का सरपंच या पंचायत का सरपंच पंचायत समिति का मेम्बर बनता है तो आप इनके हाथ में पॉवर्स ज्यादा देते हैं और अनडिवाइडेड पॉवर्स का जो है उसका करप्टिंग इन्फुलुएन्स होता है। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात आप जब करते हैं तो हम क्यों पॉवर्स को बांट देना चाहते हैं? इसलिए बांट देना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्स करप्ट होती है इनएब्सोल्यूट। जितनी पॉवर का कन्सेन्ट्रेशन एक व्यक्ति के हाथ में होता है उतना ही वह करप्ट होता है। इसलिए डेमोक्रेसी का प्रिन्सिपल यही है कि एक आदमी के हाथ में सारे पॉवर्स नहीं दें ताकि करप्शन कम हो यह जो सिस्टम रखा है एक्स ऑफिशियो का उससे हम पॉवर को कन्सेन्ट्रेट करते हैं। एक सरपंच ग्राम पंचायत का या तहसील पंचायत का वह पंचायत समिति में चला गया तो पंचायत समिति एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होती है, विधान सभा के मुआफिक कानून बनाने वाली नहीं है। वह एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो एक सरपंच जिसके हाथ में पहले से ही इतनी पॉवर है उसको पंचायत समिति में भेजते हैं तो उसके हाथ में और दूसरे पॉवर्स देते हैं तो Absolute powers corrupt a person absolutely. अनडिवाइडेड पॉवर्स हैं वह करप्टिंग होते हैं। अनडिवाइडेड इसलिए होते हैं कि पंचायतों के खिलाफ अपील करने जाते हैं तो पंचायत के ऊपर हाइअर ऑथोरिटी है पंचायत समिति उसमें जाते हैं और उसी आदमी को वहां पर बैठा देते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि यह जो सेट-अप है वह डेमोक्रेटिक प्रिन्सीपल के खिलाफ है। इसलिए यह जो प्रोवीजन रखा है, पंचायत और तहसील पंचायत के सरपंचों का पंचायत समिति के मेम्बर होने के लिए, वह नहीं रखना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो हमारा दूसरा अमेंडमेंट है वह क्लॉज ६ के अन्दर "(vi) Two persons whose experience in administration, public health or rural development would be of benefit to the Panchayat Samiti," उसको कोऑप्ट करने का अधिकार दिया है। मैं उसका डिलीशन चाहता हूं। इसको उसमें नहीं लेना चाहिए। सभापति महोदय, कोऑप्शन का जो प्रिन्सीपल है कि जहाँ भी कोऑप्ट किया जाता है किसी लोकल बॉडी या इलेक्टेड बॉडी में तो एक ही उसका उसूल है और यह उसूल क्या है कि किसी बोर्ड में कोई इन्ट्रेस्ट अनरिप्रेजेन्टेड रह गये हो, या किसी बोर्ड में किसी पर्टीक्युलर एलीमेंट ऑफ दी सोसाइटी का रिप्रेजेन्टेशन इलेक्शन के जरिये नहीं आया हो, तो वह माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट, वह जो अल्पमत का इन्ट्रेस्ट है जिसको कि पंचायत समिति या किसी इलेक्टेड बॉडी में रिप्रजेन्टेशन नहीं मिला हो उसको रिप्रेजेन्टेशन देने के लिए हमने कोऑप्शन रखा है और इससे साफ जाहिर होता है,

Page No.99

(श्री पी० के० चौधरी)

कोऑप्शन के दूसरे आर्टीकल को आप देखेंगे तो दो महिलाओं को लेंगे महिलाएं माइनोरिटी में नहीं हैं। ५० पर्सेन्ट उनकी तादाद है। लेकिन वे कमजोर है और कमजोर होने की वजह से, हिम्मत वाली नहीं हैं इस वजह से, चुनाव में खड़ी नहीं होती है और न आती हैं। उनके इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए रिप्रेजेन्टेशन दिया गया है महिलाओं के कोऑप्शन का। इसी तरह से हरिजन लोग हैं। वे माइनोरिटी में होने की वजह से नहीं आ पायेंगे या इतने होशियार नहीं होने की वजह से नहीं आ पायेंगे, इसलिए रखा है। इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इसमें रखा गया है। कोऑप्शन का प्रिन्सीपल सिर्फ इसी बात के लिए है कि जब किसी इन्ट्रेस्ट को चुनाव के जरिये या इलेक्शन के जरिये रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिलती है, जो एलीमेन्ट उस बॉडी में रिप्रेजेन्टेड नहीं हुए हैं, उस बॉडी में उनको रिप्रेजेन्टेशन देने के लिए कोऑप्शन का प्रावधान हमने रखा है।

अब उसमें इस तरह का नया कोऑप्शन रखा है। वह एक तो कोऑप्शन रखा है फंक्शनल इन्ट्रेस्ट के लिए और एक रख दिया है पंचायत समितियों के फायदे के लिए। फंक्शनल इन्ट्रेस्ट का क्या रखा है कि कृषि निपुण का या कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिप्रेजेन्टेशन। सभापति महोदय, फंक्शनल इन्ट्रेस्ट जो है वह इस जमाने की एक नई विचारधारा है। आजकल लोग फंक्शनल बेसिस पर अपने एसोसियेशन बनाते हैं, जैसे लेबर्स का एसोसियेशन हो जाता है, बनिया एसोसियेशन हो जाता है, फार्मर्स एसोसियेशन बनाये जाते हैं। लोग अपने फंक्शन्स के माफिक अपने अलग अलग एसोसियेशन बनाते हैं तो एक नया प्रिन्सीपल कोऑप्शन के लिए तैयार किया है। कृषि निपुण में कृषकों का रिप्रेजेन्टेशन होगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंक्शनल बॉडी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर करेगा। उसको भी कुछ हद तक मान सकते हैं कि एक नया प्रिन्सीपल जो आज डेवलप कर रहे हैं। हर जगह फन्क्शनल युनिट्स है, फन्क्शनल ऑरगनाइजेशन्स हैं, अपने अपने रिप्रेजेन्टेशन करने की कोशिश करते हैं तो उनको तरजीह दी जाने के लिए फंक्शनल रिप्रेजेन्टेशन हमने दिया है। एक कृषि निपुण को दिया है और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया है। तमाम उन फंक्शन्स को, उनके इन्ट्रेस्ट को स्पेशल रिप्रेजेन्टेशन मिल जाय जो उनके मेम्बर दूसरे तरीकों से नहीं आ पायें।

लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता है कि पार्ट (vi) में "(vi) Two persons whose experience in administration, public health or rural development would be of benefit to the Panchayat Samiti," अब किसी इलेक्टेड बॉडी में किसी व्यक्ति को कोऑप्ट नहीं किया जाता है उसी कमेटी के बेनीफिट के लिए। इनको एक एक्सपर्ट माना गया है। एक्सपर्ट्स को इलेक्टेड बॉडी से एक मेम्बर की हैसियत से नहीं ले सकते हैं। उसको एक एडवाइजर के रूप से ले सकते हैं। कोऑप्ट नहीं करके एक एडवाइजरी कमेटी बना देते उसमें उनको रखते और जो एक्सपर्ट्स की जरूरत हो तो तनख्वाह देकर रखेगी पंचायत समिति और यह सारे विकास अधिकारी हैं, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होंगे

(श्री पी० के० चौधरी)

ये एक्सपर्ट्स ही एक्सपर्ट्स भरे हुए हैं। एक पंचायत समिति को एडवाइज़ करने के लिए विकास अधिकार एक्सपर्ट है, एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर एक्सपर्ट है, एनीमल हस्बेन्ड्री का एक्सटेन्शन ऑफिसर एक्सपर्ट है, को-ऑपरेटिव का एक्सपर्ट है और क्या क्या बातों के एक्सपर्ट नहीं है ? यह मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हर बात के लिए बी. एज़ी और एम. ए. जी रखे गये हैं। विकास अधिकार क्वालिफाइड है। हमारे मंत्री महोदय सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। इन सारे एक्सपर्ट्स की एडवाइज़ होते हुए भी पंचायत समिति को क्या ज़रूरत पड़ी कि खुद मेम्बर की हैसियत से एक्सपर्ट के नाम से बेकडोअर एन्ट्री से यह करना चाहती है। यह पोलिटिशियन्स का एक्स्ट्रा इन्ट्रस्ट जो है, बाहर का इन्ट्रेस्ट है उसको उसके अन्दर लाने के लिए एक तरीका है। जो लोग किसी क्लॉज में नहीं आते हैं, जो न तो को-आपरेटिव में आते हैं, न कृषि में आते हैं, न गांव का वोट उनको मिलता है, लेकिन उनको लाना है यह जरिया उसमें निकाला है। बेकडोअर एन्ट्री के लिए है।

यह सबसे खतरनाक प्रोवीजन है और इन सबको आने देंगे तो एक्सपर्ट्स के नाम से पंचायत समिति पर ड्रेग रहेगा और इसके फंक्शनिंग में बाधा पैदा करेगा और जैसा कि मैंने निवेदन किया सभापति महोदय, कोऑप्शन का प्रिन्सिपल है कि किसी पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट को इलेक्टेड बॉडी में रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिला because of their being in the minority. अल्पमत में होने की वजह से उसको रिप्रजेन्टेशन देने के लिये कोऑप्शन का प्रावधान रखते हैं। पंचायत समिति को मदद देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिये किसी के कोऑप्शन की जरूरत नहीं रहती है। ऐसा कभी सुना नहीं। एक्सपर्ट्स की जरूरत हो तो एक डजन एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वहां पर अपॉइन्ट कर दिये हैं जिनके ऊपर सैकड़ों हजारों रुपये टैक्स पेयर्स के जायेंगे। इसलिए यह प्रोवीजन रिएक्शनरी है और पोलिटिशियन्स के बेकडोर एन्ट्री के लिए रखा है। इसको मैं अनडिज़ायरेबल समझता हूं। इसके बाद सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में बस मेरा इतना ही निवेदन है। मैं मानता हूं कि मन्त्रीजी मैंने जो अमेन्डमेन्ट दिये हैं उन सारे के सारों को मंजूर करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, इस क्लॉज ६ पर मेरे कुछ अमेन्डमेन्ट्स हैं नं. २७ और १८:-

1. Omit part (ii).
   Proviso:— (1) Omit part (a)
   (2) Omit the words 'or Tehsil Panchayat' Occuring twice in part (b).

2. In the proviso, omit the words 'a Panchayat circle or' from line one. and Omit the words 'Panchayat or' from line two.

Sub-clause (1):—Add a new part (iii) as follows:—

"(iii) Member of the Legislative Assembly in the block."

Sub-clause (2):— Substitute the words 'Adarsh Kisan' for the words 'Krishi Nipun' in part (i); and subs.

(डॉ० बहादुरसिंह)

titute the word 'one' for the words 'two' in part (ii) and omit the whole proviso.

माननीय सभापति महोदय, प्रश्न यह था कि पंचायत समिति का गठन किस प्रकार से हो और इसके लिए यह जो क्लॉज ६ है वह इस बिल की एक प्रकार से जान है। इस संगठन को बनाने के लिये पंचायत समिति क संगठन किस प्रकार हो।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदसीन)

उसके लिये सुझाव हैं और उनके साथ साथ जो मेरी समझ में आया है उसे सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं।

सबसे पहला मेरा विचार यह है कि तहसील पंचायत के सरपंच को इसकी सदस्यता नहीं देनी चाहिए। जो बॉडी न्याय करनेवाली है उसके अध्यक्ष को अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में दखल दे। फिर कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित नहीं होता कि तहसील पंचायत के सरपंच को पंचायत समिति की सदस्यता दी जाय। मैं समझता हूं कि यदि जिला परिषद् की बात करते तो विचार किया जा सकता था लेकिन यह बिलकुल फिट नहीं बैठता और फिट नहीं बैठने का कारण यह है कि डिसीजन नहीं लिया कि हमारी पंचायत समिति कितनी बड़ी होगी। मान लीजिये एक समिति ८० हजार की है उसमें २ ब्लॉक बन गये तो क्या उसका सरपंच दो जगह जाकर बैठेगा। मान लीजिये एक राजस्थान विधान सभा का सदस्य है क्या वह यू. पी. की विधान सभा का भी सदस्य बन सकता है। यह उपर्युक्त बात नहीं है। एक व्यक्ति जहां रहता है वहीं रहे और वहीं की सदस्यता उसको देनी चाहिए चाहे एरिया कितना ही बड़ा हो। तहसील पंचायत का सरपंच जो अपनी सबोर्डिनेट पंचायत के खिलाफ मामलों का फैसला करता है, मानलीजिये उसने किसी पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई फैसला किया और वही सरपंच पंचायत समिति में जाता है तो वहां जाकर वह अपील सुनने का अधिकारी हो जाता है तो यह उचित नहीं रहता। जो सरपंच जुडिशियल कार्य करने के लिए चुना गया है उसके लिये मैं यह उपर्युक्त नहीं समझता कि वह इस प्रकार का कार्य भी करे। इसलिए मेरा संशोधन है कि इस प्रोवीजन को हटा देना चाहिये।

दूसरा मेरा सुझाव है नया प्रोवीजन एड करने लिए मेम्बर्स ऑफ दी लेजिस्लेटिव एसेम्बली इसके मेम्बर होने चाहिये इस बारे में। इस बारे में यहां दो प्रश्न चल रहे हैं। आया वे फुलफ्लेज्ड या एक्स-ऑफिसियो सदस्य हों या वहां जाकर शो ब्वॉय की तरह बैठें। मैं यह उचित नहीं समझता कि वे वहां जावें और दिखावटी बबुआ की तरह बैठें। यह उचित नहीं होगा। वे वहां जाकर मत प्रदर्शित करें और उसमें मत दें। इस प्रकार की सदस्यता इनको देनी चाहिए। ऐसा करने से ब्लॉक का काम अच्छी तरह से चलेगा। कोई माननीय सदस्य कह सकते है कि इसमें हमारी प्रेस्टिज या डिगनिटी का सवाल है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई डिगनेटी का सवाल नहीं होना चाहिए। यह लाञ्छन लगाया जा रहा है कि क्योंकि विधान सभा के सदस्यों ने बिल पास किया था इसलिए उन्होंने अपनी सदस्यता रख ली। लेकिन यह बात नहीं है। क्योंकि विधान सभा

(डॉ० बहादुरसिंह)

के सदस्य काफी बड़े क्षेत्र से चुन कर आते हैं, उनको राजस्थान भर के डवेलपमेंट का ज्ञान होता है। मान लीजिये कहीं विकास अधिकारी गड़बड़ करता है तो उसको वे चैक कर सकते हैं, या वहां की बात विधान सभा में ला सकते है इसलिए उनको फुलफ्लेज्ड मेम्बर बनाना आवश्यक है। वे एक्स ऑफिशियो मेम्बर हों लेकिन जैसा कि सुझाव आया है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं हो उसको मैं उपयुक्त नहीं समझता।

इसके बाद मेरे और भी संशोधन हैं। इसमें से एक यह है कि इसका प्रोवीज (ए) निकाल देना है। मैं पृथक राय रखता हूं। एक मध्य की पंचायत है उसका एक गांव एक ब्लॉक में है और दूसरा दूसरे ब्लॉक में और तीसरा तीसरे ब्लॉक में व चौथा चौथे ब्लॉक में है तो इसका मतलब यह होगा कि उस पंचायत का सरपंच सभी पंचायत समितियों में जाकर बैठेगा। यह कहां की न्यायसंगत बात है। इसके लिए तरीका यह होना चाहिए कि आया वहां के लोग अपील कहां करेंगे? या तो उस गांव के लोग उस पंचायत समिति में करेंगे जिसमें उसका गांव है, इस तरह से बखेड़ा खड़ा होगा। एक पंचायत समिति काफी काम करनेवाली है वह तो अच्छा काम करेगी और जिस पंचायत समिति में उस पंचायत का दूसरा गांव है वह पंचायत समिति निकम्मा काम करती है तो उस पंचायत को खत्म करेंगे या एड्-होक कमेटी बनायेंगे या चौथे में एडमिनिस्टर कायम होगा, इस तरह से अच्छा खासा प्रदर्शन लग जायगा। मान लीजिए पंचायत समिति भंग होती हैं तो उसका प्रभाव पूरे एरिया पर पड़ना चाहिए। एक पंचायत समिति जो निर्णय लेती है उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ना चाहिए यह नहीं कि जो डिसीजन ले उसका प्रभाव एक हिस्से पर कुछ पड़े और दूसरे पर कुछ। इसलिए पार्ट (ए) है उसे डिलीट करना चाहिए। दूसरा संशोधन मेरा है, वह तहसील पंचायतों के बारे में ही है, जो मैंने ऊपर से डिलीट किया था उससे सम्बन्धित है कि तहसील पंचायत का जहां जहां प्रयोग हुआ है, वहां से न्याय के सम्मान करने की दृष्टि से, ग्राम पंचायतों का जो न्याय है, उस दृष्टि से, इन शब्दों को रखने की जरूरत नहीं है।

अब मैं कृषि पंडित पर आता हूँ, जिसे निपुण किया गया है। यह एक विचित्र चीज है कि इस विधेयक में कृषि निपुण शब्द रखना चाहते हैं। हालांकि मेरा संशोधन पूर्व ही आ जाना चाहिए था लेकिन किसी प्रकार से यह रह गया, मैंने यह उचित समझा है कि इसे मैं अब रख दूं क्योंकि जब हम खंडशः विचार कर रहे हैं, तो आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर की हिन्दी करें तो कृषि पंडित होगी और मास्टर एग्रीकल्चर की हिन्दी करें तो कृषि निपुण होगी इस प्रकार से हमारी जिला परिषद् होगी क्या युनिवर्सिटी होगी, जो डिग्री दे देगी। हमको यह रखना है कि जो अच्छा किसान हो, जो उपयुक्त किसान हो, वह मेम्बर होना चाहिए। इसलिए जो आदर्श किसान है, वह मेम्बर होगा इसलिए मैंने उपयुक्त समझा है कि कृषि पंडित और कृषि निपुण की जगह..

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): इसके ऊपर आपका अमेंडमेंट है क्या ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आदर्श किशान।

Page No.103

डॉ० बहादुरसिंह : आदर्श किसान का नम्बर २७ पर है। कृषि पंडित और कृषि निपुण मुझे डिग्री जैसे लगते हैं। वैसे तो जिस वक्त डेफीनेशन्स ली जा रही थी, उस वक्त मुझे यह संशोधन रखना चाहिए था। लेकिन उस वक्त नहीं रखा जा सका। अब मैंने यह रखना उचित समझा। आदर्श किसान उसको कह सकते हैं जो आदर्श किसान होगा, जो दूसरों के लिए आदर्श हैं और एक व्यक्ति तभी सलाह-मशविरा दे सकता है, जब वह आदर्श हो। जो स्वयं आदर्श नहीं है, वह क्या आदर्श रखेगा। जिला परिषद् मान लीजिये जैसे एक आदर्श विद्यापीठ है, वह डिग्री देना चाहती है, डॉक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को कृषि पंडित की डिग्री देगी और मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर को कृषि निपुण की डिग्री देगी। ये डिग्री होगी.......

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द): टाइटल।

डॉ० बहादुरसिंह : इसको डिग्री या डिप्लोमा कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जिला परिषद् एक यूनीवर्सिटी का काम नहीं करे। यह मेरा आइडिया है और मेरा सुझाव है कि आदर्शकिसान से अपना मतलब है, वह हल हो जाता है। गांव के लोग इसको आसानी के साथ उच्चारण भी कर सकते हैं। जो तात्पर्य है आदर्श किसान रखने का वह पूरी तरह से हल हो जाता है।

इसके बाद २ का कोऑप्शन का मामला है। इसके बजाय मेरा एक सुझाव है कि एक को कोऑप्ट करना चाहिए। बात यह है कि कोऑप्शन और एक्स-ऑफिशियो मेम्बरर रखते रखते इतना नम्बर न लगा दें कि जो बेचारे पंच चुनाव से आये हैं, वे माइनोरिटी में रह जाए और कोऑप्टेड और एक्स ऑफिशियो वहां अधिक मेजोरिटी में बैठ जायं। मैं उस स्थिति में मानता हूं कि पंचायत में ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाय, तो सरपंच का काम पंचायत में अच्छी तरह से कर सकता हो, उस व्यक्ति के लिए रास्ता खुला रहने देना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव था कि एक व्यक्ति को समिति के अन्दर कोऑप्ट करने के लिए अधिकार दिया जाय, एक से अधिक के लिए रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वहां अगर सेक्रेटरी की पोस्ट होती तो मैं कह देता कि दो व्यक्ति बाहर से ले लें। बहुत से ऐसे व्यक्ति पंचायत क्षेत्र में मिल सकते हैं जो ग्राम पंचायत के सरपंच के पद को नहीं छोड़ना चाहें, ऐसी स्थित में कोऑप्शन के द्वारा विधान सभा के सदस्य को वहां बैठा दें या दूसरे व्यक्ति को कोऑप्ट करें। इसलिए मैंने एक का प्रोवीजन रखा है, जो समझदारी से काम कर सकें, ऐसे व्यक्ति को कोऑप्शन का अधिकार देना चाहिए।

सबसे ज्यादा जिस बात पर मैंने जोर दिया था माननीय सदस्य के समक्ष, वह थी, तहसील पंचायत के लिए सवाल आ सकता है। मेरा एक जगह संशोधन था कि अगर किसी प्रकार इस बात को मानने के लिए तैयार न हों कि तहसील पंचायत को रखना ही रखना है तो फिर हमें पंचायत लेवल को दो तीन हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए। इस तरह दो विचारधारा हैं अलग, एक तो हमें मानना चाहिए कि हम तहसील को हिस्सों में न बांटें, अगर तहसील को दो हिस्सों में बांटते हैं तो कम से कम जैसा मेरा पंचायत सर्किल के लिए संशोधन है कि पंचायत सर्किल शब्द को हटा देना चाहिए। तहसील को एक ही पंचायत समिति में रखना चाहिए

(डॉ० बहादुरसिंह)

दो तीन हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए। तब माननीय सदस्य सोच सकते हैं कि जो पंचायत समिति होगी, उसमें इस प्रकार से हो कि छः तो सरपंच हैं दूसरे अपोजीशन के और दूसरी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति आ गए, तो उसे खत्म करने के लिए दो तीन हिस्सों में बांट दें। इस प्रकार की जो शंका है, यह मुझे विधान-सभा के बाहर कुछ व्यक्तियों ने बताई। दूसरी बात एडमिनिट्रेशन के बारे में बताई, वह भी पंचायत लेबल के अन्दर दूर हो जायगी। इसलिए अगर तहसील पंचायत को रखना चाहते हैं तो पंचायत सर्किल को टोटली निकाल देना चाहिए, यह मेरा सुझाव था और इन सुझावों के साथ में माननीय मंत्री महोदय से आग्रह....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): अमेंडमेंट है आपका ?

डॉ० बहादुरसिंह : अमेंडमेंट है मेरा। 'आदर्श किसान' वाला अमेंडमेंट है, वह ले लिया जाय, तो इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा तात्पर्य खुलासा हो जाता है और 'निपुण' और पंडित वाला झगड़ा समाप्त हो जाता है।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, धारा ६ पंचायत समिति के गठन के सम्बन्ध में है, पंचायत समितियों का गठन किस प्रकार होगा और उसमें कौन कौन होंगे। सबसे पहले हमारे जितने पंचायत सर्किल हैं, उनके सरपंच को लिया है और जहां तक सरपंच लेने का प्रश्न है, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया था, पर मैं इसका समर्थन करूंगा। जहां तक पंचायतों का काम होगा इसमें एक्जीक्यूटिव वर्क ज्यादा होगा। पंचायत समिति जो वर्क करेगी, उसको सारे सरपंच बैठ कर तय करेंगे कि कहां कहां विकास की बात होगी और उसका एक्जीक्यूशन इन सरपंचों के द्वारा ठीक प्रकार से हो सकता है। इसलिए जहां तक सर्किल के सरपंच को लेने का सवाल है, वह ठीक हो सकता है।

दूसरी बात है, Sarpauch of all Tehsil Panchayat इसका मैं विरोध करता हूँ। मैंने एक संशोधन रखा है कि तहसील पंचायत के सरपंच को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने एक बात हमारे संविधान में स्वीकार की है कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव अलग अलग होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने और विधान सभा के समक्ष कई बार माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रकार के आश्वासन दिए हैं कि हम धीरे धीरे इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जो हमारे न्याय विभाग हैं, जो प्रशासन विभाग हैं, वे अलग अलग हो जायं। अब सवाल आता है कि अगर तहसील पंचायत और पंचायत समिति के काम को देखें तो इनके काम भिन्न भिन्न हैं। ऐसा भी होगा कि दोनों के क्षेत्र एक होंगे, कई जगह ऐसी होगी, कि तहसील पंचायत का क्षेत्र बड़ा होगा और पंचायत समिति का क्षेत्र छोटा होगा कई जगह ऐसी हो सकती है कि एक पंचायत समिति हो और दो तहसील पंचायत आ जायं। दोनों के काम भिन्न हैं, एक का न्याय से सम्बन्ध है। कई माननीय सदस्यों का सुझाव है कि पंचायत समिति को बिल्कुल अलग बनाये जैसा कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है, इसके आधार पर यह विधेयक बनाया

(श्री जगदीश प्रसाद माथुर)

गया है। इसके आधार पर विधेयक बनाया होता तो न्याय पंचायत का इसमें प्रावधान होता, न्याय पंचायतों का गठन होता। मैं निवेदन करूं कि जहां तक तहसील पंचायत का सवाल है, वहां के मामलात तय होंगे, जो न्याय से सम्बन्ध रखते हैं। अब कहां से सड़क निकलनी चाहिए, किस किस जगह तकावी देनी चाहिए, किस किस को ऋण देना चाहिये और विकास का काम कहां पर होना चाहिये, इन बातों का सवाल आयेगा, वे पंचायत समिति तय करेगी। तहसील पंचायत में वे सवाल आयेंगे कि अमुक को कितनी सजा देनी है, किसने जुर्म किया है, कितने रुपये का गबन किया है, इन सारी बातों का फैसला वह करेगी। लेकिन जब तहसील पंचायत का सरपंच पंचायत समिति में आकर बैठेगा तो मंत्री महोदय कहेंगे कि हमने ऐसा प्रावधान किया है कि जैसी कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने शंका प्रकट की कि तहसील पंचायत का सरपंच पंचायत समिति का भी सरपंच बन जायगा, ऐसा नहीं हो सकेगा ऐसा प्रावधान किया है कि वह पंचायत समिति का सरपंच नहीं बन सकेगा। पर पंचायत समिति में स्टेन्डिंग कमेटी बनानी है, उसमें तहसील पंचायत का सरपंच अध्यक्ष हो जाय तो इस पर कोई रोक नहीं है।

जितने एड्मिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, जिनकी अपील तहसील पंचायत सुना करती थी, उनकी अपील अब पंचायत समिति सुना करेगी और उसमें भी स्टेन्डिंग कमेटी का निर्णय फाइनल होगा। तहसील पंचायत का सरपंच जिसकी तहसील दो दो और कई जगह तो तीन ब्लॉक्स घेरती हैं वह आखिर कोई मामूली आदमी नहीं होगा, वह एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति होगा वह स्टेन्डिंग कमेटी में सदस्य हो जाता है या अध्यक्ष हो जाता है तो उसका प्रभाव कितना होगा। वे मामले जिनके उसने फैसले दिए थे स्टेन्डिंग कमेटी में सुनवाई के लिए आयेंगे, उनकी अपील सुनने के लिए वह खुद ही आ जाता है, इसका उन अपील में आए हुए केसेज़ पर क्या असर पड़ेगा? इसको रोकने के लिए मन्त्री महोदय क्या व्यवस्था रखते हैं, यह वे अपने जवाब में बतायेंगे। पर सीधी बात है कि न्याय वर्क और एक्जीक्यूटिव वर्क को अलग अलग रखा है। तहसीलदार को हमने नहीं रखा, मजिस्ट्रेट के अधिकार हमने पंचायत समिति को नहीं दिए क्योंकि हम चाहते कि एग्जीक्युटिव साइड बिलकुल दूर रहे। न्याय और प्रशासन विभाग अलग होंगे, यह राजस्थान सरकार ने भी सिद्धान्त के तौर पर माना है तो फिर सरकार इसको गांवों के लेवल में, लोएस्ट लेवल में एक क्यों करने जा रही है?

मन्त्री महोदय ने कहा है कि सभी तहसील पंचायतें गलत फैसला नहीं कर सकतीं। कुछ गलत फैसला कर सकती हैं, तो यह उन्होंने माना है कि गलत फैसला कुछ तहसील पंचायतें कर सकती हैं, तो जिन मुकदमों का तहसील पंचायत के द्वारा गलत फैसला होता है उसकी अपील पंचायत समिति के पास आती है और वह मुकदमा स्टेन्डिंग कमेटी के पास जाता है जिसमें कि उस तहसील पंचायत का सरपंच अध्यक्ष है या सदस्य है। तो इस तरह जिस मुकदमे का फैसला तहसील पंचायत के सरपंच ने किया उसकी अपील भी फिर उसी के पास आ गई। यह न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं, एकदम विपरीत है। दलीय आधार पर चुनाव

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

होते हैं इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था में, इस तरह के केसेज में अपनी पार्टी के आदमियों के हक में फैसले दिए जायेंगे। हमारा सुझाव है कि न्याय पंचायतों को इस तरह कान्स्टीट्यूट किया जाय कि सबको निष्पक्ष न्याय मिल सके। तहसील पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति में और फिर स्टेन्डिंग कमेटी में आ जाते हैं तो उनका हस्तक्षेप रहेगा। इसलिए सैद्धान्तिक रूप में भी, व्यवहारिक रूप में भी और व्यवस्था के रूप में भी ऐसे आदमी को यहां नहीं रखना चाहिये। एक तहसील पंचायत दो तीन ब्लॉक में आती है जैसे सीकर है, दो ब्लॉक वहां बनने वाले हैं, वहां पूर्वी ब्लॉक में दांता रामगढ़ की तहसील पंचायत के सरपंच वहां सीकर के ब्लॉक में, पूर्वी ब्लॉक में और पश्चिमी ब्लॉक में बैठेंगे और सीकर तहसील पंचायत का सरपंच, सीकर के दोनों ब्लॉक में बैठेगा और दांता रामगढ़ में भी जा कर बैठेगा। ऐसी व्यवस्था क्यों करना चाहते हैं? आज जैसे ब्लॉक्स बनाये हैं इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न हुई है कि एक आदमी उधर के सरपंच के लिए वोट करेगा, इधर के सरपंच के लिए भी वोट करेगा, तीन सरपंचों के लिए एक आदमी वोट दे सकता है। तहसील पंचायत का सरपंच, एक पंचायत का सरपंच तीन तीन जगह जायेगा, यह किस प्रकार का डीसेंट्रलाइजेशन हुआ? एक तहसील पंचायत के सरपंच के कितने पॉवर डीसेंट्रलाइज करने जा रहे हैं? अगर तहसील सरपंच के सरपंच को हटा देते हैं तो न्याय विभाग अलग चला जाता है, कहां तकावी दी गई, कहां तकावी नहीं दी गई–सब झगड़ों से दूर। केवल क्रिमिनल और सिविल ये दो बातें ही उसके सीमित रहें।

इसलिए मेरा संशोधन है कि 'तहसील पंचायत का सरपंच' इन शब्दों को यहां से हटा दिया जाय।

इस धारा में मेरा दूसरा संशोधन इस प्रकार है : Delete part (e) of the proviso to clause 6, sub-clause (1) which runs as under:-

"(e) in the case of a superseded Panchayat, the Panchayat Samiti shall co-opt a person residing in the area within the jurisdiction of such Panchayat to be the member representing such area".

यदि कोई पंचायत ऐसी है जिसको राज्य सरकार ने सुपरसीड कर दिया, या तो मन्त्री महोदय यह आश्वासन दिला दें कि पंचायत को सुपरसीड करेंगे तो ३ साल के लिए करेंगे, तीन साल के लिए नहीं करते हैं तो सुपरसीड करते ही पंचायत समिति देखेगी कि वह स्थान रिक्त हो गया है और वह किसी को कोऑप्ट कर लेगी। फिर उस पंचायत का दुबारा इलेक्शन कराते हैं वहां ड्यूली इलेक्टेड सरपंच आ जाता है तो फिर दोनों में से किसको हटायेंगे? एक आदमी को तो पंचायत समिति ने कोऑप्ट कर लिया और उसको कोऑप्ट करने के बाद उस पंचायत का दुबारा चुनाव हो जाता है, फिर नया सरपंच आ जाता है, तो ये दो सरपंच हो गये, इन दोनों में झगड़ा होगा कि कौनसा व्यक्ति पंचायत समिति में बैठेगा। मन्त्री महोदय कहेंगे कि जो कोऑप्ट हो गया उसकी ३ साल की टर्म है। यदि कोई भ्रष्टाचार करता है, अवैधानिक कार्य करता है, ५ मीटिंगों को कन्टिन्युअसली अटेन्ड नहीं करता है, तो हटा सकते हैं पर "once co-opted

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

is co-opted for three years." इससे ३ साल का टर्म रखा है। पंचायत समिति दलीय आधार पर गठित होगी तो जो पचायत समिति के सरपंच के पक्ष के होंगे उन्हीं को वह कोआॅप्ट करेगा, इस तरह दुबारा से दूसरा सरपंच इलेक्ट हो गया तो दोनों में झगड़ा होगा। इसलिए इस धारा की आवश्यकता नहीं। मन्त्री महोदय तीन साल तक कोआॅप्ट करने वाले नहीं, सुपरसीड करने वाले नहीं हैं तो फिर उस क्षेत्र से कोआॅप्ट करने की क्या आवश्यका है ? यदि पंचायत समिति के सरपंच का इलेक्शन होने वाला है तो वोट बढ़ाने के लिए कोआॅप्ट करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी जैसा आप चाहें वैसा करें पर यदि ऐसी बात नहीं है तो फिर चलने दीजिये, कोई प्रलय नहीं हो जायेगा, ६ महीने बाद चुनाव हो जायेंगे।

वैसे आपने अधिकार ले लिया है कि किसी सरपंच को सस्पेन्ड कर सकते हैं जब हमने सस्पेन्ड कर दिया और ३ में राजस्थान सरकार को अधिकार दिया कि किसी पंच सरपंच को सस्पेन्ड, सुपरसीड कर सकती है और इस अधिकार के तहत राज्य सरकार ने किसी सरपंच या पंच को सस्पेन्ड कर दिया तो उसका स्थान रिक्त हो गया तो पंचायत समिति एक आदमी को नोमिनेट कर लेगी और जिस आदमी को सस्पेन्ड किया वह एन्क्वायरी में साफ बच गया, उस एन्क्वायरी में उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। यदि उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो वह आदमी फिर आ जाता है। उस समय फिर भी यही झगड़ा पैदा होगा। इसीलिए मैं यह कहूंगा कि इन सारी परिस्थितियों में झगड़ा पैदा होने वाला है। आपने धारा ६ में प्रोविजो रखा है "(e) in the case of a Superseded Panchayat, the Panchayat Samiti shall co-opt a person residing in the area within the jurisdiction of such Panchayat to be the member representing suchbarea." यह उस क्षेत्र को सुपरसीड करने के लिये आवेगा। ऐसा हो जाना चाहिये कि जब तक दूसरी पंचायत नहीं बन जाती है उस समय तक वे एक माननीय सदस्य को मनोनीति कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी क्षेत्र है वह अनरिप्रेजेन्टेड न रहे। मगर वह तो उस समय तक के लिये नहीं रहेगा, वह तो तीन साल के लिये रहेगा। राजस्थान सरकार ने दो महीनों के लिये एक नये आदमी को कोआॅप्ट किया वह भी रह गया और दूसरा भी आदमी वहां पर चलता रहेगा। केवल आपकी मर्जी यह हो कि केवल क्षेत्र ऐसा हो जिसका प्रतिनिधि नहीं हो, उसको रखें। यदि उसके स्थान पर किसी नये आदमी का चुनाव नहीं होता है तो भी कोई बात मानी जा सकती है। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं मानी जा सकती है।

इसके अलावा कृषि निपुण को कोआॅप्ट करने का आपने रखा है। मैं यह कहूंगा कि उसको कोआॅप्ट नहीं किया जावे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसको कोआॅप्ट करते हैं तो आपको चाहिए कि उस टेक्नीकल हैन्ड के लिये रूल्स प्रेस्काइब्ड करें। उसके बाद में भी टेक्नीकल हैन्ड के लिये कोई क्राईटेरिया होना चाहिए जिसको अगर वह पूरा करता हो तो उसको मान लिया जावे। इसके अलावा उसको भी जिला परिषद् रखने वाली है। जिला परिषद् जैसी होगी, यह हम और आप सभी जानते हैं। वह एक इलेक्टेड बॉडी होगी। उसमें किसी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

न किसी पार्टी का बहुमत अवश्य होगा। वह उसको रखेगी। इसके अलावा पंचायतों में पंच लोग चुन कर आवेंगे उनमें कम से कम आधे पंच तो ऐसे होंगे जिनका खेती से सीधा सम्पर्क होगा और वे खेती के काम से जानकारी रखते होंगे। क्योंकि गांव में ८० प्रतिशत लोग खेती करते हैं। सरपंच होगा वह भी खेती करता होगा। उन सब पंचों को आप यह कहें कि आप सब लोग तो खेती के काम में अयोग्य हो और यह कृषि पंडित (निपुण) है वह खेती के मामलों में योग्य है। जब गांवों में ८० प्रतिशत लोग खेती करने वाले हैं और पंचायतों में वे ही लोग आवेंगे तो फिर इस आदमी की क्या आवश्यकता है। इसलिये यदि इसको हम हटा दें तो ज्यादा उचित रहेगा।

आगे जाकर इसके बाद में भी आपने कोऑप्शन का प्रोवीजन रखा है उसके बाद में सलेक्ट कमेटी ने यह नई बात और जोड़ी है और वह क्या जोड़ी है:—

(vi) Two persons residing whose experience in administration, public health or rural development would be of benefit to the Panchayat Samiti:

Provided that it shall not be necessary that the Persons mentioned in clause (vi) reside in the block, but they must be residing in the district in which the block is situated."

यानि इसके अंदर इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले किसी भी दो व्यक्तियों को। पहले आपने कृषि निपुण को रखा। गांव में मुख्य धंधे है उनका आज पंचायतों में प्रतिनिधित्व होना चाहिये और अगर यह बात हो तो मानी जा सकती है। आप एक कृषि निपुण ले लें। गांवों में कोई कॉटेज इन्डस्ट्रीज हो उसका प्रतिनिधि होना चाहिये कि जितने भी लोग विलेज में हैं और कॉटेज इन्डस्ट्री चला रहे हैं वे सब मिल कर अपना एक प्रतिनिधि भेजें तो उनको लेने की बात मानी जाती है और इसके अलावा और भी कोई प्रोफेशन हो उसके सारे लोगों का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये वे लोग अपना कोई रिप्रेजेन्टेटिव भेज दें तो वह भी बात मानी जा सकती है। आपने लिखा है कि कोई भी आदमी जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव हो, पब्लिक हैल्थ का अनुभव हो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी में सोशियल वर्कर के स्थान पर अपोइन्टमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट का होता है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : If the Congress has got a monopoly of social work, why should you envy ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपके यहां अन्सोशियल एलीमेन्ट ज्यादा आ गया है।

श्री श्रीभानसिंह : One unsocial element is sitting behind me (Shri Bhairon Singh (14) was sitting behind Shri Shri Bhan Singh on congress benches.

(हंसी)

श्री जगदीशप्रशाद माथुर : which side ? Left or right ?

श्री श्रीभानसिंह : See for your self.

श्री जगदीशप्रशाद माथुर : तो

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि किसको लेना चाहिये। मेरा तो यह सुझाव है कि इस धारा को बिल्कुल ही हटा देना चाहिये।

आपने एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी रखने वाले, पब्लिक हैल्थ, experience in administration, public health, rural development. अब उसको पंचायत समिति क्या करेगी। राज्य सरकार के ऐसे प्रेस्काइब्ड रूल्स होंगे कि उन क्वालीफिकेशन के द्वारा उनको कोऑप्ट करेगी तो यह स्पष्ट हो जाता वरना यह होगा कि इस प्रकार के लोग जो चुनाव के द्वारा नहीं आ सके और जिनका प्रभाव है, बिना प्रभाव वाले तो आ ही नहीं सकते आवेंगे तो वे ही लोग जिनका काफी प्रभाव होगा। ऐसे आदमी आने चाहिए ट्रेड जो अन रिप्रेजेन्टेड हो, रूरल हेन्डीक्रेफ्ट हो, कॉटेज इन्डस्ट्री हो, जिसको हमारी सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है, इनके प्रतिनिधि आकर बैठें और उनके डेवलपमेंट के वर्क हैं उनको प्रोत्साहन मिले, ये सारी बातें राज्य सरकार ने नहीं रखी हैं। मान लें किसी ने किसी को इलेक्ट कर लिया कोऑप्शन के लिये जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ज्ञान नहीं है, पब्लिक हेल्थ का कोई ज्ञान नहीं है तो राज्य सरकार कहेगी कि जो परिभाषा हमने रखी है उसमें वे नहीं आते जो कोऑप्ट किये गये हैं। इसलिए इसको हटा दिया जावे। तो इन सारी बातों को हटा कर इन सारी बातों को हटा दिया जाये। अगर राज्य सरकार यह चाहती है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रेलाइजेशन का जो कदम रख रही है तो उसे प्रोफेशन के आधार पर रखिये। रूरल हैन्डीक्रेफ्ट है, कॉटेज इन्डस्ट्री हैं, उन लोगों को लिये जाने चाहिए और मैं तो यही कहूंगा कि इसमें किसी प्रकार का कोऑप्शन नहीं होना चाहिए। जो लोग इस कार्य में लगे हों वे उनको चुनकर भेजें। एक बात इसमें राज्य सरकार भूल गई। राज्य सरकार कोऑपरेटिव की बात भूल गई।

कई माननीय सदस्य : हैं

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : "members of the Managing Committee" रखा है उसकी जगह राज्य सरकार को इलेक्टेड मेम्बर को रखना चाहिए। सारी कोऑपरेटिव मिल करके एक किसी सदस्य को भेज सकती है उसके लिये आप स्पेसिलाइजेशन क्यों करते हैं। जितने ट्रेड्स, प्रोफेशन हैं वे लोग अपने सदस्य को भेजें। इस प्रकार की मेरी राय है वरना इसको यहां से डिलीट कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक के छठे खंड पर मेरा एक संशोधन है, वह इस प्रकार है। इसमें एक नवीन धारा जोड़ी जाय। माननीय सभापति महोदय, माननीय कई सदस्यों ने इस छठी धारा पर अलग अलग विषय पर अपने संशोधन रखे और उस पर अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं भी अपने संशोधन की मार्फत अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में यह नहीं था, पंचायत समिति में विधान सभा के सदस्यों को लिया जाय। लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि पंचायत समिति में उसका जाना बहुत जरूरी है। पंचायत समिति में ऐसे वर्क्स होते हैं जिसका फायदा डायरेक्ट पब्लिक को होता है। वैसे यहां पर एम०

(श्री लक्ष्मण हीरात)

एल० ए० को जिला परिषद् में रखा गया है। मैं समझता हूं जिला परिषद् की बजाय तहसील पंचायत में उसको रखा जाता है तो वह बहुत बेहतर होता है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। जब ज्यादा से ज्यदा तहसील पंचायतों को हम आगे लाना चाहते हैं, पंचायत समितियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति में विधान सभा सदस्य का रहना जरूरी है। क्योंकि विधान सभा सदस्य जन-सम्पर्क काफी रखता है पब्लिक के साथ उसका सम्बन्ध बहुत रहता है। उसके साथ साथ उसको योजनाओं का भी अनुभव होता है। डिस्ट्रिक्ट में या अपनी तहसील में क्या हो रहा है, उसको सब बातों का ज्ञान रहता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो योजनायें होती हैं उनका अनुभव भी रहता है इसलिए पंचायत समिति में अनुभवी कार्यकर्ता मिल जायेगा तो पंचायत समिति का कार्य बड़ी आसानी से से चल सकेगा।

जैसे कि हमारे विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हम विधान सभा सदस्य को पंचायत समिति में रखें। लेकिन जब एक कृषि पंडित रखा जाता है जिले के बाहर का और दो आदमी रखे जाते हैं, यह जो आप दो आदमी बाहर से थोपते हैं उसकी बजाय एक विधान सभायी कोलिया जाय तो बहुत बेहतर होगा।

मैं निवेदन करूंगा, मेरा यह जो संशोधन है वह उचित है उसको माना जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहना चाहता कि एम० एल० ए० जाकर वहां का प्रधान बन जाय। एम० एल० ए० बैठेगा तो भी वह जो सारे क्षेत्र का अनुभव उसके पास है उसको रखेगा ताकि वह लोगों को आसानी से बता सके कि उनके हित के लिये क्या क्या हो रहा है इसके लिये मैं अधिक समय न लेता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा अगर विधान सभाई सदस्य को नहीं लिया जाता है तो वहां होगा क्या कि डेवलपमेंट के कार्य आसानी से नहीं हो सकेंगे। क्योंकि विधान सभायी सदस्य का काफी जनसंपर्क रहता है वह अच्छी तरह समझा सकता है और इससे तहसील पंचायतें भी ज्यादा काम कर सकती हैं।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। अगर विधान सभाई सदस्य नहीं होगा तो सारी पंचायत पर बी० डी० ओ० हावी हो जायेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सरपंच हैं वे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो कि सब बातें आसानी से समझ सकें। इसलिए बी० डी० ओ० उन पर हावी हो जावेगा।

श्री सभापति: हम में से जो अन-एजुकेटेड होंगे, वहां क्या होगा ?

श्री लक्ष्मण हीरात: मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एम० एल० ए० को नहीं रखा जाता तो वहां की जनता के प्रति अन्याय होगा। क्योंकि वह वहां की जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। अपने जिले के संबन्ध में वह यहां पर आकर भी अपने विचार रख सकता है। इस तरह से वह अगर नहीं रहेगा तो वहां की योजनायें आसानी से पूरी नहीं हो सकेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विधान सभाई सदस्य का रहना बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरा छोटा सा सरल सा संशोधन

(श्री लक्ष्मण हीरात)

है, इसे आप स्वीकार कर लें। इतना कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक की धारा ६ में मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है : Part (a) of the proviso be redrafted as under :—

"(a) In case the area of a Panchayat circle extends over more than one block, the Sarapanch of the Panchayat shall have an option to be a member of one Panchayat Samiti and for the other Panchayat Samiti any person elected from among its Panchas of all those villages of that Panchayat which fall in other block shall be a member of the Panchayat Samiti.

(aa) In case the area of a tehsil extends over more than one block, the Sarapanch of that Tehsil Panchayat shall be a member of the Panchayat Samitis of all such blocks but such Sarapanch shall not be elected as Pradhan or Up-Pradhan of more than one Panchayat Samiti."

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि प्रावधान इस बिल में रखा गया है, सरपंच पंचायत का और तहसील पंचायत के सरपंचों से मिली हुई पंचायत समिति कॉन्स्टीट्यूट की जायेगी। एक गांव में जहां दूसरा ब्लॉक भी है उसके अलावा पंचायत सरपंच भी है तो दोनों भी पंचायत समिति के सदस्य होंगे। जबकि एक सरपंच दोनों पंचायतों का सदस्य बनाया जाता है, ऐसी हालत में यह भावना उसमें रहती है कि उस पंचायत का प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिये। लेकिन वास्तव में हम देखें तो उस सरपंच के लिए प्रेक्टिकल रूप में यह सम्भव है कि वह पंचायत समिति की मिटिंग्ज अटेन्ड कर सकता है या नहीं। अलावा इसके सरपंच पंचायत समिति की सब-कमेटीज़ हैं उसका सदस्य है तो क्या वह अपना फ़र्ज़ सही रूप में निभा सकता है, यह एक सोचने का प्रश्न है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The time is up, sir.

श्री तेजाराम गहलोत : ऐसी हालत में उस सरपंच को एक पंचायत समिति का सदस्य रख दें और दूसरी पंचायत समिति के अन्दर उस पंचायत समिति के एरिया का जो पंच है या किसी चुनिन्दा आदमी को उसके लिए रख सकते हैं। ऐसा प्रावधान रहेगा तो सही मायने में उत्तम होगा। दोनों जगहों पर दोनों पंचायत समितियों का रिप्रेजेन्टेशन हो सकेगा और वह अपनी ड्यूटी भी अच्छी तरह निभा सकेगा।

श्री सभापति : और आपको बोलना है क्या ?

श्री तेजाराम गहलोत : अभी तो मुझे काफी बोलना है दूसरे माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं उस पर भी मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : एक दो मिनिट में खत्म कर दें।

श्री तेजाराम गहलोत : एक दो मिनिट में तो नहीं हो सकेगा।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही परसों प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही दिनांक २७ अगस्त, १६५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

———

संक्षिप्त–विवरण

(शनिवार २५ अगस्त, ५६)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

अफीमचियों के लिए राशन-कार्ड की व्यवस्था।

भूतपूर्व हैड क्लर्क, महाराजा कॉलेज द्वारा मकान बनाने हेतु कर्ज़ लिया जाना।

हैड क्लर्क, डूंगर कॉलेज, बीकानेर।

जोधपुर शहर में सेल्सटैक्स नम्बर दिया जाना।

कमान्डेन्ट, एन. सी. सी. भीलवाड़ा के विरुद्ध चरित्रहीनता के आरोप।

राजस्थान दलित वर्ग संघ।

प्रधानाध्यापिका, गर्ल्स प्राईमरी स्कूल, तोपखाना, जयपुर के विरुद्ध सरकारी रकम का वितरण न किया जाना।

सब–डिवीजनल, ऑफिसर नॉर्थ बीकानेर के कार्यालय के कनिष्ठ लेखक, श्री लूनाराम की बर्खास्तगी

शिक्षण–प्राप्त मिडिल पास अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड दिया जाना।

बी. डी. ओ. नोखा द्वारा जिला विकास समिति के निर्णयों का बदला जाना।

तहसील फालौदी में नमक के प्लाट्स

प्रधानाध्यापक जितेन्द्र माध्यमिक शाला पीपल्दा कलाँ (कोटा) के विरुद्ध चरित्रहीनता के आरोप।

स्टेट प्लानिंग बोर्ड।

घाणी–उत्पादित तेल पर बिक्रीकर।

उच्चतर माध्यमिक पाठशाला ग्राम गोरीर (खेतड़ी) के प्रधानाध्यापक के मकान पर गुंडों द्वारा हमला।

अध्यापकों के स्थानान्तरण।

पटवारी हल्का ईशरदा के विरुद्ध सरकारी वृक्षों को काटने का आरोप।

छोटी सादड़ी में छात्राओं के लिए हाई–स्कूल का खोला जाना।

घासमारी का मतालबा जिला पाली।

पत्थर की खानों का ठेका-धौलपुर बाड़ी व बसेड़ी।

प्राथमिक व माध्यमिक पाठ–शालाएं झालावाड़।

बीड का ठेका–हनोतिया तहसील बारां।

अल्प–बचत योजना।

हायर सेकेन्डरी स्कूल की स्थापना–अटरु।

सिकराय हाई में स्कूल पढ़ने वाले

मीणा व हरिजन-जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।

शाहबाद तहसील में द्वितीय श्रेणी फौजदारी अधिकार प्राप्त तहसीलदार की नियुक्ति।

बाड़ी हाई स्कूल में विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध।

चौधरियान को दिया जाने वाला पिचोतरा (सवाय)-जिला पाली।

सार्वजनिक कुए के निर्माण के लिए दी गयी धनराशि-ग्राम भोमियान-तहसील चिड़ावा।

तकावी वितरण-तहसील चाकसू।

सवाई माधोपुर के अध्यापकों व एस. डी. आईज. का फिक्सेशन।

वापी काश्त की जमीन का आबादी में परिवर्तन कराने के लिए की गई मांग-पाली शहर।

गंग-नहर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को वितरित की जाने वाली जमीन।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान में एक्स-सर्विस मेन और सिविलियन्स जिन्होंने सामरिक सेवा की।

सरकारी तथा गैर सरकारी माध्यमिक एवं हायर सेकिन्डरी अथवा हाई स्कूल।

सोजत सब-डिविजन के खातेदार तथा गैर खातेदार कृषकों का लगान।

राजस्थान निर्माण के उपरान्त सरकार द्वारा जोधपुर नगर में भवनों की खरीद तथा उनकी मरम्मत में व्यय की गई धनराशि।

शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं के व्यय।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक १९५९.

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर अग्रेतर खण्डश: विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड ३:-

इस खण्ड पर की गई बहस में तीन सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् खण्ड संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ३ ए:-

इस खण्ड पर दो संशोधन प्रस्तुत किए गए। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् एक संशोधन स्वीकार किया गया तथा दूसरा संबंधित सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

Page No.115

खण्ड ४:-

इस खण्ड पर एक संशोधन प्रस्तुत किया गया। इस पर की गई बहस में ६ सदस्यों ने भाग लिया।

राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन वापस ले लिया गया तथा खण्ड स्वीकार किया गया।

खण्ड ५:-

इस खण्ड पर ३ संशोधन प्रस्तुत किए गए। इस पर की गई बहस में दो सदस्यों ने भाग लिया।

राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् खण्ड संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ६:-

इस खंड पर ५ सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किए गए।

श्री तेजराम गहलोत अपने संशोधन प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे गुरुवार दिनांक २७ अगस्त, १९५९ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक २७ अगस्त, १९५९ की कार्य सूची.

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद विधेयक, १९५९

(खंडशः विचार)

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ का उत्तर देखिये]

S.N.	R.C. No.	Name and Address of the Dealer.
1.	34113	M/S Shri Mapasand Cahana Kothi, Shahpura, Jodhpur.
2.	34119	M/S ,, Mohan La l, Sarafa Bazar, Jodhpur.
3.	34141	M/S ,, Banshi Lal Cokal Chand, Mirchi Bazar, Jodhpur.
4.	34166	M/S ,, Rajkumar Patni, Bullion Hall, R.N. 18, Jodhpur.
5.	34387	M/S ,, Soni Banshi Lal Ram Chandra, Mirchi Bazar, Jodhpur.
6.	34367	M/S ,, Birdhi Chand Sarawgi Patni, Bullion Hall, Jodhpur.
7.	34397	M/S ,, Madan Lal M/S Madan Lal Mirla, Sarafa Bazar, Jodhpur.
8.	36504	M/S ,, Kasram M/S Kasram, Mortia, Silvatan Jodhpur.
9.	36501	M/S ,, Baijlal M/S B.S. and Bros. Shahpura, Jodhpur.
10.	36506	M/S ,, Daulat Saraf M/S Ram Lal Dulat, Sarafa Bazar, Jodhpur.
11.	36612	M/S ,, Tulsi Das (Prop) M/S Mavaha Ram Tulsi Ram Sarafa Bazar, Jodhpur.
12.	36514	M/S ,, Shri Mishri Mal Partner M/S Kamal Kishore, Mishri Mal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
13.	36515	M/S ,, Janwat Raj M/S J.R. Parkash, Sarafa Bazar, Jodhpur.

1	2	3	4	5
14.	36518	M/S	Shri	Kedar Das Agarwal Sarafa Bazar, Jodhpur.
15.	36547	M/S	,,	Keshri Mal Prop. Keshri Mal Banraj Bagrecha Sarafa Bazar, Jodhdur.
16.	36548	M/S	,,	Deo Kishan Prop. M/S Deo Kishan Ram Prasad Sarafa Bazar, Jodhpur.
17.	36548	M/S	,,	Ram Chandra M/S-Ram Prasad Ram Chandra, Sarafa Bazar, Jodhpur.
18.	36556	M/S	,,	RamChandra, Prop. M/S Thankendass, Ram Chandra Sarafa Basar, Jodhpur.
19.	36563	M/S	,,	Ram Chandra M/S Ram Chandra Joshi, Sarafa Bazar, Jodhpur.
20.	36569	M/S	,,	Tilraj Prop. M/S Tilraj Vijey Raj Sarafa Bazar, Jodhpur.
21.	36370	M/S	,,	Ram Chandra Prop. M/S Amrit Lal, Ram Chandra, Soonaroanka-Vas Jodhpur.
22.	36572	M/S	,,	Basti Kishan Prop. M/S Bastey Krishan Copal Krishan, Sarafa Bazar, Jodhpur.
23.	36572	M/S	,,	Mool Chand Prop, M/S Mool Chand Chamber Sarafa Bazar Jodhpur.
24.	36573	M/S	,,	Nar Singh Dass Prop. M/S Lachhi Narain, Jeth Mal Taparia, Jodhpur.
25.	36574	M/S	,,	Deolal Tapchi M/S Deolal Tapadia, Bullion Hall, Jodhpur.
26.	36575	M/S	,,	Laxmi Narayan Prop. Shri Laxmi Narain, Sarafa Bazar, Jodhpur.
27.	36572	M/S	,,	Baluram Prop. Nandlal Beluram, Sarafa Bazar, Jodhpur.

Page No.118

8	2	3	4	5
28.	35586	M/S	Shri	Jeth Mal Prop. M/S Jeth Mal Sayar Chand, Sarafa Bazar, Jodhpur.
29.	36587	M/s.	,l	Khiv Raj Prop. M/S Khivraj Ram Chandra, Sarafa Bazar, Jodhpur.
30.	56589	M/S	,,	Kapoor Raj Prop. M/S Mahaveer and Co., Sarafa Bazar, Jodhpur.
31.	36591	M/S	,,	Ram Dayal Prop. M/S Nandu Bhai Chandu Bhai Sarafa Bazar, Jodhpur.
32.	36593	M/S	,,	Chot Mal Prop. M/S Chot Mal Umaid Mal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
33.	36592	M/S	,,	Rawar Lal Prop. M/S Ram Kishan Bhanwar Lal Sarafa Bazar, Jodhpur.
34.	34414	M/S	,,	Ratan Lal M/S Suraj Karau Shanti Lal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
35.	34420	M/S	,,	Bholal Bhenwera M/S Somi Jivraj Bola Bhanwara Katanada Bas, Jodhpur.
36.	34423	M/S	,,	Bhanwar Lal M/S Bhanwar Lal Sarafa Bazar, Jodhpur.
37.	34434	M/S	,,	Kishan Chand Prop. M/S Harish Kumar Kishan Chand, Sarafa Bazar, Jodhpur.
38.	34455	M/S	,,	Ram Chandra Prop. M/S Kanti Ram Ram Chaudra, Sarafa Bazar, Jodhpur.
39.	34456	M/S	,,	Shiv Chand Sarafa Bazar, Jodhpur.
40.	34477	M/S	,,	Ram Narain Prop. M/S Ram Narain, Sarafa Bazar, Jodhpur.
41.	34493	M/S	,,	Ram Jiwan M/S Ram Jiwan Jabzi Lal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
42.	34495	M/S	,,	Mohan Raj Prop. M/S Mohan Raj Madan Raj, Sarafa Bazar, Jodhpur.

1	2	3	4	5
43.	34500	M/S	Shri	Kripa Shanker Prop, M/S Soni Kripa Shanker Sarafa Bazar, Jodhpur.
44.	18309	M/S	„	Bhikam Chand Chajor, Lakha Raon ka Vas, Jodhpur.
45.	18310	M/S	„	Mancha Ram Ram Ratan Lal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
46.	18310	M/S	„	Kina Stores, Tripolia. Bazar, Jodhpur.
47.	18316	M/S	„	Bhim Raj Sukh Raj, Sarafa Bazar, Jodhpur.
48,	18357	M/S	„	Ram Chandra Shiv Dass, Sarafa Bazar, Jodhpur.
49.	18379	M/S	„	Murli Dhar Mangi Lal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
50.	20903	M/S	„	Niwas Kawal Kishore, Bullion Hall, Jodhpur,
51.	20911	M/S	„	Banshi Lal Pras Ram, Sarafa Bazar, Jodhpur.
52.	20922	M/S	„	Ram Chandra Omprakash, Sarafa Bazar Jodhpur.
53.	20945	M/S	„	Naval Mal Shanti Lal, Bullion Hall, Jodhpur.
54.	20977	M/S	„	Nathur Dass Mehta, Bullion Hall, Jodhpur.
55.	20991	M/S	„	Badri Dass Shri Kishan, Sarafa Bazar, Jodhpur.
56.	18424	M/S	„	Mool Chand Gulechha, Bullion Hall, Jodhpur.
57.	20704	M/S	„	Namaji Nabi Bux Sawantion Ka Bass, Jodhpur.

1	2	3	4	5
58.	20731	M/S	Shri	Kalu Ram Shanker Lal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
59.	20733	M/S	„	Basti Ram Partapji, Sarafa Bazar, Jodhpur.
60.	20732	M/S	„	Agarwal Radha Kishan Saraf Sarafa Bazar, Jodhpur.
61.	20760	M/S	„	Ramdhan Johari, Sarafa Bazar, Jodhpur.
62.	20787	M/S	„	Kanak Lal Javery, Sarafa Bazar, Jodhpur.
63.	20797	M/S	„	Raj Ram Rakh, Sarafa Bazar, Jodhpur.
64.	5496	M/S	„	Gulab Raj Uttu Mal. Sarafa Bazar, Jodhpur.
65.	18202	M/S	„	Jawahar Mal Man Chan Mal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
66.	18225	M/S	„	Man Mal Manik Lal, Sarafa Bnzar, Jodhpur.
67.	18226	M/S	„	Megh Raj Hasti Mal Sarafa Bazar, Jodhpur.
68.	18246	M/S	„	Lichhi Nath Son? Raj, Sarafa Bazar, Jodhpur.
69.	18250	M/S	„	Hari Kishan Ram Parakash, Sarafa Bazar, Jodhpur.
70.	5741	M/S	„	Janwat Raj Deo Raj, Cloth Market, Jodhpur.
71.	5651	M/S	„	Lal Chand Ranwal Dass, Sarafa Bazar, Jodhpur.
72.	5653	M/S	„	Phool Chand Jain, Bullion Hall, Jodhpur.

1	3	3	4	5
73.	5668	M/S	Shri	Mohan Lal An Raj, Sarafa Bazar, Jodhpur.
74.	5669	M/S	,,	Sampat Raj, Sarafa Bazar, Jodhpur.
75.	5671	M/S	,,	Sampat Raj Sajjan Raj, Sarafa Bazar, Jodhpur.
76.	5673	M/S	,,	Ugam Chand Golia, Sarafa Bazar, Jodhpur.
77.	5690	M/S	,,	Satya Narain Nemi Chand, Sunaron Ka Bass, Jodhpur.
78.	5524	M/S	,,	Maggi Lal Agarwal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
79.	5525	M/S	,,	Narayan Dass Chhotu Mal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
80.	5527	M/S	,,	L. Jhmat Mal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
81.	20809	M/S	,,	Bhansi Lal Paras Ram, Sarafa Bazar, Jodhpur.
82.	20810	M/S	,,	Sukan Raj Saraf, Sarafa Bazar, Jodhpur.
83.	20811	M/S	,,	Goru Ram Saraf, Sarafa Bazar, Jodhpur.
84.	20833	M/S	,,	Sheo Raj Daulat Raj, Surafa Bazar, Jodhpur.
85.	20835	M/S	,,	Raj Kumar Jain, Bullion Hall, Jodhpur.
86.	20900	M/S	,,	Shri Amrit Lal Bhanwar Lal, & Co. Bullion Hall, Jodhpur.
87.	33512	M/S	,,	Sagar Mal Manna Lal, Bullion Hall, Jodhpur.

1	2	3	4	5
88.	33536	M/S	Shri	Raj Singh Jain, Bullion Hall. Jodhpur.
89.	33535	M/S	,,	Shiv Kumar & Co. Bullion Hall, Jodhpur.
90.	33582	M/S	,,	Ram Chandar Sheo Bux, Sarafa Bazar, Jodhpur.
91.	33583	M/S	,,	Kelash Chand, Sarafa, Bazor, Jodhpur.
92.	33584	M/S	,,	Ramsingh Sheo Ratan. Sarafa Bazar, Jodhpur.
93.	33585	M/S	,,	SHanti CHAHP Chopta, Sarafa Bazar, Jodhpur.
94.	33585	M/S	,,	Ram Narayan Mulchand, Sarafa Bazar, Jodhpur.
95.	33593	M/S	,,	Daulatraj Hukimichand, Bullion Hall, Jodhpur.
96.	33598	M/S	,,	Narayan Dass Bhagwandas, Sarafa Bazar, Jodhpur.
97.	33600	M/S	,,	Deojimal. Hetromal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
98.	33615	M/S	,,	Jagannath Meghraj, Sarafa Bazar, Jodhapur.
99,	33615	M/S	,,	Lakshmi Naraian Ramchandra, Sarafa Bazar, Jodhpur.
100.	33628	M/S	,,	Asharam Nutha, Bullion Hall, Jodhpur.
101.	33633	M/S	,,	Ratanalal Ganga Prashad, Bullion Hall, Jodhpur.
102.	33638	M/S	,,	Shri Nadanraj (Prop.) M/S Hazarimal Nadanraj, Mirchi Bazar, Jorhpur.
103.	33643	M/S	,,	Fatech Chand Partner, Narsingh Poonam-Chand, Bullion Nall, Jodhpur.

1	2	3	4	5
104.	33643	M/S	Shri	Gopikishan Kunnalal, Bullion Hall, Jodhpur.
105.	33653	M/S	Shri	Poonamchand Partner, Narsingh Poonam Chand. Bullion Hall. Jodhpur.
106.	33660	M/S	,,	Chaganraj Prop. M/S Vanagi Sumermal, Builion Hall, Ju.
107.	33667	M/S	,,	Meghraj Johari(Kart). Maghraj Johari Sarafa Bazar, Jodhpur.
108.	33817	M/S	,,	Satya Narain (Prop). M/S Ramkanwar Satyanarain, Sunaron Ka Bas, Jodhpur.
109.	33582	M/S	,,	Ramkishan Karta, Sarafa Bazar, Jodhpur.
110.	33885	M/S	,,	Jethamal Mishrilal Sunaron, Ka Bas, Jodhpur.
111.	33906	M/S	,,	Ramkishan Partner M/S Ramkishan Machher, Bullion Hall, Ju.
112.	33914	M/S	,,	Gopaldas Prop. M/s Gopaldas Tilokchand, Sarafa Bazar, Ju.
113.	33948	M/S	,,	Shri Madangopal M/S Balkishan Madangopal, Sarafa Bazar Ju.
114.	34016	M/S	,,	Shri Ashram Prop. M/S Ashram Ramkishan, Sarafa Bazar, Ju.
115.	34062	M/S	,,	Pura Ram Saraf, Sarafa Bazar, Jodhpur.
116.	34065	M/S	,,	Shri Nasir (Prop) M/S Nasir Mohd Maula Bux, Sunaraon Ka Bas. Ju.
117.	34069	M/S	,,	Shri Ganpatlal. Prop. M/S Anand Jewellery Gulab Sagar, Jodhpur.
118.	34085	M/S	,,	Shri Ramchandra Prop. M/S Ramchandra Sarafa Bazar, Ju.

1	2	3	5	5
119.	48593	M/S	Shri	Sansilal Ganeshala, Sarafa Bazar, Jodhpur.
120.	57/5660	M/S	,,	Dhan Raj Gulab Chand, Sarafa Bazar, Jodhpur.
121.	20869	M/S	,,	Radha Valabh, Kabra, Khejarle House, Jodhpur.
122.	33613.	M/S	,,	Paras Ram Agarwal, Sarafa Bazar. Jodhpnr.
123.	33714	M/S	,,	Chandi Ram Heral Dass, Sarafa Bazar, Jodhpur.
124.	33718	M/S	,,	Dau Lal Sarda, Khejarla House, Jodhpur.
125.	33726	M/S	,,	Radha Kishan Govind Narain, Sarafa Bazar, Jodhpur.
126.	33732	M/S	,,	Vasu Dev Behari Lal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
127.	33735	M/S	,,	Kedar Dass; Sarafa Bazar, Jodhpur.
128.	33837	M/S	,,	Bheek Chand Chajer, Lakharon Ki Street, Jodhpur.
129.	34157	M/S	,,	Uttam Chand Kakaria, Bullion Hall Jodhpnr.
130.	34315	M/S	,,	Mancha Ram Motilal Sarafa Bazar, Jodhpur.
131.	34361	M/S	,,	Nen Kumar Devi Lal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
132.	36484	M/S	,,	Bheem Raj Choga Lal, Bheswara ki Hewali, Jodhpur.
133.	36599	M/S	,,	Bach Raj Joshi, Veer Mohalla, Jodhpur.

1	2	3	4	5
134,	36631	M/S	Shri	Anant Ram Umaid Ram, Rawto Ka Bas, Jodhpur.
135.	36637	M/S	,,	Manak Lal Banashi La, Irside Sojati Gate, Jodhpur.
136.	36665	M/S	,,	Raten Prakash Vijai Prakash, Sarafa Bazar, Jodhpur.
137.	36513	M/S	,,	Asha Ram Poola Mal, Keshria Badi, Jodhpur.
138.	36558	M/S	,,	Vijai Raj Poonam Chand Keshria Badi, Jodhpur.
139.	36571	M/S	,,	Mool Chand Sarafa Bazar, Jodhpur.
140.	36572	M/S	,,	Basti Kishan Gopal Kishan, Sarafa Bazar, Jodhpur.
141.	36573	M/S	,.	Lachmi Narain Jeth Mal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
142.	36574	M/S	,,	Dau Lal Tapadia, Bullion Hall, Jodhpur.
143.	36575	M/S	,,	Laxmi Narain, Sarafa Bazar, Jodhpur.
144.	36579	M/S	,,	Nand Lal Balu Ram, Sarafa Bazar, Jodhpur.
145.	36586	M/S	,,	Jeth Mal Sayar Chand, Sarafa Bazar, Jodhpur.
146.	36587	M/S	,,	Shiv Ram Chander, Sarafa Bazar, Jodhpur.
147.	36589	M/S	,,	Mhaveer & Co., Sarafa Bazar, Jodhpur.
148.	36591	M/S	,,	Nandu Bhai Chandu Bhai, Sarafa Bazar, Jodupur.

3	2	3	4	5
149.	36592	M/S Shri		Chot Mal Umaid Mal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
150.,	36727	M/S	,,	Muni Lal Ram Narain, Sonaron ka Bas, Jodhpur,
151.	36748	M/S	,,	Khusli Ram Narain Dass, Sarafa Bazar, Jodhpur.
152.	36749	M/S	,,	L. Jhomst Mal, Sarafa Bazar, Jodhpur.
153.	36750	M/S	,,	V. Gagan Dass & Brothers. Sarafa Bazar, Jodhpur.

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६० का उत्तर देखिए]

राजस्थान दलित वर्ग संघ को अब तक जो वार्षिक सहायता दी गई एवं नाम व्यक्ति जिसके मार्फत सहायता दी गई उसकी सूची

वर्ष	सहायता	नाम व्यक्ति जिसे रकम दी कई।
१६५४-५५	७३०६)	श्री पन्नालाल वारूमल, अध्यक्ष संघ।
१६५५-५६	१६५४०)	,,
१६५६-५७	२०३४३)	,,
१६५७-५८	२३१३५)	,,
१६५८-५६	१६६४६)	,,
योग:—	८६६७३)	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६७ का उत्तर देखिये)

List of Members of the State Planning Board

EX-OFFICIO MEMBERS

1. Chief Minister and all other Ministers of Cabinet.
2. Shri Bheeka Bhai, Deputy Minister.
3. Chief Secretary.
4. Additional Chief Secretary.
5. Finance Secretary.

M. Ps.

6. Shri Manikya Lal Verma.
7. ,, Mathura Das Mathrur.
8. ,, Malnana Abdual Shakur.
9. ,, Vijay Singh.
10. ,, Panna Lal.
11. ,, Harish Chandra (Jaipur)
12. Shrimati Sharda Bhargava.
13. ,, Rameshwar Tantia.
14. ,, Keshavanand.

M.L.As.

15. ,, Abdual Ghaffar Khan.
16. ,, Dhanna Lal Harit.
17. ,, Bhairon Singh Bilara.
18. ,, Bnairon Singh Sri Madhopur.
19. ,, Mukti Lal Modi.
20. ,, Brijendra Pal.

21. Shri Mohabat Singh.

NON-OFFTCIALS

22. Sardar Harlal Singh, President, Rajasthan Provincial Congress Committee,
23. Chairman, Municipality, Board Kothah,
24. President, Minicipality, Alwar.
25. Chairman, Miunicipal Board Sikar.
26. Shri Dwarka Das Purohit.
27. „ Shiv Dan Singh.
28. „ Abni Kumar Mukerji.
29. „ Gopi Lal Yadava.
30. „ Kumbha Ram Arya.
31. „ Gokal Bhai Bhat, Sirohi.
32. „ P. G. Mehta, Mew Colcny, Jaipur.
33. „ V. N. Kak.
34. „ Manohar Singh of Bigod (Cooperatives).
35. „ Madan Siagh Nawalgarh.
36. „ Chiranji Lal Agarwal.
37. President, Rajasthan Chamber of Commerce and Industries, Jnipur.
38. Secretary, Rajasthan Farmors Forum.
39. Dr. Tara Chand Gangwal.
40. Shri K,S. Durlabhji,
41. „ Bhag Chand Soni.
42. „ P.P. Singhal.
43. „ Secretary, Rajasthan Khadi Borad.
44. Prof. M.V. Mathur.

45. Shri K,L. Bordia, Vidyn Bhawan, Udaipur.

46. ,, Gauri Shankar Acharya.

47. ,, R.D. Periwal.

48. ,, Kashi Ram.

59. ,, Mohan Lal, Lakhan Kotri, Ajmer.

50. Dr, N.N. Godbole.

51. Chairman, Municipal Council, Ajmer.

52. Shah Goverdhan Das Kabra Jodhpur.

53. Shri S.C. Agrawal.

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ का उत्तर देखिये]

Office of the Inspector of Schools Distt. Chittorgarh.

S. No.	Name of the Teacher	Designation	Qualification	Grade.
1.	Shri Goverdhan Lal Ladha	Headmaster	B: A.. B. Ed.. M. A., V. T. C. Sahitya Visharad	Trained Graduate Grade i. e. 110-225. Now transferred as a Senior teacher Tamkot Higher Secondary School.
2.	,, Man Singh	A. T.	Inter Arts, S. T. C.	Untrained Inter 10-100.
3.	,, Chiman Lal	A. T.	Matric, S. T. C.,	Uttama Tr. Grd., 60-130
4.	,, Bhanwar Lal	A. T.	Matric, S. T, C., Inter	do
5.	,, Khem Raj Jain	A. T.	Matric S. T. C.	do
6.	,, Gopal Lal Upadhyay	A. T.	Inter, Sahitya Visharad Vigyan Visharad Normal Trained (Amrawati) Physical Edu. Instructor (Ref. Course) Bikaner.	Old Trained Matric Grad,

1	2	3	4	5
7.	Shri Ratan Lal Menariya	A. T.	Matric S. T. C. Sahitya Visharad, J. T, C.	Matric Grade 50-80
8.	,, Durga Prasad Joshi	A. T.	Sahitya Visharad Sahitya Ratan (I Part)	do
9.	,, Udai Lal Kachahawa	A. T.	Matric H. C. T., J. T. C. Sahitya Visharad Inter Arts.	Inter Grade 70-100
10.	,, Sagar Mal Lasod	A. T.	Matric C. S. T. C. Inter.	Trained Matric Grade 60-130
11.	,, Basanti Lal	A. T.	Matric J. T. C., Inter Sahitya Visharad.	Matric Grade 50-80
12.	,, Ramesh Chandre	A. T.	Inter.	Middle Grade 40-50
13.	,, Manna Lal Joshi	A. T.	Class V N. C. T.	Middle Grade 40-50
14.	,, Shanta Devi	A. T.	Hindi Middle	Middle Grade 40-50
15.	,, Murli Dhar Gour	A. T.	Matric	do
16.	,, Ramratan Sharma	A. T.	Sanskrit Vyakaran Prathama Kavya Prathama	do
17.	,, Vasudeo Chaturvedi	A. T.	Matric	do

1	2	3	4	5
18.	Shri Bhanwar Lal Joshi	A. T.	Matric Sahitya Visharad	do
19.	„ Shanker Lal Joshi	A. T.	Hindi Parthma	do
20.	„ Narayan Lal	A. T.	Matric	do

Sd/— Inspector of Schools, District Chittorgarh.

परिशिष्ट

कार्यालय निरीक्षक शिक्षणालय डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, राजस्थान

माध्यमिक शाला छोटी सादड़ी के छात्रों का उपस्थिति स्टेटमेन्ट

क्र० सं०	कक्षा	छात्र	छात्राएं
१.	८ ए०	२६	१
२.	८ बी०	२५	–
३.	७ ए०	२८	–
४.	७ बी०	२८	–
५.	६ ए०	३३	–
६.	६ बी०	२६	–
७.	६ सी०	२६	–
८.	५ ए०	३४	–
९.	५ बी०	२६	–
१०.	४ ए०	३५	–
११.	४ बी०	३५	–
१२.	३ ए०	२८	–
१३.	३ बी०	३०	–
१४.	२ ए०	३२	१
१५.	२ बी०	३५	–
१६.	१ ए०	४६	४
१७.	१ बी०	४६	२
१८.	१ सी०	१०	६
	योग	५६१	१४

Office of the Dy. Inspectress of Girls Schools ?
Chittorgarh (Rajasthan)

Statement showing the staff working in the Girls Midlle School
CHHOTI SADRI.

S. No.	Name of Mistressed.	Designation.	Qualification.	Grade.
1.	Smt. Subha Kumari.	H. M.	B. A.	90-1-30
2.	Smt. Parwati Devi.	A. T.	Previsika.	40-1-50
3.	Smt. Mangi Devi.	A. T.	do	40-1-50
4.	Smt. Kamla Devi	A. T.	Middle	40-1-50
5.	Smt. Mohan Devi	A- T.	Previsika.	40-1-50
6.	Smt. Sushila Sharma.	A. T.	Matric.	40-1-50

परिशिष्ट

कार्यालय उपनिरीक्षिका कन्या शिक्षाणालय चित्तौड़गढ़
माध्यमिक कन्या शाला छोटी सादड़ी की छात्राओं का स्टेटमेंट

कक्षा ८	५
कक्षा ७	५
कक्षा ६	१२
कक्षा ५	१५
कक्षा ४	१८
कक्षा ३	२७
कक्षा २	३१
कक्षा १	४१
	१५४

विश्वनाथ,

ह० डिप्टी इन्सपेक्ट्रेस ऑफ गर्ल्स स्कूल्स,
चित्तौड़गढ़, राजस्थान

———

[४५०३

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ का उत्तर देखिए]

Statement Showing the name of Villages where the Schools are Situated Tehsil Aklera District Jhalawar.

S.N.	Name of School.	Name of the village where the school is situated.	Remarks
1.	High School	Aklora	This school has been upgradeeg to middle Standared durind this year.
2.	Middle School	Chatoli.	
3.	Paimary School	Aklera.	
4.	,,	Deoli	
5.	,,	Pachola.	
6.	,,	Churelia	
7.	,,	Lasodia.	
8.	,,	Banekheri	
9.	,,	Garda.	
10,	,,	Gehnnkheri	
11.	,,	Miahrolikhurd	
12.	,,	Kheujra.	
13.	,,	Borband.	
14.	,,	Devri Kalan.	
15.	,,	Maithoon.	
16.	,,	Lahas.	
17.	,,	Lukalwada.	

1	2	3	4
18'	,,	Thanawad.	
19.	,,	Sarda.	
20.	,,	Sarkhandie.	
21.	,,	Tharol	
22.	,,	Dahikhers.	
23.	,,	Asalpur	Opened. this year.
24.	,,	Ameths.	-do-
25.	,,	Lapshia	-do-

परिशिष्ट ६

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३८६ का उत्तर देखिये]

List of Teachers & Sub Deputy Inspector who Retired upto December. 1955.

S. No.	Name	Designation
1.	Shri Badri Prasad	Snb-Deputy Inspector of Schools.
2.	Shri Bhanwar Pal	Assistant Teacher.

परिशिष्ट ७

[कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ (१) यू० एस०) का उत्तर देखिए]

Statement showing the number of Hgiher Secondary Schools District-wise 1959-60.

S.No.	District	Number of Schools.
1.	Bikaner.	6
2.	Churu	5
3.	Canganagar	13
4.	Jaipur (East)	12
5.	Tonk	3
6.	Karauli	8
7.	Bharatpur	9
8.	Alwar	11
9.	Jhunjhunu.	11
10.	Jaipur (west)	8
11.	Sikar	4
12.	Jodhpur	11
13.	Barmer	2
14.	Jalore	2
15.	Pali.	4
16.	Nagaur	6
17.	Jaisalmer	1
18.	Sirohi.	3
19.	Udaipur	16
20.	Dungarpur	3

1	2	3
21.	Banswara	4
22.	Bhilwara	9
23.	Chittorgarh	6
24.	Kotah	9
25.	Bundi	-
26.	Jhalawar	3
27.	Ajmer.	21
	Total	190

ABSTRACT

Boy's Middle Schools in Rajasthan
1959—60

S. No.	District	State	Distrrict Board	Municipal Board	Aided	Unaided	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jaipur (East	34	—	—	11	—	45
2.	Jaipur (West)	42	—	—	—	—	42
3.	Ajmer	7	—	—	10	—	17
4.	Sikar	42	—	—	13	1	56
5.	Alwar	79	—	—	3	1	34
6.	Bharatpur	48	—	—	—	—	48
7.	Karauli	41	—	—	—	1	42
8.	Kota	51	—	—	1	2	54
9.	Bundi	17	—	—	—	1	18
10.	Jhalawar	21	—	—	1	—	22
11.	Tonk	23	—	—	2	—	25
12.	Bikaner	20	1	—	5	1	27
13.	Churu	21	—	—	2	7	30
14.	Ganganagar	52	24	1	2	1	75
1.5	Jhunjhunu	54	—	—	5	5	44
16.	Jodhpur	38	—	—	6	—	44
17.	Jalore	21	—	—	—	—	21
18.	Jaisalmer	6	—	—	—	—	6
19.	Barmer	20	—	—	—	—	20

1	2	3	4	6	7	8
20. Naganr	39	—	—	1	—	40
21. Pali	37	—	—	1	—	38
22. Sirohi	15	—	—	1	—	16
23. Udaipur	49	—	—	5	2	56
24. Banswara	21	—	—	—	2	23
25. Bhilwara	34	—	—	—	—	34
26. Chittorgarh	32	—	—	—	—	32
27. Dungarpur	21	—	—	—	—	21
Grand Total	360	25	1	71	23	980

परिशिष्ट

ABSTRACT

Girls Middle Schools in Rajasthan.

1959—60.

S. No.	District.	State	District Board.	Municipal Board.	Aided.	Un-aided.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jaipur East.	14	—	—	8	1	23
2.	Jaipur West.	—	—	—	—	—	—
3.	Ajmer	—	—	—	5	1	6
4.	Sikar	4	—	—	1	—	5
5.	Alwar	11	—	—	1	—	12
6.	Bharatpur	8	—	—	2	—	10
7.	Swaimadhopur (Karauli)	4	—	—	—	—	4
8.	Kotah	12	—	—	—	—	12
9.	Bundi	—	—	—	—	—	—
10.	Jhalawar	6	—	—	—	—	6
11.	Tonk	1	—	—	—	—	1
12.	Bikaner	9	—	—	4	1	14
13.	Churu	9	—	—	4	1	14
14.	Ganganagar	7	—	—	2	—	9
15.	Jhunjhunu	3	—	—	1	—	4
16.	Jodhpur	4	—	—	3	—	7
17.	Jalore	2	—	—	—	—	2
18.	Jaisalmer	1	—	—	—	—	1
19.	Barmer	2	—	—	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Nagaur	6	—	—	—	1	7
21.	Pali	4	—	—	—	1	5
22.	Sirohi	1	—	—	—	—	1
23.	Udaipur	9	—	—	2	—	11
24.	Banswara	2	—	—	—	—	2
25.	Bhilwara	7	—	—	—	—	7
26.	Chittorgarh	5	—	—	—	—	5
27.	Dungarpur	2	—	—	—	—	2
	Grand Total.	133	—	—	33	6	172

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक २५ अगस्त ५६

सकरम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
२२५६	अन्तिम से ३	किकावत	शिकायत
२२५७	१	इन्टनर्टेंमेंट	एन्टर्टेनमेन्ट
२२५७	१७	एज्यूकेशक	एजूकेशन
२२५६	अन्तिम से ५	Indulge	indulges
२२६०	?	May Correct	May be Correct
२२६४	अन्तिम से ५	I thingk	I think
,,	अन्तिम से ३	Auditors, report	Auditor's report
२२७३	२	रीइन्स्टेड	रीइन्स्टेट
२२७७	७	ihe	the
,,	अन्तिम से ३	fwo	two
,,	अन्तिम	piots	Plots
२२८१	१६-१७	What the subjects Coneeuing	What are the subjects Concerning it.
२२८२	१०	avading	evading
२२६५	१४	फल	फेल
२२६६	६	कॉर्डस	रेकॉर्डस
२३०१	१८	श्री गज्यापटेल	श्री गज्जापटेल
२३१५	१६	व्यक्ति	व्यक्ति
२३२०	अन्तिम	Viously	Seriously
२३३७		कोटसी	कोर्टस्

१	२	३	४
२३३८	१५	Amendment	Amencmen‚
,,	१६	tne	the
२३४०	१५	Jnrisdiction	Jurisdictic n
,,	१६–२०	adminisiteive	administrative
२३४४	८	निवेहन	निवेदन
२३४७	अन्तिम से ६	हुक	तक
२३५१	६	Constution	Constitut on
२३५८	१६	libera	liberal
२३५८	अन्तिम से २	लीमों	लोगों
२३६६	१७	anp	and
२३७५	५	इलेक्ट	इलेक्टोरल
२३७८	१५–१६	कमनीअर	कम से कम नीयर
२३७९	५	duilding	buildings
२३८०	१४	ड्यूटीज	ड्यूटीज
२३८३	१	Juicial	Judicial
२३९०	अन्तिम से ८	suspauion	Suspension
२३९१	१०	अनोली	ओनली
२४००	अन्तिम से २	नीय	माननीय
२४०५	१६	द्रष्टी	दृष्टि

१	२	३	४
२४११	८	कान्सीक्वसेज	कॉन्सीक्वेन्सेज
२४१२	२७	तरमीम	तरमीम
२४१३	अन्तिम से ६	incorpo:rate	incorporate
२४१४	२३	Yafter	If after
२४१५	२५	प्रोसोजर	प्रोसीजर
२४१६	६	चुताव	चुनाव
२४१७	५	सव-क्लाज	सब क्लॉज
२४१८	२२	कार्यवारी	कार्यवाही
२४२१	२६	has initiated	has been initiated
२४२३	१५	कॉन्टीजेन्सी	कन्टिन्जेन्सी
,,	२४	डिफिकल्ट	डिफिकल्टी
२४२४	२२	Coltural	Cultural
२४२५	२	dresho means	does he mean
,,	अन्तिम से ४	भीलजाड़ा	भीलवाड़ा
२४२७	१८	afterwardes	afterwards
,,	अन्तिम से ४	areo	area
२४३१	१८	रिप्रजेंटटिव	रीप्रजेन्टेटिव
,,	२१	सस	सब
२४३८	११	कन्टाडिक्टरी	कांट्राडिक्टरी
२४४६	२१	प्रिन्सीप्ल	प्रिन्सीपल

१	२	३	४
२४५३	१	उर्दयुक्त	उपयुक्त
२४५४	अन्तिम से ४	एडमिनिस्टर	एडमिनिस्ट्रेटर
२४५६	११	Pauchayah	Panchayat
२४६३	अन्तिम से ६	Whick	Which